लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

Preservation Unit
1-9-92
Library

[दूसरा सत्र
Second Session]

[खंड 4 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. IV contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 24, शुक्रवार, 8 जुलाई, 1977/17 आषाढ़, 1899 (शक)

No. 24, Friday, July 8, 1977/Asadha 17, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**Oral Answers to Questions**	
तारांकित प्रश्न संख्या 385 से 388	Starred Questions Nos. 385 to 388	1—15
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 14	Short Notice Question No. 14	15—20
प्रश्नों के लिखत उत्तर	**Written Answers to Questions**	
तारांकित प्रश्न संख्या 389 से 404	Starred Questions Nos. 389 to 404	20—32
अतारांकित प्रश्न संख्या 2873 से 2884, 2886 से 2912 और 2914 से 3012	Unstarred Questions Nos. 2873 to 2884, 2886 to 2912 and 2914 to 3012	32—115
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	115
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
फटे पुराने करेंसी नोट जो रद्द और नष्ट किये जाने वाले थे, उनके भारतीय रिजर्व बैंक से बदले जाने के बाद करोड़ों रुपये की धोखा धड़ी का कथित समाचार	Reported swindling of crores of rupees by exchanging at the Reserve Bank of India mutilated currency notes meant for destroying	
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan	116, 119
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	116—119
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति—	Leave of Absence from the sittings of the House	120-121
एक गैर सरकारी प्रकाशक द्वारा रेलवे की लेखन सामग्री का प्रयोग किये जाने के बारे में रेल मंत्री का वैयक्तिक स्पष्टीकरण	Personal Explanation by Minister of Railways *re* alleged use of Railway stationery by a private publishing house	121
अनुदानों की मांगें, 1977-78—	Demands for Grants, 1977-78—	
उद्योग मंत्रालय —	Ministry of Industry	
श्री जार्ज फर्नांडिज	Shri George Fernandes	122—127

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्	Shri K. P. Unnikrishnan	127—130
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	. 130—133
श्री आर० वेंकटारमन	Shri R. Venkataraman .	. 133– 135
श्री जार्ज मैथ्यू	Shri George Mathew .	. 135—137
श्री सुशील कुमार धारा	Shri Sushil Kumar Dhara . . .	137—
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—पहला प्रतिवेदन	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—First Report . .	137
भूतपूर्व प्रधान मंत्री द्वारा लोकतांत्रिक सिद्धान्तों का हनन करने के बारे में संकल्प	Resolution *re* Subversion of Democratic norms by the former Prime Minister .	138
श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath	. 138—141
श्री चन्द्रशेखर सिंह	Shri Chandrashekhar Singh .	141-142
श्री वसन्त साठे	Shri Vasant Sathe . . .	142—144
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी	Dr. Subramaniam Swamy . .	144—145
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee .	146—149

लोक सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 8 जुलाई, 1977/17 आषाढ़, 1899 (शक)

Friday, July 8, 1977/Asadha 17, 1899 (*Saka*)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : श्रीमन्, आपको हम बधाई देते हैं . . . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी अध्यक्ष ही हूं ।

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : अध्यक्ष के रूप में आपकी सफलता पर बधाई है ।

इण्डियन एयर लाइन्स में रिक्त पद

*385. **प्रो० पी० जी० मावलंकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयर लाइन्स के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा दो उप-प्रबन्ध निदेशकों के पद काफी समय से रिक्त पड़े हैं और उन पदों पर स्थायी रूप से कोई नियुक्ति नहीं की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण तथ्य क्या हैं ;

(ग) इन महत्वपूर्ण उच्च पदों को शीघ्र न भरने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या उक्त तीनों पदों को अब भर दिया गया है और यदि हां, तो उक्त पद किससे, कब और कैसे भरे गये ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) to (d). The post of Chairman and Managing Director, Indian Airlines has always had an incumbent either acting or regular. Shri K. G. Appusamy, Deputy Managing Director, Air-India is now acting as Chairman and Managing Director, Indian Airlines in addition to his own duties in Air-India, with effect from 11-6-77. However, the two posts of Deputy Managing Directors have been vacant in Indian Airlines, one since 1-9-76 and the other since 12-11-76.

Action to appoint regular incumbents to these posts is under active consideration.

1988 LS—1.

प्रो० पी० जी० मावलंकर : अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि आज मुझे प्राथमिकता मिली है । हम सविनय आपका अभिनन्दन करते हैं और शुभ कामना करते हैं कि आप राष्ट्रपति भवन में अपने नये गुरुतर कार्य में सफल हों ।

अध्यक्ष महोदय : यह आप बुधवार को मेरे त्याग पत्र देने के समय करें।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : अपने दो अनुपूरक प्रश्न पूछने से पहले और आपके पद छोड़ने से पहले मैं आपका संरक्षण मांगता हूं । मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का जो उत्तर दिया है वह ऐसा है कि उसमें मूल प्रश्न से उद्भूत अनेक महत्वपूर्ण बातों को छोड़ दिया गया है । अतः आप मुझे दो के बजाय चार अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दें, अन्यथा मैं उनसे अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं प्राप्त कर सकता ।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले और दूसरे दोनों अनुपूरक प्रश्नों के अन्तर्गत भाग (क), (ख) और (ग) के विषय में जानकारी ले सकते हैं । मैंने कभी इस पर आपत्ति नहीं की है ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मुझे प्रसन्नता है कि आपने ऐसा करने के लिए मुझे कहा ।

मैं इंडियन एयरलाइन्स के किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं हूं क्योंकि वहां सभी अधिकारी सुयोग्य हैं । यह मामला मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि यह ऐसे वरिष्ठतम अधिकारियों की नियुक्ति और उनके आचरण से सम्बन्धित है जिनका नीति निर्धारण में हाथ रहता है । और जिनके निर्णय तथा क्रियान्वयन का इंडियन एयरलाइन्स के समूचे कार्य संचालन पर प्रभाव पड़ता है । इसी कारण से इन में से प्रत्येक पद महत्वपूर्ण है । अतः क्या यह सच है कि एयर मार्शल पी० सी० लाल ने इंडियन एयरलाइन्स के चेयरमैन के रूप में बहुत ही कुशलता और सुयोग्यता के साथ कार्य किया और इंडियन एयरलाइन्स को पराकाष्ठा पर पहुंचाया, परन्तु अप्रैल, 1976 के आसपास केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराये जाने की धमकी देकर उन्हें हटा दिया गया और जब वह छोड़ कर गये तो तत्कालीन डिप्टी मैनेजिंग डाइरेक्टरों में से एक श्री मेहता को कुछ महीनों के लिए चैयरमैन बना दिया गया और नवम्बर, 1976 में कार्यभारी चैयरमैन के रूप में एक वर्ष के लिए उन्हें स्थायी कर दिया गया ? उसके पश्चात् क्या श्री मेहता ने इस बात का ध्यान रखा कि डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के किसी पद पर कोई नियुक्ति न की जाए ताकि वह अपने मनमाने ढंग से काम चला सकें । यदि ऐसा है, तो यह गम्भीर मामला है । इसलिए मेरा पहला प्रश्न यह है कि (क) क्या श्री मेहता ने एयर मार्शल लाल के हटाए जाने पर अप्रैल, 1976 से नवम्बर, 1976 तक और नवम्बर 1976 से लेकर श्री मेहता द्वारा त्याग पत्र दिए जाने तक कार्यभारी चेयरमैन के रूप में कार्य किया; (ख) क्या कारण है कि श्री मेहता के इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कार्यभारी चेयरमैन रहते हुए डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के दो पदों पर कोई नियुक्ति नहीं की गई; (ग) क्या यह सत्य है कि श्री मेहता के साथ ही एक अन्य डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर सत्यमूर्ति थे जिन्हें इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के बोर्ड आफ डारेक्टर्स का सदस्य नहीं बनाया गया और इस कारण वह छुट्टी पर चले गए और फिर पदत्याग कर दिया और इस प्रकार श्री सत्यमूर्ति को भी रास्ते से हटा दिया गया ताकि श्री मेहता का नाम सर्वोच्च रहे ?

Shri Purushottam Kaushik : Mr. Speaker, Shri P. C. Lal was appointed for 3 years from 1-8-73 to 31-7-76 but he remained in service upto 12-4-76. Then he proceeded on leave for 80 days (*Interruption*). You are aware of the press reports but I am stating the facts on the basis of record. Thereafter Shri Mehta, who was Deputy Managing Director assumed that

office. For some days he worked as an acting Managing Director but later on his appointment was made permanent by P.E.S.B. and was approval by the then Cabinet. Mr. Satyamurthy was another Deputy Managing Director who was senior to Mr. Mehta but he was not taken even in the Board of Directors. After the Selection of Deputy Managing Director, Mr. Satyamurthy went on leave and sought his retirement while on leave.

श्री पी० जी० मावलंकर : मेरे मूल प्रश्न का मंत्री महोदय ने यह उत्तर दिया है कि श्री के० जी० अप्पूस्वामी नाम का एयर इंडिया का एक अधिकारी एयर इंडिया में रहते हुए इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में अस्थायी तौर पर कार्य-निर्वहन कर रहा है, परन्तु ये दोनों कारपोरेशन विशाल निगम हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के दो पद अभी भी खाली पड़े हैं। सरकार इन दोनों पर नियुक्तियां करने में कितना समय लगाएगी ? दूसरे, अध्यक्ष के रूप में कोई नया व्यक्ति स्थायी रूप से कब नियुक्त कर दिया जाएगा ताकि इंडियन एयरलाइन्स कुशलता के साथ कार्य कर सके ? तीसरे, क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स के अध्यक्ष के रूप में श्री मेहता के कार्यकाल में यह निगम भूतपूर्व प्रधान मंत्री के छोटे पुत्र की कम्पनी मारुति एवियेशन लिमिटेड के पास सीधे क्रयादेश देता रहा और इस कम्पनी को विमान आश्रय-स्थल आदि के विषय में कुछ सुविधाएं देता रहा ? क्या यह कार्य श्री मेहता द्वारा किया गया और क्य" मा ति एवियेशन लिमिटेड के साथ ऐसा व्यवहार रखने के कारण ही श्री मेहता को अध्यक्ष बनाया गया और किसी दूसरे को उपाध्यक्ष नहीं बनाया गया ताकि श्री मेहता अकेले अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकें ?

Shri Purushottam Kaushik : As regards the posts of Deputy Managing Director, the steps are being taken to fill up these posts as I have already indicated in my original reply.

As far as the office of Chairman is concerned, the appointment is made on recommendation of the name by P. S. B. The ultimate approval of this appointment is given by the Appointments Committee of the Cabinet. Iwould like to assure the hon. Member that selection of Chairman will be completed in the nearest future and you will get a permanent chairman very soon, but I cannot say who will be the Chairman as the matter is under consideration. I am not in a position to answer at this moment as to who was the person under whose orders he acted in that manner. I require for it sometime.

श्री सोनू सिंह पाटिल : क्या मंत्री महोदय यह स्पष्ट करेंगे कि क्या इंडियन एयरलाइन्स के अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर पदों के लिए एक ही व्यक्ति को नियुक्त किया जाना अपरिहार्य और उचित है जबकि एक का कार्य नीति से और दूसर का कार्य उसके निष्पादन से सम्बन्धित है ?

Shri Purushottam Kaushik : Till now the posts of Chairman and Managing Director were held by one person. The question of appointment of a common chairman for both the Airlines is under consideration of Government. Action is being taken separately also in regard to the appointment of Managing Director.

Shri Nirmal Chandra Jain : The hon. Minister has just now stated that according to the records Shri P. C. Lal proceeded on leave at his own instance. We know that such records were got made. This House cannot be satisfied with the reply which is based on the information supplied by his secretariat on the basis of such records. May I know whether the hon. Minister himself looked into the matter and got himself satisfied as to whether he went on leave at his own instance or he wss compelled to proceed on leave and was made to sign on such papers ?

Shri Purushottam Kaushik : As regards his leave we will have to depend certainly on the Secretariat. Since the Indian Airlines is an autonomous body, nothing can be said, with certitude regarding his tendering the resignation or going on leave.

श्री के० लकप्पा : पिछले तीन महीनों से इंडियन एयरलाइन्स के प्रशासन की दशा बहुत बुरी है। उसमें अत्यधिक अनुशासनहीनता आ गई है। यह स्थिति न केवल प्रशासन पर नियंत्रण रखने के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति के मामले में है वरन् ऐसे उदाहरण भी मौजूद हैं जब हाल ही में खरीदी गई विमान बसों का अयोग्य व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण कराया गया। उपयुक्त प्रशासनिक व्यवस्था न होने के कारण विमान बसों का निरीक्षण उचित ढंग से समय पर नहीं किया जा रहा और इस प्रकार विमान बसों में यात्रा करना असुरक्षित हो गया है। यह देखते हुए मंत्री महोदय इस बारे में शीघ्र क्या कार्यवाही करने वाले हैं और क्या वह इस सदन को यह आश्वासन देंगे कि ऐसे महत्वपूर्ण संगठन के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के मामले में किसी भी राजनैतिक कारण को स्थान नहीं दिया जाएगा और एसी नियुक्ति केवल सुयोग्यता के आधार पर ही की जाएगी ?

Shri Purushottam Kaushik : I vehemently refute the allegations made by the hon. Member and would like to clarify that the conditions in the Indian Airlines had become deplorable during the emergency and we have improved it to a great extent during the last 3 months and we hope that we will be able to improve it completely. I assure that the present Government would not make any appointment on political considerations in any manner.

Shri Surendra Bikram : Will the hon. Minister state whether the improvement taken place during the last 3 months is due to the removal Shri Sanjay Gandhi's control over the Indian Airlines ?

Shri Purushottam Kaushik : It is because I have been working independently.

Shrimati Ahilya P. Rangnekar. The facts placed by Capt. Yashwant Randive, the Secretary of Pilot Association, before the previous Government about Avro aircraft are now proving true. Will the hon. Minister be therefore pleased to take back Captain Yashwant Randive and Captain Nadkarni.

Shri Purushottam Kaushik : The matter is under consideration.

श्री वयालार रवि : मैं अपनी यह आपत्ति अभिलिखित कराना चाहता हूं कि मंत्री जी ने दिल्ली से मद्रास बरास्ता नागपुर सीधे विमान यात्रा की है। श्रीमन् माननीय सदस्यों ने श्री पी० सी० लाल की बहुत ही सराहना की है जबकि श्री लाल ने इंडियन एयरलाइन्स में निरंकुश तथा मनमाना और श्रमिक विरोधी रवैया अपनाया था। मुझे विश्वास है कि मंत्री जी एयरलाइन्स में श्रमिक विरोधी रवैया पुन: अपनाये जाने के उद्देश्य से श्री लाल का नाम बार-बार न दुहरायेंगे। क्या श्री पी० सी० लाल इंडियन एयरलाइन्स में सबसे अधिक श्रमिक विरोधी और पूंजीपतियों के पक्ष-पोषक हैं ? क्या इंडियन एयरलाइन्स में असिस्टैंट मैनेजरों, ट्रैफिक आफिसरों आदि के अनेक पद ऐसे हैं जिनके लिए व्यक्तियों का चयन कर लिया गया है परन्तु उन्हें नियुक्त नहीं किया गया है और ये पद अभी तक रिक्त पड़े है ? क्या आप कृपया ध्यान देकर इन पदों को शीघ्र भरने के लिए कार्यवाही करेंगे ?

Shri Purushottam Kaushik : It is not fair to discuss here the merits of any individual.

श्री वयालार रवि : श्रीमन्, मंत्री महोदय ने असिस्टेंट मैनेजर, ट्रैफिक अफिसर आदि के खाली पदों के विषय में मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया है।

Shri Purushottam Kaushik : I will look into the matter.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : श्री पी० सी० लाल को हटाये जाने के पश्चात् श्री मेहता के मुख्य-मुख्य कृत्य क्या थ और इण्डियन एयरलाइन्स तथा एयर इण्डिया के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करने के अतिरिक्त उनकी मुख्य-मुख्य गतिविधियां क्या हैं ?

Shri Purushottam Kaushik : I will reply to these questions after looking into the matter.

अध्यक्ष महोदय : उनके पास सभी ब्यौरा नहीं है ।

Shri M. Ram Gopal Reddy : While replying, the hon. Minister created the impression that Shri P. C. Lal was ousted by the previous Government. But I would like to inform the hon. Minister that Shri P. C. Lal carried out the management of the Indian Airlines very efficiently while it was suffering from strike and his services had been appreciated in the House. It is therefore not correct to say that Shri P. C. Lal was ousted. What clarification the hon. Minister would like to give in this respect ?

Shri Purushottam Kaushik : As per records, he went on leave voluntarily and as far as the personal conduct of any individual is concerned it is against the convention of this House to discuss it.

श्री एम० कल्याणसुन्दरम् : जहां तक मैं इन उत्तरों को समझा हूं उनसे यह स्पष्ट है कि इंडियन एयरलाइन्स इन दोनों उच्च पदाधिकारियों के बिना भी अपना काम चला रहा है । कार्यकुशलता के बारे में मैं नहीं समझता कि यह घटी या बढ़ी है । क्या मंत्री महोदय हमें बतायेंगे कि क्या वे इन पदों को भरने से पहले इस बात की जांच करेंगे कि क्या ये पद भरने आवश्यक हैं ?

Shri Purushotatm Kaushik : Both the posts of Deputy Managing Director had fallen vacant during post emergency period and I am trying to fill these posts immediately so that work may be carried on smoothly.

श्री वसन्त साठे : जब आप इन पदों के बिना काम चला सकते हैं, तो इनकी क्या आवश्यकता है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री कल्याणसुन्दरम्, संभवतः वे आपका प्रश्न नहीं समझे हैं ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : क्या आप प्रश्न दोहरायेंगे ?

श्री एम० कल्याणसुन्दरम् : इन्डियन एयरलाइन्स लगभग एक साल तक इन पदों के बिना काम चला सकी थी । इनमें से अनेक पद फालतू हैं । क्या सरकार इन्हें भरने से पहले इस बात की जांच करगी कि क्या ये पद आवश्यक हैं ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : इस बारे में विचार किया जायेगा ।

श्री दिनेश चन्द्र जोरदर : श्री पी० सी० लाल के प्रशासन काल में इंडियन एयरलाइन्स में मार्शल ला लागू कर दिया गया था । कर्मचारियों को मिलने वाले अनेक लाभ—काम के घंटे, पारी व्यवस्था आदि—छीन लिये गये थे । अनेक कर्मचारियों का दंडस्वरूप तबादला कर दिया गया था । कुछ मामलों में वेतन कम कर दिया गया था । क्या नये अध्यक्ष को नियुक्ति किये जाने पर य लाभ उन्हें वापस दे दिये जायेंगे ? क्या प्रशासन और अध्यक्ष इस पहलू पर विचार करेंगे ?

Shri Purushottam Kaushik It will be examined and necessary action will be taken.

डा० कर्ण सिंह : मंत्री महोदय ने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के लिये एक ही अध्यक्ष की बात कही । क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स दोनों का कार्यकरण भिन्न है ? एयर इंडिया को कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है । इंडियन एयरलाइन्स सेवा संगठन अधिक है और वस्तुत: एकाधिकार प्राप्त संगठन है । इंडियन एयरलाइन्स का प्रधान कार्यालय दिल्ली में है जबकि एयर इंडिया का प्रधान कार्यालय बम्बई में है । क्या दोनों के लिये एक ही अध्यक्ष रखने के बारे में निर्णय करने से पूर्व इन पहलुओं पर विचार किया जायेगा ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : मैं कह चुका हूं कि एक समिति नियुक्त की गई है । निश्चय ही समिति सभी सम्बद्ध पहलुओं पर विचार करेगी जिनका माननीय भूतपूर्व मंत्री ने उल्लेख किया है ।

Expenditure Incurred by Indian Airlines on Security Arrangements of Shri Rajiv Gandhi

*336. Shri Hargovind Verma : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether special security arrangements were made for Shri Rajiv Gandhi whenever he travelled by plane and the expenditure on his security arrangements was borne by the Indian Airlines ; and

(b) if so, the reasons therefor and the total amount of expenditure incurred on his security arrangements ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) and (b). No special security arrangements were made for Shri Rajiv Gandhi when he travelled as an air passenger. Special anti-hijack and anti-sabotage precautions were, however, taken when he was piloting any flight of the Indian Airlines. Instructions were also issued to the concerned States for making appropriate arrangements for his protection during his over-night stop-overs.

No expenditure on such security arrangements was borne by Indian Airlines. As for expenditure that might have been incurred by State Governments for making protective arrangements for him, information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha on receipt.

Shri Hargovind Verma : Is it not a fact that one member of the former Prime Minister's security group accompanied Shri Rajiv Gandhi during his air flights and in case of night stop-over at Bombay they stayed in the prestigious Taj Mahal Hotel and the entire expenditure thereon was borne by the Indian Airlines ? Is it also not a fact that during his training period the instructor had to come here to train him ? Did he not join the strike in 1973 by the pilots of Indian Airlines ? Did Shri Rajiv Gandhi not accept commission for purchase of aircraft from a foreign company ?

Shri Purushottam Kaushik : No information is available whether any security personnel accompanied him during air flights. However, when he piloted an aircraft, following measures were taken as far the information available with the Intelligence Bureau :

(1) विमान सेवा आरम्भ होने वाले स्थान पर सामान के लदान से पहले इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों के सहयोग से विमान की तोड़फोड़ विरोधी जांच ।

(2) इस बात की कड़ी जांच कि विमान में सवार होने से पहले सवार होने वाले यात्रियों की सुरक्षा सम्बन्धी जांच की गई है ?

(3) अवांछनीय यात्री, यदि कोई हो, का पता लगाने के उद्देश्य से यात्रियों की जांच-पड़ताल ।

(4) यह सुनिश्चित करने के लिये कि कोई अनधिकृत व्यक्ति हवाई जहाज तक न पहुंच जाये, विमान की निगरानी ।

(5) सभी यात्रियों (जिसमें विमान बदलने वाले यात्री भी शामिल हैं) और उनके हैंड बैग, एयर बैग आदि की तलाशी ।

(6) विमान में सवार होने से पहले विमान के निकट यात्रियों के सामान की पहचान । यह काम एयरलाइन्स के कर्मचारियों के सहयोग से किया जाना चाहिये ।

(7) माल, समाचारपत्रों आदि के बारे में पूर्वोपाय किये जायें ताकि कोई गड़बड़ी न की जा सके । इसमें इंडियन एयरलाइन्स का सहयोग लेना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : इसका अनुपूरक से कोई सम्बन्ध नहीं है । श्री राजीव गांधी के लिये कोई विशेष प्रबन्ध नहीं थे ।

Shri Janeshwar Mishra : The hon. Minister has said that during the stop overs of Mr. Rajiv Gandhi in states, protective arrangements were made by the State Governments. Were similar arrangements made for other pilots during their overnight stay ? May I know the names of the persons who issued orders for two different types of security arrangements for one service and the action proposed to be taken against them ?

Shri Purushottam Kaushik : I do not know as to who gave such orders. But it is a fact that no security arrangements were made for pilots except Mr. Rajiv Gandhi.

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं मंत्री महोदय से टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित इस समाचार के बारे में जानना चाहता हूं कि श्री राजीव गांधी जब ड्यूटी पर बम्बई पहुंचते थे तो वे सुरक्षा कर्मचारियों सहित ताज महल होटल में ठहरते थे । मैं जानना चाहता हूं कि यह व्यय इंडियन एयरलाइन्स द्वारा या स्वयं श्री राजीव गांधी द्वारा वहन किया जाता था ।

Shri Purushottam Kaushik : As I have stated no expenditure was incurred by this Ministry on any sort of security arrangements for him.

Shri D. N. Tiwari : Had Government received any information that there was threat to his security calling for this arrangement or these arrangements were made without any such basis ?

Shri Purushottam Kaushik : This arrangement was made on receipt of information of possibility of hijacking as per information supplied by the Intelligence Bureau and he could be made a target after hijacking and therefore, arrangements were made for his security.

Shri Yuvraj : May I know the rule under which orders for security of Shri Rajiv Gandhi during his overnight stop overs were issued ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो पुनरावृत्ति हो रही है । कोई नई बात नहीं कही जा रही है । अब हम अगला प्रश्न लेंगे ।

श्री के० लकप्पा : श्रीमन्, कुछ गलती हो गई है । आज इलाहाबाद बैंक के बारे में एक अल्प सूचना प्रश्न भी है । इस प्रश्न की आवश्यकता क्या है? केवल एक प्रश्न ही हो सकता था ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रश्न का विषय क्या है ? यदि आप अल्प सूचना प्रश्न देखें तो पता चलेगा कि वह इलाहाबाद बैंक द्वारा कांगड़ा कौपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश से 6.45 करोड़ रुपये की जमा राशि की प्राप्ति के बारे में है। गृहीत प्रश्न क्षेत्रीय प्रबन्धक की दोषसिद्धि के बारे में है। आप ही निर्णय कीजिये कि इसमें कोई लाभ है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। पहले मंत्री महोदय का उत्तर तो सुनने दीजिये।

इलाहाबाद बैंक के रीजनल मैनेजर पर आरोप सिद्ध होना

*387. **श्री दिनेश जोरदर :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद बैंक के रीजनल मैनेजर, श्री एच० के० कालिया को किसी विशेष आरोप पर पंजाब उच्च न्यायालय ने दोषी ठहराया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) उसके विरुद्ध कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग). इलाहाबद बैंक के अनुसार, उसके दिल्ली के क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री एच० के० कालिया की पोती को गोद लेने/उसके अभिरक्षण सम्बन्धी पारिवारिक मुकदमे के मामले में, पंजाब और हरयाणा उच्च न्यायालय द्वारा, न्यायालय की अवज्ञा करने के लिए, जनवरी, 1977 में श्री कालिया को दण्डित किया गया था। इस आदेश के विरुद्ध श्री कालिया ने अपील दायर की है और स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है, इसलिए उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री दिनेश जोरदर : इलाहाबाद बैंक के श्री कालिया के विरुद्ध न्यायालय का दोषसिद्धि का आदेश था। यह उनके दुराचरण का एकमात्र मामला नहीं था। उन्होंने एक बांड भरा था और उन्होंने एक स्पष्ट वचन दिया था कि बच्चा भारत में ही रहेगा और वह उसे विदेश नहीं भेजेंगे। लेकिन उन्होंने न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया और बच्चे को लन्दन भेज दिया। न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने के कारण उन्हें दोषसिद्ध ठहराया गया। पहले वे दीमापुर शाखा में और लखनऊ और दिल्ली में भी रीजनल मैनेजर थे। भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के अनेक मामले में उनका हाथ था . . . .

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछिये। आप केवल जानकारी दे रहे हैं।

श्री दिनेश जोरदर : श्रीमन्, दो मौकों पर उन्होंने मकान बनाने के लिए ऋण लिया और उसी ब्रांच में उस राशि को नियत अवधि को जमा के रूप में जमा कर दिया और बढ़ी हुई दर पर ब्याज प्राप्त किया। उन्होंने 3.5 प्रतिशत की ब्याज की दर पर ऋण लिया परन्तु नियत अवधि की जमा राशि पर उन्होंने 9 से 11 प्रतिशत की दर से ब्याज प्राप्त किया।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता हूं। आप प्रश्न पूछने की बजाय भाषण कर रहे हैं ।

श्री दिनेश जोरदार : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनके जैसे आचरण के व्यक्ति को बैंक प्रशासन में रखना चाहिये जब कि बैंक क प्रशासन में प्रचार वाले व्यक्ति को आवश्यकता होती है । क्या इस व्यक्ति को रहने देना चाहिये ? **(अन्तर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई प्रश्न नहीं है । अब हम अगला प्रश्न लेते हैं ?

सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया द्वारा कोहिनूर मिल्स बम्बई को दिया गया ऋण

+

***388. श्री ओम प्रकाश त्यागी :**

डा० बसन्त कुमार पण्डित :

क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ने कोहिनूर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, बम्बई को बैंक के बोर्ड की पूर्वानुमति के बिना तथा रिजर्व बैंक के नियमों के विरुद्ध 25 करोड़ रुपये का ऋण दिया था;

(ख) ऋण कब दिया गया था और उसमें से कितना वसुल हो गया है;

(ग) उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है ;

(घ) लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यह धनराशि वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ङ). सदन के पटल पर एक विवरण रखा जा रहा है ।

विवरण

कोहिनूर मिल कम्पनी लिमिटेड, बम्बई 1957 से सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की ग्राहक है और उसे समय समय पर ऋण सुविधायें दी गई हैं । इस कम्पनी में लगभग 8000 मजदुर काम करते हैं ।

1974 के उत्तरापुर्व से कम्पनी गम्भीर वित्तीय संकट का अनुभव कर रही है । बैंक उसकी हालत ठीक करने में सहायता का प्रयत्न कर रहा है और इस प्रक्रिया में, प्रवन्धकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए भी अपनी स्थिति का उपयोग किया गया है। जून, 1·976 में, प्रवन्धकों में किये गये इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, इस मिल की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है ।

बैंक ने ये सुविधायें अपने निदेशक मंडल की जानकारी तथा उसके प्राधिकार पर दी है। इस खाते की स्थिति के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक को भी, ऋण--प्राधिकार के उद्देश्य से, समय समय पर सूचना दी गई है ।

फिर भी, इस कम्पनी को दी गई सुविधाओं के बारे में, कुछ आरोप लगाये गये हैं। भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से इस मामले की जांच करने का अनुरोध किया था। अब भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारम्भिक रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।

इस खाते के ब्यौरे के सम्बन्ध में, बैंकरों में प्रचलित प्रथा और व्यवहार के अनुसार तथा बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 13(1) के अनुसार भी ग्राहकों के कारोबार विषयक कोई सूचना प्रकट नहीं की जाती।

Shri Om Prakash Tyagi : The hon. Minister has given a vague reply. I fail to understand why he has not given a clear reply to my question. In his statement he has said that credit facilities have been granted by the Bank to the Kohinoor Mills with the knowledge of, and authorisation by, its Board of Directors. He has further added—

"इस खाते की स्थिति के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक को भी ऋण-प्राधिकार के उद्देश्य से, समय-समय पर सूचना दी गई है।"

:

Sir, the Bank gave a loan of Rs. 90 laks without the approval of the Chairman. When the Reserve Bank held meeting on 4th October, 1977, the amount of loan had swelled to Rs. 4·90 crores. The Bank issued directions to the Central Bank that no loans should be advanced without full guarantee. On 7-11-1975 the Reserve Bank again issued directions that loans exceeding Rs. 2 crores should not be advanced without grounds. However, loans amounting to Rs. 11 crores were given during the period from 19th January, 1976 to 5th May, 1977.

My question is very simple—why the Reserve Bank was a helpless spectator in this case when the Central Bank gave loans in an arbitrary manner for two years continuously, and whether any action was taken against the Central Bank, if so, the nature thereof and if not, the reasons therefor ?

श्री एच० एम० पटेल : मैं माननीय सदस्य को सन्तुष्ट करने के लिए वह सभी जानकारी दूंगा जो मेरे पास हैं। स्वयं विवरण में यह कहा गया है—

"बैंक ने ये सुविधाएं अपने निदेशक मंडल की जानकारी तथा उसके प्राधिकार पर दी है। इस खाते की स्थिति के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक को भी, ऋण प्राधिकार के उद्देश्य से समय-समय पर सूचना दी गई है।"

इसका मतलब है कि रिजर्व बैंक को जानकारी दी जाती रही है। स्थिति यह है कि यह खाता 1956 से चल रहा था। कोहिनूर मिल एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है जिसे 1896 में संस्थापित किया गया और बम्बई में उसकी तीन सूती वस्त्र निर्माण एकक हैं जिनकी अधिष्ठापित नकली क्षमता 1.30 लाख तथा 1960 करघे हैं। 1974 तक इस मिल का औसत उत्पादन 13 और 16 करोड़ के बीच था। इसमें लगभग 8000 श्रमिक काम करते हैं। कपाडिया ग्रुप की इसमें प्रत्यक्षतः 57 प्रतिशत अंश पूंजी है और इसमें वे अंश भी शामिल हैं जो मगनलाल छगन लाल प्राइवेट लिमिटेड जो कि कपाडिया ग्रुप की विनियोजन कम्पनी है द्वारा बदला सौदों के माध्यम से खरीदे हुए हैं। 1974 के मध्य तक इस कम्पनी का कार्य सन्तोषनक था किन्तु उसके बाद मिल को अकुशल प्रबन्ध तथा वस्त्र उद्योग की स्थिति और बिगड़ जाने के कारण घाटा होना शुरू हो गया जो उत्तरोत्तर बढ़ता गया। वर्ष 1974 में इस मिल को 32 लाख रुपए का घाटा हुआ। जनवरी, 1975 से मार्च 1977 तक

अर्थात् 27 महीनों में मिल को 12.38 करोड़ रुपए की हानि हुई जिसे बैंक से ऋण लेकर पूरा किया गया जिससे बैंक ऋण में वृद्धि होती गई । ऋण में इस वृद्धि के कारण माननीय सदस्य उत्तेजित मालूम पड़ते हैं ।

निर्माण-एकक को हुए घाटे चालू आस्तियों पर बैंक को उपलब्ध लाभ की मात्रा के ह्रास में दिखाए जाते हैं और निरन्तर घाटे से चालू देनदारी बढ़ती है और चालू आस्तियों से अधिक प्राप्त अल्पकालीन ऋणों से भी उसमें वृद्धि होती है । कोहिनूर मिल्स लिमिटेड के मामले में ठीक इसी तरह हुआ है । सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया में इस मिल का नकद ऋण खाता है । वर्तमान खाता 15 दिसम्बर, 1976 को शुरू हुआ था। 15 दिसबर, 1976 तक मिल का एक नकद ऋण खाता था जिसमें 15.96 करोड़ रुपए लिए गए थे । 16–12–1976 से एक नया खाता खोला गया । 31–5–1977 तक इस नये खाते में 1.62 करोड़ रुपए लिए गये हैं । कतिपय समायोजन के कारण इसमें से लगभग एक करोड़ रुपये छोड़कर कुल बाकी 16.44 करोड़ रुपए हैं जबकि मार्जिन निकालकर माल का मूल्य 5.89 करोड़ रुपए था । इस प्रकार 31–5–1977 को चालू आस्तियों में मोटे तौर पर 10.5 करोड़ रुपए का घाटा था । विवरण सं० 1 तथा 2 में सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया में कोहिनूर मिल्स लिमिटेड का खाता दिखाया गया है । मेरे पास और अधिक आंकड़े नहीं हैं। यदि और अधिक आंकड़ों की जरूरत हो, तो मैं उन्हें दे सकता हूं ।

बैंक के अनुसार, उसे मालूम होता गया कि कोहिनूर मिल्स की स्थिति जनवरी 1975 से लेकर लगातार बिगड़ती चली जा रही है । स्थिति में सुधार करने के लिए उसने प्रबन्ध में परिवर्तन करने चाहे । इस प्रकार सितम्बर 1975 में, बैंक के कहने पर, प्रबन्धक निदेशक श्री नीमजी भाई कपाडिया की उनके पद पर पुन:नियुक्ति नहीं की गई । उसके पश्चात शीघ्र मगन लाल छगन लाल प्राइवेट लिमिटेड की गारन्टी ली गई । यह कम्पनी कपाड़िया बन्धुओं की विनियोजन कम्पनी है और जून, 1976 तक कोहिनूर मिल्स लिमिटेड पर इन्ही लोगों का नियंत्रण था ।

नवम्बर, 1975 में इस कम्पनी का तकनीकी अध्ययन करने के लिए टाटा आर्थिक परामर्श-दात्री सेवाएं (टाटा इकोनामिक कन्सलटैन्सी सर्विसेज) नियुक्त कीं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : किसने सिफारिश की ?

श्री एच० एम० पटेल : टाटा परामर्शदाता ने सिफारिश की ।

परामर्शदाता ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि कम्पनी की हालत में सुधार लाने के लिए प्रबन्ध में परिवर्तन की आवश्यकता है । बैंक प्रबन्ध में परिवर्तन करने के लिए दबाव डालने की स्थिति में था वह 35 प्रतिशत से अधिक अंश पूंजी पर अपना दावा करने की स्थिति में था और 15 प्रतिशत अंश पूंजी जीवन बीमा निगम की थी । जिससे सेन्ट्रल बैंक को 50 प्रतिशत से अधिक अंश पूंजी पर वोटिंग नियंत्रण प्राप्त हो गया । इस स्थिति में बैंक ने प्रबन्धकों पर दूरगामी प्रबन्ध परिवर्तन करने के लिए दबाव डाला और बैंक का यह दृष्टिकोण है कि जुलाई, 1976 से यह मिल नव गठित व्यावसायिक प्रबन्धकों द्वारा चलाया जा रहा है ? **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : यह एक विवरण है । यह जवाब नहीं है ।

श्री एच० एम० पटेल : यदि आप प्रश्न देखें... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब आपको पहले बैठना होगा हर एक व्यक्ति उठ कर शोर नहीं मचा सकता। (व्यवधान) यदि हर व्यक्ति ऐसा करे, तो क्या इस सदन में कोई व्यवस्था चल सकेगी? आप तभी प्रश्न पूछेंगे जब आपकी बारी आयेगी।

श्री एच० एम० पटेल : प्रश्न ऐसे रूप में पूछा गया है जिससे मेरे लिए एक लम्बा स्पष्टीकरण देना आवश्यक हो गया है प्रश्न यह पूछा गया है "क्या सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया ने कोहिनूर मिल्स को 25 करोड़ रुपए का ऋण दिया है।" यदि मैं बिल्कुल सही अर्थ में इसका उत्तर दूं तो वह होगा "नहीं" किन्तु वह ठीक नहीं होगा (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस तरह बीच में बाधा डालते रहेंगे, तो आपको कोई उत्तर नहीं मिलेगा।

श्री एच० एम पटेल : मैं पहले कह चुका हूं कि यह एक चालू खाता है। यही बात मैंने कहनी चाही इसलिए किसी एक समय पर 25 करोड़ रुपए की इतनी भारी रकम का ऋण देने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस समय कितना ऋण बकाया है?

श्री एच० एम० पटेल : : इस समय बकाया ऋण की राशि 16.45 करोड़ रूपए है। इसके अतिरिक्त 3.5 करोड़ रुपये के बिल हैं, जो स्वतः परिसमापक (सेल्फ लिक्विडेटिंग) हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री त्यागी जी क्या आप अपना अगला प्रश्न पूछेंगे ?

Shri On Prakash Tyagi : My first question has not yet been replied.

श्री मोरारजी देसाई : ये परस्पर विरोधी रवैये हैं। जब पूरे विवरण नहीं दिये जाते तो कहा जाता है कि पूरा विवरण नहीं दिया गया है और जब दिया जाता है तो कहा जाता है कि उत्तर गोलमोल दिया गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि मामला क्या है।

Shri Om Prakash Tyagi: Whether it is a fact that Sudhir Kapadia, a member of the Kapadia family, is one of the directors of Maruti Ltd. and has shares worth Rs. 25 laks in it; whether it is also a fact that under political pressure the Central Bank continued to advance loans amounting to Rs. 25 crores without the permission of the Reserve Bank despite its repeated direction to the contrary. However, the Reserve Bank acquiesced in the matter.

श्री एच० एम० पटेल: महोदय, यद्यपि यह मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता तथापि यह सच है कि सुधीर कपाडिया ने सम्भवतः मारुति में कुछ शेयर लिए हुए हैं। श्री सुधीर कपाडिया एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी इन मामलों में ख्याति सन्तोषजनक नहीं है लेकिन वह एक दूसरी कम्पनी में भी अन्तर्ग्रस्त हैं। जिसके बारे में भी सरकार चिन्तित है। (व्यवधान) जहां तक दबाव का सम्बन्ध है, उस समय कोई दबाव पड़ा या नहीं, मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि मैं उस समय सरकार में नहीं था। इस मिल में 8000 श्रमिक थे और जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी उसकी स्थिति सुधारने और पहले की भांति लाभप्रद बनाने का निर्णय लिया गया और इस उद्देश्य से ऋण दिये गये। मैं कह नहीं सकता कि कोई अन्य दबाव भी पड़ा था अथवा नहीं (व्यवधान) मैं किसी प्रकार का बचाव नहीं कर रहा हूं। जो तथ्य मुझे मालूम हैं वही मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की चेष्टा कर रहा हूं। अगर मैं आपके पसन्द के लायक तथ्य पेश न करूं तो आपको यह नहीं समझना चाहिए कि मैं किसी प्रकार का बचाव कर रहा हूं।

डा० बसन्त कुमार पंडित : वित्त मन्त्री जी ने कहा कि रिजर्व बैंक का प्राधिकार प्राप्त कर लिया गया था और निदेशक मण्डल से भी परामर्श किया गया था इसमें अर्ध सचाई है, क्या मैं जान सकता हूं कि 19 जनवरी, 1976 के आसपास रिजर्व बैंक ने सेण्ट्रल बैंक को इस प्रकार लिखा था——

"......आपके बैंक के आवेदन के सम्बन्ध में जिसमें उपरोक्त कम्पनी को आपके बैंक द्वारा और अधिक देने की अनुमति मांगी गई है। इस सम्बन्ध में हमने यह देखा है कि आपके बैंक ने ऋण प्राधिकार योजना के अधीन हमारे पूर्व प्राधिकार के बिना कम्पनी को 4.75 करोड़ रुपए और 10.10 करोड़ रुपए के ऋण दे दिये हैं। यद्यपि आपके बैंक ने इसके लिए कुछ कारण पेश किए हैं यथापि हमें यह सलाह देनी है कि आप भविष्य में इस योजना का उल्लंघन न करें।"

क्या इसको देखते हुए मन्त्री महोदय सदन को यह बतायेंगे कि क्या समुचित प्राधिकार रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार समय-समय पर प्राप्त किए गये थे? हमारी जानकारी के अनुसार रिजर्व बैंक का प्राधिकरण तथा निदेशक मण्डल की स्वीकृति केवल 4.75 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए प्राप्त की गई थी। इसके पश्चात ऋण की राशि 25 करोड़ रुपए तक बढ़ गई और बाद के ऋण रिजर्व बैंक के समुचित प्राधिकार बिना दिए गए। निदेशक मण्डल के आदेश नहीं लिए गये सिर्फ उसका अनुसमर्थन प्राप्त किया गया। क्या यह सच है ?

श्री एच० एम० पटेल : माननीय सदस्य को मुझ से प्रत्यक्षतः अधिक विश्वस्त जानकारी प्राप्त है। मेरी जानकारी के स्रोत केवल रिजर्व बैंक व सेंट्रल बैंक ही हैं...

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपको अपनी जानकारी के स्रोत बढ़ाने चाहिए।

श्री एच० एम० पटेल : धन्यवाद। मैं आपकी सलाह मान लूंगा, शायद आपका अभिप्राय यह है कि मैं आप के पास जानकारी प्राप्त करने आऊं।

ऋण प्राधिकार के सम्बन्ध में वर्तमान विनियमों के अनुसार यदि कोई बैंक किसी पक्ष को 2 करोड़ रुपए से अधिक राशि की आर्थिक सहायता देता हैं तो रिजर्व बैंक का प्राधिकार प्राप्त करना आवश्यक है। इससे हर अगली राशि के लिए रिजर्व बैंक का पूर्व प्राधिकार प्राप्त करना जरुरी है। यद्यपि सेन्ट्रलबैंक ने 4.75 लाख रुपए को अतिरिक्त राशि के लिए रिजर्व बैंक का कोई औपचारिक ऋण प्राधिकार प्राप्त नहीं किया लेकिन रिजर्व बैंक को वह इन ऋणों तथा देय बकाया राशि के बारे में अपने खाते के जरिए बताता रहा। इस सारे प्रश्न पर विचार विमर्श करने के लिए सेन्ट्रल बैंक और रिजर्व बैंक के अधिकारियों के बीच बैठकें होती रही। अब सरकार ने रिजर्व बैंक से इस समूचे प्रश्न की जांच करने तथा इस वस्त्र कम्पनी के खाते की स्थिति के बारे में प्रतिवेदन देने को कहा है। रिजर्व बैंक अभी तक अपनी जांच पूरी नहीं कर पाया है। जांच पूरी होने पर सरकार इस मामले की पूरी तरह छान-बीन करेगी।

श्री के० मल्लन्ना : विवरण के पैरा 3 में कहा गया है——

"बैंक ने ये सुविधाएं अपने निदेशक मंडल की जानकारी तथा उसके प्राधिकार पर दी हैं। इस खाते की स्थिति के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक को भी ऋण प्राधिकार के उद्देश्य से समय-समय पर सूचना दी गई है।"

प्रश्न यह है कि क्या सेन्ट्रल बैंक ने कोहिनूर मिल्स कम्पनी लिमिटेड बम्बई को 25 करोड़ रुपए का ऋण बक के निदेशक मंडल की पूर्व स्वीकृति के बिना और रिजर्व बैंक के नियमों के विरुद्ध दिया है, क्या ये ऋण रिजर्व बैंक के नियमों का उल्लंघन करके दिये गये हैं और रिजर्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री एच० एम० पटेल : महोदय, मैं इसका उत्तर पहले ही दे चुका हूं। रिजर्व बैंक का प्राधिकार प्राप्त कर लिया गया है। इसलिए रिजर्व बैंक की प्रतिक्रिया का प्रश्न ही नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : लेकिन आपने तो कहा कि कोई औपचारिक स्वीकृति नहीं ली गई है। **(व्यवधान)**

श्री एच० एम० पटेल : जब मैंने कहा है कि प्राधिकार प्राप्त कर लिया गया है तो इसका अर्थ यही है कि वह प्राप्त कर लिया गया है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : माननीय मंत्री जी ने बताया कि जब बैंक ने 4.75 करोड़ रुपए की सीमा पार कर ली तो उसने रिजर्व बैंक के अधिकारियों के साथ परामर्श किया था। यद्यपि कोई समुचित प्राधिकार नहीं था। अब प्रश्न यह उठता है कि जब इन बैंकों के अधिकारियों के बीच विचार विमर्श हुआ तो रिजर्व बैंक ने आपत्ति क्यों नहीं उठाई और इसके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की ? अब सरकार कहती है रिजर्व बैंक इस मामले की जांच करेगा। जब उसे अनौपचारिक रूप से यह पता लग गया था कि ऋण सीमा का उल्लंघन हो रहा है, तो उसने कार्यवाही क्यों नहीं की।

श्री एच० एम० पटेल : माननीय सदस्य को मैं यही कह सकता हूं कि ठीक इन्हीं प्रश्नों के सम्बन्ध में मैं रिजर्व बैंक से पूछ रहा हूं। इसीलिए मैंने उससे इस मामले की जांच करने तथा मुझे स्पष्टीकरण देने को कहा है। किन्तु इस समय जो स्थिति है वह मैंने बता दी है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : यह स्पष्ट है कि रिजर्व बैंक ने अपने कर्तव्य का हनन किया है क्योंकि सम्बन्धित बैंक उसे स्थिति से बराबर अवगत कराता रहा।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : ऐसी सात शिकायतें हैं। इसीलिए रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर के स्थान पर नया व्यक्ति नियुक्त किया गया है।

श्री विनोद भाई बी० सेठ : मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति। अब व्यवस्था कायम रखना असम्भव हो गया है। यह हंसी तथा शोर-गुल से मतलब हासिल नहीं होगा। इस से सदन की मर्यादा गिरेगी आप तो समझ रहे हैं हम एक बड़ी बात उठा रहे हैं, लेकिन सदन की गरिमा को धक्का लग रहा है। मैं एक-एक करके पुकार रहा हूं आप पहले ही इस प्रश्न पर चालीस मिनट ले चुके हैं, फिर भी आपका उठना और प्रश्न पूछना जारी है। उत्तर सन्तोषजनक न हो, किन्तु इसके लिए अन्य तरीके हैं। आप इस विषय पर किसी अन्य दिन चर्चा कर सकते हैं। लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस से सदन की गरिमा गिर रही है जो उचित नहीं है। आप एक एक करके प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आप सन्तुष्ट न हों तो आप इस विषय को फिर कभी उठा सकते हैं और उस पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आपका मौजूदा तरीका अच्छा नहीं है।

श्री विनोद भाई बी० सेठ : क्या रिजर्व बैंक अथवा सेन्ट्रल बैंक ने इस कम्पनी से कोई रहन अथवा जमानत ली है और टाटा परामर्शदात्री सेवाओं के जांच-परिणाम क्या हैं।

श्री एच० एम० पटेल : मैं पहले ही बता चुका हूं कि वर्तमान आस्तियों की तुलना में 10.5 करोड़ रुपए का अधिक राशि निकाली जा चुकी है क्योंकि मिल की वर्तमान आस्तियां लगभग 8.9 करोड़ रुपए की है।

अध्यक्ष महोदय : 10.5 करोड़ रुपए का ऋण असुरक्षित है ?

श्री एच० एम० पटेल : जी हां,।

श्री ज्योतिर्मय बसु : माननीय वित्त मंत्री तथा प्रधान मंत्री ने कहा है कि कि नई सरकार को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने के लिए रिजर्व बैंक को मामला जांच के लिए सौंपा गया है। इस संदर्भ में क्या मैं वित्त मंत्री से पूछ सकता हूं कि वह सदन को स्पष्ट रूप से बताएं कि क्या रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर श्री नरसिम्हन हाल ही तक बैंकिंग विभाग के सचिव थे? क्या यह सच नहीं है कि प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक के बोर्ड में भारतीय रिजर्व बैंक का एक प्रतिनिधि और बैंकिंग विभाग का एक प्रतिनिधि होता है तथा इस बात को देखते हुए कि रिजर्व बैंक का गवर्नर तथा बैंकिंग विभाग का सचिव और उनके पूर्वाधिकारी, अपने आपको बचाने के उद्देश्य से, इस मामले में हमें मार्ग दिखाने के बजाए तथ्यों को छिपाएंगे ? इन परिस्थितियों में क्या माननीय प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री इस मामले पर विचार करेंगे और ऐसे व्यक्तियों द्वारा जांच करायेंगे जिनका इस मामले में बिलकुल सम्बन्ध न हो ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : सरकार को इन सब बातों का पता है और वह यह प्रयास कर रही है कि ये सब चीजें उचित ढंग से परिवर्तित हो जाएं।

इलाहाबाद बैंक को कांगड़ा कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश से प्राप्त राशि

14. **श्री सतीश अग्रवाल :**
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद बैंक, पार्लियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली ने कांगड़ा कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश से दिसम्बर, 1976 से मार्च 1977 के बीच ब्याज की 17 1/2 प्रतिशत वार्षिक दर पर 6.45 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की जबकि रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने ब्याज की दर 12 1/2 प्रतिशत निर्धारित की है ;

(ख) क्या ऋण लेने के लिए रिजर्व बैंक के नियमों का उल्लंघन करके दलाली के रूप में 1 लाख रुपये से अधिक राशि दी गई थी ;

(ग) क्या गत छह महीनों के दौरान इलाहाबाद बैंक ने पंजाब एण्ड सिंध बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली को करोड़ों रुपये दिए और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या पंजाब एण्ड सिंध बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर 30 मई 1977 को 3 करोड़ 44 लाख रुपये की राशि बकाया थी जबकि 30 मई, 1977 को इलाहाबाद बैंक के पास उसकी केवल 95 लाख रुपये की पावती मौजूद थी ; और

(ङ) यदि हां, तो उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई हैं जो 30 मई 1977 को 2 करोड़ 49 लाख रुपए बिना लेखा बद्ध किये रखने के लिए जिम्मेदार हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री ए० एम० पटेल) : (क) से (ङ). एक वितरण सदन के पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) इलाहाबाद बैंक ने सूचना दी है कि इसकी पार्लियामेंट स्ट्रीट, नयी दिल्ली स्थित शाखा ने कांगड़ा सैंट्रल कोआपरटिव बैंक लि० से दिसम्बर, 1976 और मार्च, 1977 के दौरान विभिन्न अवसरों पर 6.45 करोड़ रुपये की राशि जमाओं के रूप में प्राप्त की। ये जमाएं एक वर्ष की अवधि के लिए थीं 17 1/2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना तय हुआ था।

रिजर्व बैंक का जमाओं पर ब्याज की दरों विषयक निर्देश "भूमि-विकास बैंक के अलावा किसी बैंकिंग संस्था या सहकारी बैंक द्वारा की गयी जमाओं" के विषय में बाध्यकारी नहीं होता। फिर भी, इण्डियन बैंक्स एसोसिएशन द्वारा अपने सदस्य बैंकों को जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, 60 दिन से अधिक अवधि की जमाओं पर ब्याज की दर 13 1/2 प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ख) इलाहाबाद बैंक ने सूचित किया है कि उपर्युक्त जमाएं प्राप्त करने के लिए उसने दो फर्मों को 1.22 लाख रुपये दलाली के रूप में अदा किये हैं। बैंक के अनुसार, यह किसी भी प्रकार रिजर्व बैंक के निर्देशों का उल्लंघन नहीं है।

(ग) और (घ). इलाहाबाद बैंक ने सूचित किया है कि उनकी पार्लियामेंट स्ट्रीट, नयी दिल्ली स्थित शाखा की इस समय पंजाब एण्ड सिंध बैंक लि०, नयी दिल्ली के पास 3.44 करोड़ रुपये की जमाएं हैं, जिनके बारे में जमा रसीदें मौजूद हैं। बैंक ने अभी तक 30 मई, 1977 की स्थिति स्पष्ट नहीं की है। उस से यह करने के लिये कहा गया है। अलबत्ता, बैंक ने सूचित किया है कि उसने बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी को इस मामले की जांच के लिये प्रतिनियुक्त किया है।

(ङ) जांच अधिकारी के निष्कर्षों के आधार पर, बैंक यह तय करेगा कि क्या किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जानी है।

श्री सतीश अग्रवाल : सभा पटल पर रखे गए उत्तर से कुछ बहुत गम्भीर प्रश्न उठते हैं। सर्व-प्रथम वित्त मंत्री ने रिजर्व बैंक के निदेशाधीन इस बात का सहारा लिया है कि उधार देने वाले बैंकों को संदेय ब्याज की दरों पर कोई अधिकतम उपरी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अब मैं वित्त मंत्री का ध्यान इलाहाबाद बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय, जो 17 पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली पर स्थित है, द्वारा 3-12-1976 को जारी किए गए परिपत्र की ओर दिलाता हूं। परिपत्र में कहा गया है कि :

> "पहले दिनांक 1-11-1976 के मुख्य कार्यालय परिपत्र सं० 15/32/49 के अनुसार शाखा प्रबन्धकों को बैंकिंग संस्थाओं / सहकारी बैंकों से 15 से 60 दिन की अवधि के लिए प्राप्त जमाओं पर 13 प्रतिशत प्रतिवर्ष और 6 मास से अन्यून अवधि के लिए प्राप्त जमाओं पर 13 1/2 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज देने की स्वतंत्रता दी गई थी किन्तु इसमें संशोधन कर दिया गया। अब परिपत्र में यह कहा गया है कि :
>
> "अब शाखाओं को बैंकिंग संस्थाओं / सहकारी बैंकों से 61 दिन और इससे अधिक समय के लिए प्राप्त जमाओं पर 13 1/2 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज देने की स्वतंत्रता दी गई है बशर्ते ये जमाएं 31-21-76 के बाद तक उनके पास रहें।

अब मैं वित्त मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि इलाहाबाद बैंक को ऐसी कौनसी मजबूरी थी कि उसने कांगड़ा कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड हिमाचल प्रदेश से 17 1/2 प्रतिशत ब्याज की इतनी अधिक दर पर और वह भी रिजर्व बैंक के नियमों और मुख्य कार्यालय परिपत्र के खिलाफ 1. 22 लाख रुपए की दलाली देकर 6 करोड़ 45 लाख रुपए उधार लिए।

श्री एच० एम० पटेल: माननीय मंत्री ने कहा है कि मैं ने रिजर्व बैंक के निदेश का सहारा लिया है। मैं कोई सहारा नहीं ले रहा हूं। मैं तथ्य बता रहा हूं। यदि आप प्रश्न पूछें तो सही सही जानकारी देना मेरा कर्तव्य हो जाता है। प्रश्न के दायरे में रहना बहुत आवश्यक है। प्रश्न में पूछा गया है :

(क) क्या इलाहाबाद बैंक पार्लियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली ने कांगड़ा कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड हिमाचल प्रदेश से दिसम्बर, 1976 से मार्च 1977 के बीच ब्याज की 17 1/2 प्रतिशत वार्षिक दर पर 6. 45 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त की जबकि रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने ब्याज की दर 12 1/2 प्रतिशत निर्धारित की है"

मेरा उत्तर क्या है ? मैं ने कहा है :

(क) इलाहाबाद बैंक ने सूचना दी है कि इसकी पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली स्थित शाखा ने कांगड़ा सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक लि० से दिसम्बर, 1976 और मार्च 1977 के दौरान विभिन्न अवसरों पर 6. 45 करोड़ रुपए की राशि जमाओं के रूप में प्राप्त की। ये जमाएं एक वर्ष की अवधि के लिए थीं और 17 1/2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देना तय हुआ था।"

मैं इसकी पुष्टि करता हूं। पुनः मेरा उत्तर यह है कि :—

"रिजर्व बैंक का जमाओं पर ब्याज की दरों विषयक निर्देश" भूमि विकास बैंक के अलावा किसी बैंकिंग संस्था या सहकारी बैंक द्वारा की गई जमाओं के विषय में बाध्यकारी नहीं होता।

इससे आपको सही जानकारी दी जा रही है। मेरे उत्तर में आगे यह कहा गया है :

"फिर भी, इंडियन बैंक्स एशोसिएशन द्वारा अपने सदस्य बैंकों को जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, 60 दिन से अधिक अवधि की जमाओं पर ब्याज की दर 13 1/2 प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।"

अब मैं ने वास्तविक स्थिति बतला दी है। क्या इस का यह अर्थ है कि मैं ने इसका सहारा लिया है ? इस लेन देन में किसी अनुचित चीज के बारे में और क्या कार्यवाही की जानी चाहिए हम बाद में निश्चित रूप से देखेंगे।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं दलालों का परिचय जानना चाहता हूं। क्या उनका इस बैंक के साथ पहले कोई लेन देन था, उन्हें कितनी दलाली दी गई तथा दलालों के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था है। चूंकि इलाहाबाद बैंक ने बतलाया है कि नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है अतः मैं जानना चाहूंगा कि क्या बैंक द्वारा दलाली के रूप में 1. 22 लाख रुपए के भुगतान की अनुमति दी जा सकती है।

1988 LS—2.

श्री एच० एम० पटेल : मैं पुनः निवेदन करता हूं कि माननीय सदस्य द्वारा कही गई बात अधिक ठीक हो सकती है। मैंने यह कभी नहीं कहा है कि नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। मैंने केवल इस प्रश्न का उत्तर ही दिया है कि क्या रिजर्व बैंक के नियमों का उल्लंघन करके ऋण प्राप्त करने के लिए दलाली के रूप में एक लाख रुपया से अधिक राशि का भुगतान किया गया है। मैंने पैरा (ख) में कहा है :—

> "इलाहाबाद बैंक ने सूचित किया है कि उपर्युक्त जमाएं प्राप्त करने के लिए उसने दो फर्मों को 1.22 लाख रुपए दलाली के रूप में अदा किए हैं। बैंक के अनुसार, यह किसी भी प्रकार रिजर्व बैंक के निर्देशों का उल्लंघन नहीं है।"

इसके बाद मैंने भाग (ङ) में कहा है :—

> "जांच अधिकारी के निष्कर्षों के आधार पर बैंक यह तय करेगा कि क्या किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जानी है।"

इलाहाबाद बैंक के मुख्य कार्यालय ने इस सारे मामले की जांच करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी प्रतिनियुक्त किया है। जब जांच कार्य पूरा हो जाएगा और जब पूरे तथ्य उपलब्ध हो जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या कार्यवाही की जानी है। इस बीच मैं ने वह जानकारी जो मेरे पास थी दे दी है।

श्री कंवर लाल गुप्त : इलाहाबाद बैंक को अधिक ब्याज का भुगतान करने से लगभग 42 लाख रुपए की हानि हुई है। कुछ दलाली भी दी गई है। इसके अलावा कांगड़ा सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक के चालू खाते में हर मास 6 करोड़ 45 लाख रुपए का ब्याज जमा किया जाता है तथा इस ब्याज पर ब्याज भी दिया जाता है। यह सब से बड़ा घपला है और यह बहुत गम्भीर मामला है। इसमें सन्देह नहीं कि यह एक फरेब है। परन्तु चूंकि इसमें वरिष्ठ अधिकारी भी अन्तर्गस्त हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि उस मामले की बैंक के अधिकारियों को छोड़कर केन्द्रीय जांच विभाग आदि से स्वतंत्र रूप से जांच कराई जाए और इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों का पता लगाया जाए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या जांच करने के पश्चात् मंत्री महोदय सभा पटल पर उस जांच का प्रतिवेदन रखेंगे।

श्री एच० एम० पटेल : जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं इस समय इलाहाबाद बैंक स्वयं जांच करवा रहा है उस प्रतिवेदन के मिलने पर हम देखेंगे कि और कैसी जांच की जानी चाहिए तथा वह कार्यवाही की जाएगी। मैं उस प्रतिवेदन के सभी परिणाम सहर्ष सभा पटल पर रखूंगा।

Shri Kishore Lal : May I know whether it is not a fact that Allahabad Bank had borrowed a sum of rupees six and a half crores at a time when a sum of rupees five crores out of that amount was to be given to the firms of Kamal Nath of Calcutta who was a very famous man? Can the hon. Minister deny it ?

श्री एच० एम० पटेल : मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसलिए मेरा इसे स्वीकार या अस्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : क्या माननीय मंत्री को इस बात की जानकारी है कि दलालों की यह विशिष्ट फर्म इस लेनदेन के कुछ ही दिन पहले प्रकाश में आई और उसने कमीशन ली? मैं दलालों की इस फर्म का परिचय भी जानना चाहूंगी। इलाहाबाद बैंक का उनसे कब से लेन देन है? क्या इन दलालों ने भी कांगड़ा सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक से धन इकट्ठा किया है? क्या इलाहाबाद बैंक ने नियमा-

नुसार, दलालों को दी गई कमीशन से आय कर काटा है ? चूंकि क्षेत्रीय प्रबन्धक की, जो इस बेईमानी लेन देन के लिए उत्तरदायी है, अब पदोन्नति हो गई है, तो क्या वाजबी नहीं है कि उन अधिकारियों को, जिनके खिलाफ ये आरोप लगाए जा रहे हैं, जब तक जांच जारी रहती है तब तक के लिए निलम्बित कर दिया जाए। अन्यथा वे जांच कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे।

श्री एच० एम० पटेल : जहां तक इस विशिष्ट बैंक प्रबन्धक का सम्बन्ध है उसका पहले ही तबादला कर दिया गया है।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : उसका पदोन्नति पर तबादला किया गया है।

श्री एच० एम० पटेल : मेरी जानकारी के अनुसार उसकी पदोन्नति नहीं हुई है। उसका केवल तबादला ही किया गया है। यदि यह बात है तो मैं इसका पता करूंगा। मैं आपको केवल वही चीज बता रहा हूं जो मेरी वर्तमान जानकारी है।

जहां तक दलालों का सम्बन्ध है, उनके बारे में मेरे पास कोई निश्चित जानकारी नहीं है। परन्तु वे नए दलाल नहीं थे। दलालों की फर्मों के नाम इस प्रकार हैं : मैसर्स इंडियन मिल एस्टेट एण्ड इन्वेस्मेंट ब्यूरों, नं० 7 जंतर मंत्र रोड, नई दिल्ली, इसकी बहुत सी शाखाएं हैं—तथा मैसर्स राम प्रसाद ज्ञान चन्द एण्ड कम्पनी उनका पता मेरे पास नहीं है। पहली फर्म को 78,676 रुपए दलाली दी गई थी और दूसरी को 43,654 रुपए।

प्रबन्धक का तबादला हो जाने के बारे में प्रश्न किया गया था। उसे अब नहीं बल्कि जनवरी 1977 में पदोन्नति दी गई थी और उसका तबादला अब उसी पद में किया गया है जो उसका उस समय था।

श्री यादवेन्द्र : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस फर्म के पास, जिसने अपना पता नं० 7 जंतर मंत्र रोड, नई दिल्ली बतलाया है, इस लेन देन के पहले जिस से इसे इतनी बड़ी कमीशन मिली, केवल 300 रुपए की पूंजी थी तथा यह इस लेन देन के केवल एक सप्ताह पूर्व ही बनाई गई थी ?

श्री एच० एम० पटेल : मैं यह जानकारी ग्रहण करता हूं। मैं इसकी जांच करूंगा इस समय मैं वह जानकारी दे सकता हूं जो मेरे पास है।

Shri Ugrasen : The hon. Minister has just now said that that manager was promoted in January 1977 and he was transferred later on. May I know whether in order to maintain the *status quo* the hon. Minister shall give instructions for the reversion of the manager, otherwise it will appear that his promotion is being justified.

श्री एच० एम० पटेल : पदोन्नति को न्यायोचित ठहराने या न ठहराने का कोई प्रश्न नहीं है। मैंने आपको तथ्य दे दिये हैं। जब जांच कार्य पूरा हो जाएगा और हमें तथ्यों का पता लगेगा तो हम निर्णय लेंगे कि क्या कार्यवाही की जानी चाहिए। चाहे यहां कितना ही क्रोध क्यों न व्यक्त किया गया हो, मैं समझता हूं कि बैंक अधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही कार्यवाही की जानी चाहिए। उनके कुछ विशेष अधिकार हैं तथा जांच नियमानुसार की जानी चाहिए। वह की जाएगी।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : अब तक जो उत्तर दिये गये हैं उनके आधार पर मैं कह सकता हूं कि प्रधान मंत्री सीधा उत्तर नहीं दे रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वह घुमाफिरा कर उत्तर दे रहे हैं। निस्सन्देह उत्तर के रूप में जो जानकारी उन्होंने दी है वह उस वास्तविक जानकारी से कुछ कम है जो कुछ लोगों के पास उपलब्ध दिखाई पड़ती है। हो सकता है कि यह उनके पास न हो। इसलिए मैं उनके प्रति तथा सरकार के प्रति दोषदर्शी नहीं होना चाहता। ये बैंक समाज के आर्थिक रूप से निर्धन और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए बनाये गये हैं। परन्तु हमें पता चला है कि विशेष कर आपातकाल में इन बैंकों का सभी प्रकार के भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के लिए प्रयोग किया गया था। चूंकि प्रधान मंत्री यहां हैं अतः मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वित्त मंत्री और माननीय प्रधान मंत्री इन बैंकों के कार्यकर्ण की जांच करने के समूचे प्रश्न पर विचार करेंगे ताकि उनके प्रारम्भिक उद्देश्य पूरे हो सकें।

श्री एच० एम० पटेल : यह एक अच्छा सुझाव है और निस्संदेह हम इस पर विचार करेंगे।

श्री वयालार रवि : सर्वप्रथम आप यह देखें कि 7 जंत्र मंत्र रोड वाला पता सही है या नहीं क्योंकि 7 जंत्र मंत्र रोड पर जनता पार्टी का कार्यालय है। इन बैंकों के सभी लेन-देन सन्दिग्ध मालूम पड़ते हैं। क्या आप इन बैंकों के लेन-देन पर विचार करेंगे? क्या आप इसकी विस्तृत जांच करेंगे? माननीय मंत्री ने कहा है कि एक वरिष्ठ अधिकारी इसकी जांच करेगा। ये सभी एक ही श्रेणी और एक ही वर्ग के अधिकारी हैं। दूसरा रास्ता जो रह जाता है वह रिजर्व बैंक है। क्या आप रिजर्व बैंक को इसकी जांच करने के लिए कहेंगे?

श्री एच० एम० पटेल : जांच विस्तृत रूप से की जाएगी। पूरे आंकड़े इकट्ठे करने के उद्देश्य से एक वरिष्ठ अधिकारी जांच कर रहा है। उसके पश्चात् हम सोचेंगे कि आगे क्या कार्यवाही की जाए।

जहां तक माननीय सदस्य का 7 जंत्र मंत्र रोड के प्रति निर्देश का सम्बन्ध है, जाहिर है, कि उनके पास गलत सूचना है। उन्हें यह मालूम नहीं कि वहां पर अनेक लघु व्यापार गृह हैं। अतः इस प्रकार का घटिया मजाक माननीय सदस्य को शोभा नहीं देता।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS
प्याज का मूल्य

*389. **श्री लहानू सिड़वा कोम :**

श्रीमती अहिल्या पी० रंगनेकर :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्याज का मूल्य गिरता जा रहा है, जिसका प्रभाव प्याज उगाने वालों पर पड़ रहा है;

(ख) प्याज का वर्तमान मूल्य क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार कृषि उत्पादों की काश्त की लागतों को ध्यान में रखकर प्याज के न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) :(क) जी नहीं।

(ख) उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 24–6–1977 को कुछ चुने केन्द्रों में प्याज के फुटकर मूल्य निम्नलिखित थे :––

रुपए प्रति किलोग्राम

मद्रास	कलकत्ता	बम्बई	नासिक	दिल्ली
2.10	1.50	1.25	1.00	1.20

(ग) जी नहीं, तथापि, उपभोक्ताओं के साथ-साथ उत्पादकों के हितों को सुरक्षित करने के लिए लगातार उपाय किए जाते हैं।

लघु उद्योगों के लिए विकास बैंक

*390. **श्री के० मालन्ना** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों के लिए तथा रुग्ण एककों की दशा सुधारने के लिए एक पृथक् विकास बैंक खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गैर-सरकारी क्षेत्र और भारी उद्योग क्षेत्र में संस्थागत ऋण

*391. **श्री के० ए० राजन** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि संस्थागत ऋण गैर-सरकारी क्षेत्र तथा भारी उद्योग क्षेत्र को अधिक मात्रा में दिये जा रहे हैं जिससे लघु क्षेत्र के उद्योगों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(ख) क्या सरकार का विचार केरल में, लघु उद्योगों को, जहां इनमें बहुत बड़ी रोजगार क्षमता है, अधिक संस्थागत-ऋण उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाने का है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख). सरकारी वित्तीय संस्थाएं यह निश्चित करने का प्रयत्न करती हैं कि किसी भी ऐसे प्रस्ताव के कार्यान्वयन में जो कि तकनीकी दृष्टि से उचित, वित्तीय रूप से अर्थक्षम तथा आर्थिक दृष्टि से वांछनीय हो, ऋण न मिलने में रुकावट न आये। समग्र भारत में छोटे पैमाने के लघु उद्योगों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) द्वारा दी जाने वाली सहायता का अंश जो 1964–70 के बीच 3.4 प्रतिशत था, 1970–75 के बीच बढ़कर 26 प्रतिशत हो गया।

केरल के छोटे पैमाने के लघु उद्योगों को सावधिक ऋण की वित्तीय सहायता केरल स्टेट फाइनेंसियल कार्पोरेशन द्वारा दी जाती है और इस निगम को वित्तीय सहायता भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। केरल में एककों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मिलने वाली पुर्नवित्त सहायता 1974–75 के 4.69 करोड़ रुपये से बढ़कर 1975–76 में 11.82 करोड़ रुपये हो गयी।

सरकारी क्षेत्र को दी जाने वाली वित्तीय सहायता सम्पूर्णतः बजट द्वारा ही दी जाती रही थी। अलबत्ता, हाल ही में सरकारी वित्तीय संस्थाओं ने भी सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को सहायता देना प्रारम्भ कर दिया है। सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिये 1974–75, 1975–76 और 1976–77 के तीन वर्षों के दौरान उपलब्ध करायी गयी सहायता निम्नलिखित है :—

	(करोड़ रुपयों में) स्वीकृत राशि		
	1974–75	1975–76	1976–77
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई०डी०बी०आई०)	59.4	71.7	71.3*
(जुलाई-जून)	(18.5)	(16.1)	(17.0)
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	1.2	12.0	11.6
(आई० एफ० सी० आई०)	(3.9)	(23.4)	(15.0)
(अप्रैल-मार्च)			

*जुलाई 1976–मार्च 1977

कोष्ठकों में दिखाये गये आंकड़े, वर्ष में संबंधित संस्थाओं द्वारा दी गयी कुल सहायता से प्रतिशतता दिखलाते हैं।

टिप्पणी : (i) राज्य वित्त निगम निगमित तथा सहकारी क्षेत्रों के उन प्रतिष्ठानों को 30 लाख रुपये तक का अधिकतम ऋण दे सकते हैं जिनकी अंश पूंजी और आरक्षित राशि 1.00 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है। अखिल भारतीय संस्थाएं औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा 30.00 लाख से अधिक की सहायता के लिये किये गये अनुरोधों पर विचार करती है। इसलिये छोटे पैमाने के एकक, सीधी सहायता के लिये प्रायः उपर्युक्त संस्थाओं के संचालक की सीमा के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

(ii) औद्योगिक ऋणों के पुनर्वित्त के सम्बन्ध में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) अन्य संस्थाओं द्वारा ऋणों का पुनर्वित्त पोषण करता है और इसलिये इसके द्वारा छोटे पैमाने के एककों को दी जाने वाली सहायता, पुनर्वित्त के रूप, में अप्रत्यक्ष होती है ।

वनस्पति घी के मूल्य में वृद्धि

***392. श्री अनन्त दवे :**

श्री शंकर सिंह जी घला :

क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति घी का मूल्य, जो वर्ष 1976 के आरम्भ में 6.50 रुपये प्रति किलो था, वर्ष 1977 में बढ़ कर 10.00 रुपये प्रति किलो हो गया है;

(ख) मूल्य में वृद्धि होने के विशेष कारण क्या हैं और क्या वनस्पति घी के उत्पादन में प्रयोग किये जाने वाली कच्ची सामग्री के मूल्य में भी इसी अनुपात में वृद्धि हुई है;

(ग) क्या निर्माताओं द्वारा वनस्पति घी के उत्पादन के तरीके अथवा मात्रा पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है और उत्पादक अधिक मूल्य प्राप्त करने के लिए उसका बाजार में अभाव पैदा करने का प्रयास करते हैं; और

(घ) सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है और क्या इस अत्यावश्यक वस्तु के मूल्य में वृद्धि रोकने के लिए वनस्पति घी के उत्पादन और वितरण को अपने हाथ में लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और यदि हां तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) 1976 के आरम्भ में वनस्पति घी के 16.5 किलोग्राम टीन का मूल्य उत्पादन शुल्क मिलाकर 90–100 रु० के लगभग था; मई, 1977 के शुरू में इसकी कीमत 166–168 रु० के बीच चल रही थी और मई के मध्य में इसे घटाकर 158 रु० तक ला दिया गया है।

(ख) बाजार संचालन की शक्तियों के फलस्वरूप वनस्पति के मूल्य खाद्य तेलों के मूल्यों की सहानुभूति में घटते-बढ़ते हैं। वनस्पति घी के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले तेलों के मूल्यों में न्यूनाधिक तद्नुरूप वृद्धि हुई है ।

(ग) वनस्पति का मासिक औसत उत्पादन 45,000–50,000 मीटरी टन के बीच होता है। वनस्पति निदेशालय, वनस्पति एककों के उत्पादन स्तरों की परिवीक्षा करता है तथा इस उत्पादन के विनिर्माण में विभिन्न तेलों के प्रयोग पर नियंत्रण रखता है।

(घ) इस समय वनस्पति के विनिर्माण तथा वितरण के कार्य को सरकारी नियंत्रण में लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Expenditure on Unearthing Treasure in Jaigarh Fort

*393. **Shri Meetha Lal Patel** : Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state:

(a) how many times Government made efforts to discover hidden treasures of Jaigarh Fort (Jaipur) ;

(b) whether the expenditure incurred on the search for treasures was shared by Jaipur Palace ; and

(c) if so, the facts thereof ?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H.M. Patel) : (a) Jaigarh Fort was searched thrice during the period from February to May 1975 under section 132 of the Income-tax Act, 1961. However, the search for the treasure believed to have been hidden in the Fort commenced in June, 1976 in terms of an agreement with Col. Bhawani Singh and was abandoned in November, 1976.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

राज्य व्यापार निगम, राष्ट्रीय वस्त्र निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम में अनिश्चतता

*394. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 16 जून, 1977 के फांइनेन्सियल एक्सप्रैस में प्रकाशित इस आशय के समाचार को देखा है कि राज्य व्यापार निगम, राष्ट्रीय वस्त्र निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम के उच्च अधिकारी अपना भविष्य अनिश्चित होने के कारण परेशान हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां।

(ख) राज्य व्यापार निगम, राष्ट्रीय वस्त्र निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम के अधिकारियों द्वारा अपना भविष्य अनिश्चित समझे जाने का कोई कारण नहीं है। हालांकि ऐसे कुछ अधिकारियों के विरुद्ध जांच शुरू की गई है जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार तथा गम्भीर कदाचार की शिकायतें मिली थी किन्तु ऐसे अधिकारियों की संख्या बहुत कम है और सरकार ऐसे मामलों में सम्यक प्रक्रिया का अनुसरण करेगी। सरकार की नीति अपने कार्य के निष्पादन में ईमानदार अधिकारियों को समर्थन और संरक्षण देने और लोकहित को ध्यान में रखते हुए तत्काल निर्णय लेने के लिये उन्हें प्रोत्साहित करने की है।

सामान्य बीमा निगम की उप-कम्पनियों के कर्मचारियों के वेतनों में प्रस्तावित कमी

*395. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम्** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सामान्य बीमा निगम की उप-कंपनियों के लगभग 4,000 कर्मचारियों के मूल वेतन कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह निर्णय कर्मचारियों से परामर्श किये बिना आपात स्थिति के दौरान लिया गया था;

(घ) क्या इन कर्मचारियों ने प्रबंधकों की इस एकतरफा कार्यवाही के प्रति विरोध प्रकट किया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ङ). साधारण बीमा कारबार राष्ट्रीयकरण, अधिनियम, 1972 द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत, साधारण बीमा (विकास कर्मचारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों को युक्तिसंगत बनाना) स्कीम, 1976, 29 अप्रैल, 1976 को प्रकाशित की गई थी और यह स्कीम पहली मई, 1976 से लागू कर दी गई। इस स्कीम में विकास कर्मचारियों की सेवा की जिन शर्तों की व्यवस्था की गई है उनमें अन्य बातों के साथ-साथ कर्मचारियों के पारिश्रमिक को प्रीमियम की आय के साथ जोड़ा गया है। वर्गीकरण के बाद प्रत्येक विकास कर्मचारी (प्रथम श्रेणी निरीक्षक) और (द्वितीय श्रेणी निरीक्षक) को 7 प्रतिशत, 8 प्रतिशत और 10 प्रतिशत के निर्धारित लागत अनुपात के भीतर काम करना होता है। यह अनुपात महानगरों में काम करने वालों के लिए 7 प्रतिशत, महानगरों (ख-1) और (ख-2) श्रेणी के नगरों से भिन्न 'क' श्रेणी के नगरों में काम करने वालों के लिए 8 प्रतिशत और अन्य सभी केन्द्रों के लिए 10 प्रतिशत लागत अनुपात के अनुसार काम करने वाले विकास कर्मचारियों की मूल वेतन सहित परिलब्धियों के निर्धारित सीमा से बढ़ जाने पर उनमें उतनी कटौती कर दी जाएगी जिससे वह निर्धारित सीमा के स्तर पर आ जाएं। जिन विकास कर्मचारियों की परिलब्धियों में लगातार तीन वर्ष तक कटौती की जाती रहे, उनको नौकरी से निकाला जा सकता है।

उक्त स्कीम, साधारण बीमा कारबार का राष्ट्रीयकरण कर दिये जाने के परिणामस्वरूप विकास कर्मचारियों के वेतनमानों, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में जो इससे पहले प्रत्येक कम्पनी के लिए अलग-अलग थी एकरूपता लाने के लिये अधिसूचित की गई थीं। विकास कर्मचारियों की सेवा की शर्तें तय करते समय, सरकार ने मथरानी समिति और साधारण बीमा निगम की जिन्होंने क्षेत्रीय कर्मचारी संघ के साथ विचार विमर्श किया था, सिफारिशों को ध्यान में रखा है।

सरकार को इस स्कीम के विभिन्न उपबंधों के विरुद्ध जिनमें परिलब्धियों में कटौती करना और कुछ खास परिस्थितियों में नौकरी से हटाया जाना शामिल है, अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और इन पर विचार किया जा रहा है।

Amount to Congress Party by Business Houses for Advertisements

*396. **Shri Yagya Datt Sharma :** Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) the names of the persons and business houses who have given money to the Congress Party and the Youth Congress by way of payment for advertisements in the souvenirs during the period from 25th June, 1975 to February, 1977 ; and

(b) the amount of money given by each of these persons and the business houses ?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H.M. Patel): (a) and (b). For the period beginning with 1-1-75 and onward no return of Income has yet been filed by the Party. As such the details concerning payments for advertisements in the souvenirs of Indian National Congress are not availale on record. Notices calling for returns of income for the assessment years 1976-77 and 1977-78 are being issued.

The Youth Congress has not filed any income-tax return so far. Details for payment for advertisements in souvenirs published by Youth Congress are not therefore available on record. Notice under section 139(2) of the Income-tax Act, 1961 for the assessment year 1977-78 has however been issued calling for the return of income.

During the assessment proceedings, the details of amounts collected by the Congress Party and the Youth Congress will be obtained and these amounts will be taken into consideration while framing the assessment.

Foreign Pilgrims to Bodh Gaya

***397. Shri Ishwar Choudhary :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be please to state :

(a) the year-wise number of foreign pilgrims who visited Bodh Gaya during the last two years ;

(b) the names of the countries together with the number of pilgrims who came for pilgrimage to Bodh Gaya ; and

(c) the steps taken by Government of India for providing facilities to these foreign pilgrims ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) The statistics international tourist arrivals are compiled on an all India basis and not on state-wise or placewise basis.

(b) A statement showing figures of tourist arrivals in India from Buddhist countries during 1975-76 is laid on the Table of the Sabha.

(c) The development of Buddhist centres, including Bodh Gaya, has been given priority under the Cultural Tourism Programme of the Department of Tourism in the Fifth Plan. To begin with, acquisition of land measuring 21·56 acres around Mahabodhi Temple is being finalised at a cost of Rs. 19,54,0921.—Sim ultaneously, the Town and Country Planning Organisation of the Ministry of Works and Housing has been commissioned to prepare the master plan (land-use plan) of Bodh gaya with a view to ensuring a regulated growth of facilities. The master plan covers physical planning of the area, identification and location of facilitis, landscaping and environmental control. Based on this master plan detailed schemes will be drawn up for providing facilities such as transport, water supply, electricity and other amenities.

Statement

Tourist Arrivals in India from Buddhists Countries

Country	1975	1976
Japan	20,050	22,891
Sri Lanka	31,584	30,968
Thailand	4,239	6,097
Burma	372	428
Cambodia	24	4
Laos	218	53
Vietnam	148	69

सिमलीपाल पहाड़ी क्षेत्र (उड़ीसा) में राष्ट्रीय उद्यान का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

*398. श्री एस० कुण्डु : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के मयूरभंज जिले के सिमलीपाल पहाड़ी क्षेत्र में पर्यटकों के आकर्षण के लिये राष्ट्रीय उद्यान का विकास एक पर्यटक केन्द्र के रूप में करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग की उड़ीसा के मयूरभंज जिले के 'सिम्लीपाल हिल रेंज' में राष्ट्रीय उद्याम (नेशनल पार्क) का एक पर्यटक स्थल के रूप में विकास करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

परन्तु, उड़ीसा सरकार सिम्लीपाल राष्ट्रीय उद्यान का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास करने के बारे में विचार कर रही है। उनके द्वारा इसके विस्तृत ब्यौरे अभी तैयार किये जाने हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Raids of Income Tax Department in Delhi

*399. **Shri Nawab Singh Chauhan : Will the Minister of Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) the number of persons in New Delhi area on whose premises the Income Tax Department had conducted raids during the emergency and the outcome thereof ;

(b) the names of persons in Sunder Nagar, New Delhi on whose premises the Income Tax Department had conducted raids, the outcome of those raids, and the number of guilty persons arrested ;

(c) whether these raides were conducted on baseless grounds and Government did not get anything ;

(d) whether some officers had harassed honest persons by conducting raids on their premises due to personal enmity towards them and if so, what action Government propose to take against them ; and

(e) the details as to what was recovered from the premises of the persons in New Delhi area raided during the emergency and how many persons were acquitted by the courts ?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H.M. Patel) : (a) and (c). The number of persons in Delhi and New Delhi at whose premises (including bank lockers) searches were conducted during the Emergency was 660. This includes 105 persons whose premises were searched in 'off shoot' searches consequential to searches initiated at places outside Delhi. Separate figures for New Delhi are not available.

2. The above searches resulted in seizure of valuable assets worth Rs. 274 lakhs, excluding assets of the value of Rs. 24 lakhs seized in 'off shoot' searches. Books of account and documents were also seized. Out of the seizure of Rs. 274 lakhs, valuables of Rs. 147 lakhs were retained under section 132(5) of the Income-tax Act, 1961, out of which valuables of Rs. 14 lakhs have since been released as a result of orders passed under section 132(12). Further enquiries, as warranted, are in progress.

3. There is no provision in the Income-tax Act, 1961 for arrest of a person at whose premises a seizure is made.

(b) Detials are as under :

(1) *Shri Kishore R. Jhaveri*, 120, *Sunder Nagar, New Delhi*—This search was consequential to the searches carried out at various places of M/s Tribhuvan Das Bhimji (jewellers) of Bombay and Delhi.

Including the cash of Rs. 20,000/- seized from the Sunder Nagar premises, total seizures of cash and valuables of over Rs. 1 crore were made from the group.

(2) *Shri R.N. Gupta*, 103, *Sunder Nagar, New Delhi*—Shri R.N. Gupta is the Managing Director of M/s. Good Will India Ltd., a company of the "Motor and General Finance Group", in which group of cases searches were carried out by the Department.

The materials seized from the group are still under scrutiny, to verify various allegations against the group.

One gold chain valued at Rs. 7,400/- was seized from the above premises and has been considered for order u/s 132(5) of the Act in the hands of Smt. Raj Gupta (S. No. 3 below).

(3) *Smt. Raj Gupta*, 103, *Sunder Nagar, New Delhi*—She is the wife of Shri R.N. Gupta (S. No. 2 above). The gold chain of the value of Rs. 7,400/- which was seized has been retained under an order passed under section 132(5) of the Act.

She is the proprietor of M/s Minar International which concern is stated to be receiving commission from various other concerns, and in particular from M/s Gedore Tools (P) Ltd. The case of M/s Gedore Tools (P) Ltd. is under investigation.

	Seizure	Release u/s 132(5)/132(12).
	Rs.	Rs.
(4) Shri Krishan Kumar Jhalani, 106, Sunder Nagar New Delhi	Nil	Nil
(5) Shri K.K. Jhalani, 106, Sunder Nagar, New Delhi .	1,09,847	Held to be belonging to his wife, Smt. Sarbati Devi Jhalani
(6) Shri Sandeep Jhalani, 106, Sunder Nagar, New Delhi	Nil	Nil
(7) Smt. Sarbati Devi Jhalani, 106, Sunder Nagar New Delhi	1,37,480*	Released
*(This includes jewellery of Rs. 1,09,847 seized in the case of her husband Shri K.K. Jhalani).		
(8) Shri O.P. Jhalani, 106, Sunder Nagar, New Delhi . .	1,45,025	Released
(9) Shri Anup Jhalani, 106, Sunder Nagar, New Delhi . .	Nil	Nil
(10) Shri Ashok Jhalani, 106, Sunder Nagar, New Delhi .	Nil	Nil
(11) Miss Manju Jhalani, 106, Sunder Nagar, New Delhi .	Nil	Nil
(12) Shri Pradeep Jhalani, 106, Sunder Nagar, New Delhi .	Nil	Nil

All the above-noted persons (S. Nos. 4 to 12) belong to the Gedore group in which group searches were carried out by the Department. Miss Manju Jhalani is the proprietor of M/s. Mahal Creation International.

The seized materials in the Gedore Tools are under scrutiny.

Consequent upon the searches, disclosure petitions for undisclosed income and undisclosed wealth have been filed by certain members of the group, as under :—

Name	Declaration* under section	Amount
		Rs.
Smt. Pratibha Jhalani	14(1)	8,400
Smt. Krishna Devi Jhalani	15(1)	7,56,500
Shri O.P. Jhalani (HUF)	15(1)	85,778
Shri Rajinder Parshad Jhalani	15(1)	50,000
Smt. Sarbati Devi Jhalani	15(1)	1,99,760

*of the Voluntary Disclosure of Income and Wealth Act, 1976.

(13) M/s. Indian Export House, 28, Sunder Nagar, New Delhi

(14) Shri Rajinder Nath, 92, 94, Sunder Nagar New Delhi.

(15) Shri Surender Nath, 92, 94, Sunder Nagar, New Delhi.

(16) Shri Ram Chander Nath, 92, 94, Sunder Nagar, New Delhi.

(17) Shri Sham Nath, 92, 94, Sunder Nagar, New Delhi.

The searches at the above-noted premises of the persons at S. Nos. 13 to 17 were carried out as they belonged to Ivory Palace M/s. Faqir Chand Raghu Nath Das Group, in which group of cases, searches were carried out by the Department.

(18) M/s. Rajiv Service Station, Petrol Pump, Sunder Nagar, New Delhi

No seizure was made from the search of this premises.

(19) Shri M.P. Gupta, 91, Sunder Nagar, New Delhi.

The seized material is under scrutiny.

(20) Shri Amir Bhardwaj, 48, Sunder Nagar, New Delhi.

The above premises were covered as an off shoot of the searches carried out in the Mukund Iron & Steel Group of Bombay.

There is no provision as such in the Income-tax Act, 1961 for arrest of a person at whose premises a seizure is made.

(c) Search and seizure operations were authorised by Commissioners of Income-tax/Directors of Inspection after recording their reasons for doing so. Some of the operations did not result in any seizure.

(d) No such case has come to notice.

सस्ता कपड़ा बेचने के लिए उचित दर की दुकानें खोलने के लिए राज्य सरकारों को अनुदेश

*400. श्री अहमद एम० पटेल : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के निर्धन वर्ग के व्यक्तियों को सस्ता कपड़ा बेचने हेतु उचित दर की दुकानें खोलने के लिए सरकार ने राज्य सरकारों को कुछ अनुदेश दिए हैं;

(ख) क्या सरकार को पता है कि उचित दर की इन दुकानों को दिया जाने वाला कपड़े का कोटा काले बाजारों में बेचा जा रहा है और दुकानों में सस्ता कपड़ा कभी नहीं रहता है; और

(ग) इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां।

(ख) व (ग). नियंत्रित कपड़ा बेचने वाले सभी खुदरा बिक्री केन्द्रों को विभिन्न राज्य सरकारों, जो सूती वस्त्र (नियंत्रण) आदेश के अंतर्गत प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र में नियंत्रित कपड़े की बिक्री के नियमन के लिए सक्षम प्राधिकरण हैं, के आदेशों के अनुसार कपड़ा बेचना होता है। यदि काले बाजार में कपड़ा बेचने के बारे में कोई विशिष्ट शिकायत मिलती है, तो उसकी जांच पड़ताल तथा उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी।

व्यापारियों द्वारा आश्वासन दिये जाने के पश्चात् वनस्पति घी तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट

*401. **श्री शिव सम्पति राम :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि व्यापारियों द्वारा सरकार को यह आश्वासन दिये जाने के पश्चात् कि वे मूल्यों को कम करेंगे वनस्पति घी तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कितनी कमी हुई है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : वनस्पति घी विनिर्माताओं के प्रतिनिधियों ने 6 मई, 1977 को यह आश्वासन दिया कि वनस्पति घी के 16.5 किलो ग्राम के टीन का मूल्य, उत्पादन शुल्क मिलाकर 158 रुपये से अधिक नहीं होगा। जहां कहीं भी चालू मूल्य इससे कम है, उन्हें उसी स्तर पर रखा जायेगा। उस समय चालू मूल्य आम तौर पर 166 रुपये से 168 रुपये के बीच था। लगभग मई के मध्य में मूल्य सामान्यतया 158 रुपये पर स्थिर रहा है।

पैकेज में बन्द चाय के दो प्रमुख विनिर्माताओं ने पैकेज में बन्द चाय के विभिन्न ब्रांडों के मूल्यों में लगभग 2 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी की। अप्रैल, 1977 तथा 4 जुलाई को हुई अन्तिम बिक्री के बीच की अवधि में कलकत्ता में हुई नीलामियों में चाय के मूल्यों में प्रति किलोग्राम 10 रुपये से कुछ अधिक की कमी हुई।

जहां तक दूसरी आवश्यक वस्तुओं का सम्बन्ध है, समाचार पत्रों में यह खबर छपी थी कि बम्बई तथा कलकत्ता के कई उद्योगपतियों ने 31 दिसम्बर, 1977 तक विनिर्मित की जाने वाली वस्तुओं की कीमतें न बढ़ाने का स्वैच्छा से निर्णय किया है। उस घोषणा के बाद से समस्त वस्तु थोक मूल्य सूचकांक में विनिर्मित वस्तुओं के प्रमुख समूह के थोक मूल्य सूचकांक में सीमान्त वृद्धि हुई है।

जीवन बीमा निगम द्वारा फील्ड वर्करों को सेवा-समाप्ति के नोटिस दिया जाना

*402. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने अपने 150 फील्ड वर्करों को 15 दिन का सेवा-समाप्ति का नोटिस दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जीवन बीमा निगम फील्ड वर्कर्स एसोसिएशन द्वारा सेवा-समाप्ति के नोटिस के विरुद्ध दिए गए अभ्यावेदन पर विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख). विकास अधिकारियों की सेवाओं की वर्तमान शर्तों के अनुसार उनका पारिश्रमिक प्रीमियम आय से जुड़ा हुआ है। किसी विकास अधिकारी का वार्षिक पारिश्रमिक किसी मूल्यांकन वर्ष में उसके द्वारा प्राप्त की गई पात्र प्रीमियम आय के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसे विकास अधिकारियों के लिए, जिनका पारिश्रमिक उक्त प्रतिशत से अधिक बैठता है, तीन वर्ष का संक्रमण काल रखा गया है। ताकि वे इस शर्त को पूरा कर सकें। जो विकास अधिकारी निर्धारित लागत मानकों का पालन नहीं कर सकेंगे उनके पारिश्रमिक का समायोजन इस प्रकार कर दिया जाएगा जिससे उसे निर्धारित लागत अनुपात के अन्तर्गत ले आया जा सके। उन विकास अधिकारियों को, जिनके पारिश्रमिक का इस प्रकार लगातार तीन वर्ष तक समायोजन किया जाएगा, नौकरी से हटा दिया जाएगा। इसके अलावा, यदि निर्धारित लागत मानक लागू करने पर विकास अधिकारी का मूल वेतन संबंधित ग्रेड के न्यूनतम वेतनमान में निर्धारित नहीं किया जा सकता हो, तो सक्षम अधिकारी द्वारा उसे "कारण बताओ नोटिस" देने के बाद नौकरी से हटाया जा सकता है। कुछ विकास अधिकारियों को नौकरी से हटाए जाने के नोटिस दिए गए हैं, परन्तु उनकी ठीक ठीक संख्या तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ). विकास अधिकारियों की सेवाओं की संशोधित शर्तों के खिलाफ, जिनमें नौकरी से हटाने की धारा शामिल है, कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मामले पर विचार किया जा रहा है।

Purcahse of Lac by STC in Ranchi

*403. **Shri Karia Munda** : Will the **Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether Government purchase lac through State Trading Corporation ; and

(b) whether S. T. C. purchases lac from Ranchi in adequate quantity to meet its demand in the conutry ?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) : (a) Yes, Sir.

(b) Purchase operations of STC are not made with preference to domestic demand of lac. Purchase of lac under this scheme is related to the requirment of exports. The domestic demand of lac and its products is a small one.

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये जाने वाले नकद ऋणों पर ब्याज की दर में अन्तर

*404. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये जाने वाले नकद ऋणों पर ब्याज की दर में कोई अन्तर है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों और कुल मिलाकर 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक सावधिक और मांग देनदारियों वाले बैंकों के लिए, ऋण पर ब्याज की न्यूनतम दर 12.5 प्रतिशत और अधिकतम दर 16.5 प्रतिशत निर्धारित की है। इन दरों में ब्याज कर शामिल है।

ऋण देने की न्यूनतम और अधिकतम दरों के इस व्यापक ढांचे के भीतर प्रत्येक बैंक साधन जुटाने की लागत, ऋण के वितरण, प्रतिष्ठान के व्यय, ऋण के प्रकार और मात्रा आदि के आधार पर ब्याज की अपनी दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है।

राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप अन्न की सरकारी वसूली के वित्त पोषण के लिए ऋण; भारतीय ऋण गारण्टी निगम की गारण्टी योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले प्राथमिक क्षेत्रों को निर्धारित सीमाओं के ऋण; विभेदी योजना के अधीन ऋण जैसे ऋणों के कुछ वर्गों को ऋण की न्यूनतम ब्याज दर के प्रवर्तन से छूट दे दी गई है। बैंकों से ऋणों के इन वर्गों पर रियायती दर से ब्याज लेने की आशा की जाती है।

विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा स्वदेश धन भेजा जाना

2873. **श्री डी० बी० चन्द्रे गौडा** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा भारत को अनधिकृत रूप से धन भजे जाने के मामलों में कमी आई है; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में इसमें कितनी कमी आई है; और

(ग) भारत सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी हां।

(ख) इस कमी का ठीक ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(ग) सरकार ने इस संबंध में कई कदम उठाए हैं अर्थात् विदेशी मुद्रा संबंधी अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का किया जाना। अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए कई योजनाओं का शुरू किया जाना जैसे (क) अनिवासी (बाहय) खाते खोलना, (ख) विदेशी करेंसी (अनिवासी) खाते खोलना, (ग) कई चुने हुए उद्योगों में नई कम्पनियों द्वारा जारी किए जाने वाले नए सामान्य शेयरों में पूंजी लगाने के अवसर प्रदान करना, (घ) विदेशों से विदेशी मुद्रा प्राप्त होने पर मोटर कार, स्कूटर, कृषि ट्रैक्टर, सीमेंट आदि के आबंटन के मामले में प्राथमिकता देना।

अनधिकृत विद्युतचालित करघे

2874. **श्री वसंत साठे :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात को जानती है कि देश के विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में अनधिकृत विद्युतचालित करघे चल रहे हैं;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार का विचार इस मामले में समुचित कार्यवाही करने हेतु इस समस्या की विकरालता और उसके रूप का अध्ययन करने के लिये एक समिति नियुक्त करने का है; और

(ग) देश में विभिन्न राज्यों में अनधिकृत विद्युतचालित करघों की समस्या से निबटने के लिये क्या प्रशासनिक कार्यवाही की जा रही है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). अनधिकृत विद्युत्चालित करघों की समस्या पर विचार करने के लिये समिति नियुक्त करने का कोई विचार नहीं है। विद्युतचालित करघा क्षेत्र के लिये एक नीति पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है जिसमें देश के अनधिकृत विद्युतचालित करघों की समस्या पर भी विचार किया जाएगा।

प्राकृतिक रबड़ के अधिक उत्पादन का अनुमान

2875. **श्री वयालार रवि :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1976-77 के दौरान देश में प्राकृतिक रबड़ का अनुमानत: कितना अधिक उत्पादन हुआ है; और

(ख) सरकार किस प्रकार इस अतिरिक्त स्टाक का निबटान करेगी और प्राकृतिक रबड़ के मूल्य स्तर को गिरने से रोकेगी ?

1988 LS—3

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) वर्ष 1976-77 के दौरान देश में प्राकृतिक रबड़ का अनुमानित उत्पादन आधिक्य लगभग 12,000 मे० टन था

(ख). सरकार ने 1976–77 में 21,000 मे०टन रबड़ के निर्यात की पहले ही अनुमति दे दी है जिसका निर्यात अभी तक जारी है। इसके फलस्वरूप लाट रबड़ (ग्रेड 3, 4 तथा 5) की कीमत जो एक बार गिरकर 520 रु० प्रति क्विंटल हो गई थी, अब बढ़ गई है और इस समय लगभग 600 रु० प्रति क्विंटल चल रही है जब कि ग्रेड 1 रबड़ के लिये अधिसूचित न्यूनतम कीमत 520 रु० प्रति क्विंटल है। प्राकृतिक रबड़ के कीमत स्तर में गिरावट रोकने के लिये बेशी रबड़ का निर्यात कर दिया जाता है। सरकार न्यूनतम कीमत में संशोधन करने के प्रश्न पर भी विचार कर रही है।

जोधपुर को विमान सेवाएं

2876. **श्री आर० डी० गट्टानी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोधपुर और दिल्ली के बीच विमान सेवाएं समाप्त करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जोधपुर को विमान सेवाएं समाप्त करने से न केवल जोधपुर और जैसलमेर के बीच पर्यटकों के यातायात में कमी हुई है बल्कि इस क्षेत्र का दौरा करने वाले अन्य यात्रियों को भी असुविधा हो रही है;

(ग) सरकार का दिल्ली. जोधपर और बम्बई के बीच कब से विमान सेवाएं पुन: चलाने का विचार है; आर

(घ) अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से सरकार का कब से बिना रुके विमान सेवाएं आरम्भ करने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) सेवा आई.सी-123/124 (बम्बई/अहमदाबाद/उदयपुर/जोधपुर दिल्ली तथा वापस) को अस्थायी तौर पर इसलिये रोक दिया गया था ताकि विमान के निर्माताओं अर्थात्—मैसर्स हॉकर सिडले एवियेशन, यू०के० द्वारा एच.एस-748 विमान बेड़े पर अपेक्षित अनिवार्य संरचनात्मक निरीक्षण कार्य किया जा सके।

(ख) और (घ). इसमें कोई संदेह नहीं कि इस सेवा को निलम्बित करने के परिणामस्वरूप यात्री जनता को कुछ असुविधा हुई है परन्तु भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट कारणों की वजह से ऐसा करना आवश्यक हो गया था। इस सेवा को 7 मई, 1977 से निलंबित किया गया था, जोकि एक ऐसी अवधि है जब इस क्षेत्र के लिये पर्यटक यातायात अपेक्षाकृत कम होता है।

(ग) सेवा के जुलाई के अंत तक पुन: आरम्भ कर दिये जाने की आशा है।

पोर्ट ब्लेयर में हवाई अड्डा

2877. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पोर्ट ब्लेयर में एक नया हवाई अड्डा स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हथकरघा क्षेत्र के अन्तर्गत उत्पादन हेतु वस्तुएं निर्धारित करना

2878. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि हथकरघा क्षेत्र के अन्तर्गत उत्पादन हेतु आरक्षित अधिकांश वस्तुओं का उत्पादन विद्युतचालित करघों द्वारा किया जा रहा है तथा राज्य सरकारें आरक्षण नियन्त्रण आदेश को लागू करने की दिशा में कुछ भी नहीं कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख). आरक्षण आदेश के कुछ उल्लंघनों की सूचना मिली है और राज्य सरकारें, इन उल्लंघनों के सम्बन्ध में आरक्षण आदेश के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही कर रही है तथापि उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि वे और अधिक सतर्क रहें और इन आरक्षण आदेशों का कठोरतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करें ।

नगरों का वर्गीकरण

2879. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मकान किराया भत्ता तथा अन्य भत्ते देने के उद्देश्य से देश में नगरों को 'ए', 'बी', 'सी', 'डी' आदि श्रेणी में वर्गीकृत करने हेतु क्या मापदण्ड निर्धारित किया गया है;

(ख) इन नगरों को पिछली बार किस वर्ष में वर्गीकृत किया गया था तथा विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत नगरों की सूची क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में ग्वालियर को 'बी' श्रेणी का नगर घोषित करने का है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते और प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते की अदायगी के प्रयोजन के लिए नगरों

को पिछली दस वर्षीय जनगणना में बताई गई जनसंख्या के आधार पर निम्न प्रकार से ए, बी-1, बी-2 और सी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :—

श्रेणी	जनसंख्या मापदण्ड
ए . . .	16 लाख से अधिक
बी-1 . . .	8 लाख से ऊपर किन्तु 16 लाख से अनधिक ।
बी-2 . . .	4 लाख से ऊपर किन्तु 8 लाख से अनधिक ।
सी . . .	50,000 और उससे ऊपर किन्तु 4 लाख से अनधिक ।

जबकि मकान किराए भत्ते की अदायगी के लिए नगर के नगरपालिका क्षेत्र की जनसंख्या को ही हिसाब में लिया जाता है, लेकिन प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते की अदायगी के लिए नगर के शहरी, समूह जहां भी यह हो, की जनसंख्या को इस प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जाता है । किन्तु जहां ऐसा शहरी समूह नहीं होता है, प्रतिपूर्ति भत्ते की अदायगी के लिए भी नगर का वर्गीकरण नगर के नगर-पालिका क्षेत्र की जनसंख्या पर आधारित होता है ।

(ख) तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में नगरों को पिछली बार 1974 में वर्गीकृत किया गया था । मकान किराया भत्ते और प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते की अदायगी के लिए वर्गीकृत नगरों की अदायगी सूचियां संलग्न हैं । **[ग्रन्थालय में रखी गई देखिये** संख्या एल०टी०-642/77].

(ग) 1971 की जनगणना में बताए गए अनुसार ग्वालियार के शहरी समूह की जनसंख्या के आधार पर, ग्वालियर को पहले से ही बी-2 श्रेणी नगर के रूप में वर्गीकृत किया हुआ है और वह केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते की अदायगी के लिए पात्र है किन्तु मकान किराए भत्ते की अदायगी के लिए, चूंकि 1971 की जनगणना के अनुसार ग्वालियर नगर की जनसंख्या 4,00,000 से अधिक नहीं है, इसलिए इसे केवल 'सी' श्रेणी नगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

'कास्ट एक्रिलिक' शीटों का निर्यात आयात

2880. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से 'कास्ट एक्रिलिक' शीटों का कोई निर्यात अथवा आयात होता है; और

(ख) यदि हां, तो देशीय उत्पाद तथा आयातित उत्पाद का मूल्य कितना-कितना है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) गैर-पलाइज्ड एक्रीलिक शीटों के आयात की अनुमति नहीं है, लेकिन एक्रीलिक बटन विनिर्माताओं को प्लाइज्ड एक्रीलिक शीटों का सीमित आधार पर आयात करने की अनुमति है ।

1975–76 तथा 1976–77 (अप्रैल-फरवरी 77) के दौरान पोलीएक्रीलेट शीट के आयात और निर्यात हुए ।

(ख) 1976–77 के दौरान आयातित पोलीएक्रीलेट शीटों की औसत कीमत 5.43 रुपये प्रति कि०ग्रा० थी। स्वदेशी एक्रीलिक शीट की कीमत शीट की मोटाई तथा आकार के अनुसार अलग अलग होती है। आमतौर पर 3'× 4' की मोटाई 3 मि० मी० की एक शीट (लगभग 4 किलो वजन वाली) की लागत 100 रुपये से 150 रुपये के बीच होती है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की आसान ऋण नीति

2881. **श्री टी० एस० शृंगारे** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने वर्ष 1976–77 के दौरान पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण के लिये केन्द्रीय सरकार की "आसान ऋण नीति" का अनुसरण किया है;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने कितनी राशि का भुगतान किया; और

(ग) विशेष रूप से औरंगाबाद, भीर, नांदेड़ परबनी और ओसमानाबाद जिलों में, जिन्हें योजना आयोग ने पिछड़े क्षेत्र घोषित किया है, इन बैंकों द्वारा अब तक कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग). सम्भवतः माननीय सदस्य ने राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की पुर्नतित योजना के अधीन औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में रियायती दर पर दिये गये ऋणों का उल्लेख कर रहे हैं । राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में, विशेष रूप से औरंगाबाद, भीर, नान्देड़, परबनी और उस्मानाबाद जिलों में इस प्रकार के कोई ऋण दिये गये हों तो उनके बारे में यथा सम्भव सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

कोयला उद्योग में जमा पूंजी निवेश

2882. **श्री के० प्रधानी** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में अधिमान और इक्विटी शेयर पूंजी तथा सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये गये दो दीर्घवाधि ऋण के रूप में कोयला उद्योग में किये गये नये पूंजी निवेश की राशि कितनी है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय औद्योगिक पुर्ननिर्माण निगम, भारतीय औद्योगिक

वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ने ना तो कोयला उद्योग में तरजीही और सामान्य शेयर पूंजी के रूप में नया निवेश किया है और न ही इस उद्योग को दीर्घ अवधि के ऋण प्रदान किये है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और जीवन बीमा निगम सम्बन्धी सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

Office of International Airports Authority of India

2883. Shri Mahi Lal: Will the **Minisier of Tourism aad Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the office of International Airports Authority of India is being shifted from 32, Ferozeshah Road, New Delhi to Yashwant Place ;

(b) whether the rent of the accommodation in Yashwant Place is more than the rent of the accommodation available in Rajendra Place, Karol Bagh, Connaught Place and Red Cross Building ; and

(c) if so, the reasons for taking on rent at an exorbitant rate at a place very far from Connaught Place or Red Cross Road which are nearer the Ministry concerned ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) Yes, Sir. The present building at 32 Ferozeshah Road is being vacated by the International Airports Authority of India as the Delhi Development Authority has not agreed to International Airports Authority of India's request to their continued occupation of these premises.

(b) and (c). The rent of accommodation at Yashwant Place, which belongs to New Delhi Municipal Committee, is less than that of the Red Cross Building. Rajendra Place was not considered by the Authority due to its remoteness and the required accommodation was not available at Connaught Place or Karol Bagh.

दिल्ली अर्बन कोआपरेटिव बैंक, दिल्ली

2884. **श्री सत्यदेव सिंह : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली अर्बन कोआपरेटिव बैंक, राणा प्रताप बाग, दिल्ली को कुल आस्तियां और देयताएं क्या रहीं हैं और उसके चेयरमैन और सैक्रेटरी के नाम क्या हैं;

(ख) क्या बैंक द्वारा अपने सदस्यों को ऋण के भुगतान के मामले में बहुत अनियमितताएं की जा रही हैं;

(ग) क्या कुछ व्यक्तियों को सदस्य बनने के दिन ही अथवा बैंक के सदस्य के रूप में नाम दर्ज करने से पहले ही ऋण दे दिये गये थे; और

(घ) बैंक के दोषी सदस्यों के विरुद्ध कुल कितने मामले न्यायालयों में विचाराधीन पड़े हैं और बैंक के कार्यकरण में सुधार करने और उस पर निगरानी रखने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) बैंक की 30–6–1975 को लेखापरीक्षित कुल आस्तियां तथा देयताएँ अनुबन्ध में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 643/77] उसके चेयरमैन तथा सेक्रेटरी के नाम ये हैं :—

वर्ष	चेयरमैन	सैक्रेटरी
1974–75	श्री आर० सी० पाठक	श्रीमती कमलेश
1975–76	श्री के० एस० राणा	श्री टी० सी० गुप्त
1976–77	श्री के० एस० राणा	श्री डी० कुमार

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1975 तथा 1976 के वर्षों में किए गए निरीक्षणों से बैंक के सदस्यों को ऋण देने में हुई कुछ अनियमितताओं का पता चला है।

(ग) दिल्ली प्रशासन के ध्यान में इस प्रकार के कोई दष्टांत नहीं लाए गए हैं।

(घ) दिल्ली सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1972 की धारा 60 के अन्तर्गत दोषी सदस्यों के विरुद्ध पंचनिर्णय के लिए दायर किए गए अनिर्णीत मामलों की संख्या 28 है। बैंक के कार्यकरण में सुधार के लिए अन्य बातों के साथ-साथ नीचे दिए गए उपाय किए गए हैं :—

(1) बैंकिंग रेग्युलशन एक्ट के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण रिपोर्टों में बताई जाने वाली अनियमिततायें सुधारात्मक उपाय करने के लिए बैंक के ध्यान में लाई जाती हैं।

(2) ऋण मंजूर करने के बारे में बैंक को मार्गदर्शक सिद्धान्त भेजे गए हैं और बैंक को ऐसे मामलों में बैंकिंग सिद्धान्तों का अनुसरण करना होता है।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक ने निदेशक मंडल को ऋण देने पर प्रतिबन्ध लगाए है।

कृषि विकास परियोजना के लिये विश्व बैंक से सहायता

2886. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :** क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से 17 करोड़ रुपये के खर्च से देश में कृषि विकास परियोजना आरम्भ करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इसे कब तक आरम्भ कर दिया जायेगा; और

(घ) विश्व बैंक से कितनी सहायता मिलने की संभावना है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) विश्व बैंक से सहायता के लिए 17 करोड़ रुपए की लागत वाली कोई परियोजना तैयार नहीं की गई है। किन्तु ऐसी बहुत सी कृषि विकास परियोजनायें हैं, जिनके लिए विश्व बैंक से सहायता ली गई है।

(ख) से (घ). ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

WORLD BANK LOAN FOR OIL INDUSTRY

2887. Shri Krishna Kumar Goyal : Will the **Minister of Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) whether Government have under considerration any proposal of the world Bank for loan for the Oil Industry in the country; and

(b) if so, the names of the project s for which the loan will be utilised and the terms and conditions of the loan including the rate of interest)and) date of repayment thereof ?

The Minister of Finance & Revenue & Banking (Shri H. M. Patel) :

(a) No proposal of the World Bank for finncing Oil Industry in the country is currently under consideration of the Government. However, recently the World Bank agreed to a loan of £ 150 million for Phase III of Bombay High. This loan will be repayable in 20 years and carry interest of 8.2 percent per annum.

(b) Does not arise.

राजनीतिक दलों की स्मारिकाओं में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा दिये गये विज्ञापनों पर खर्च

2888. **श्रीमती पार्वती कृष्णन् :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों से कहा है कि वे गत तीन वर्षों के दौरान देश में राजनीतिक दलों द्वारा स्मारिकाओं तथा बुलेटिनों में विज्ञापनों के प्रकाशन पर किये गये भुगतान का ब्यौरा दें; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को ऐसे कोई अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं।

(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

कोका कोला कम्पनी द्वारा भारत से बाहर भेजी गई धनराशि

2889. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोका कोला कम्पनी ने गत तीन वर्षों के दौरान रायल्टी, ब्याज आदि विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत विदेशों में स्थित अपने मूल संगठन कोका कोला निर्यात निगम को भारत से कितनी धनराशि भेजी है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : कोका कोला निर्यात निगम, नई दिल्ली को जो रकमें बाहर भेजने की अनुमति दी गई है, उनके आंकड़े इस प्रकार हैं :—

(रुपए)

वर्ष	लाभ	मुख्य कार्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालय खर्च	सेवा प्रभार	आयात	जोड़
1973	76,10,075 (1971)	—	—	18,54,348	94,64,423
1974	81,36,798 (1972)	35,49,505	—	6,71,549	1,23,57,852
1975	71,23,076 (1973)	—	—	15,76,737	86,99,813
जोड़	2,28,69,949	35,49,505	—	41,02,634	3,05,22,088

वर्ष 1975 के बाद की अवधि के लिए कोई रकम बाहर भेजने की अनुमति नहीं दी गई। कंपनी को रायल्टी अथवा ब्याज के अंतर्गत रकमें बाहर भेजने की अनुमति नहीं दी गई है।

फर्मों द्वारा पूंजी जुटाना

2890. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 36 फर्मों को केवल मई 1977 में 27 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो जिन फर्मों को पूंजी जुटाने की अनुमति दी गई उनके नाम क्या हैं;

(ग) क्या उक्त फर्मों ने पूंजी जुटाने की अनुमति के लिये निर्धारित शर्तें पूरी की हैं;

(घ) प्रत्येक कम्पनी को कितनी पूंजी जुटाने की अनुमति दी गई है; और

(ङ) पूंजी जुटाने से देश को कितना लाभ होगा ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) मई के महीने के दौरान पंजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम के अन्तर्गत 44 गैर-सरकारी कम्पनियों को 26.25 करोड़ रुपए की सीमा तक पूंजी जुटाने की अनुमतियां दी गई थीं।

(ख) और (घ). एक अनुबंध संलग्न है जिसमें उन कम्पनियों के नाम और प्रत्येक कम्पनी द्वारा जुटाई जाने वाली रकम का ब्यौरा दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०–644/77.]

(ग) जी, हां।

(ङ) बोनस शेयरों के मामले में उद्देश्य यह है कि कारबार में शेयरधारियों की अवरुद्ध पूंजी को कारबार में लगी कुल पूंजी के और निकट लाया जाए। नए शेयर जारी करने के मामले में, जुटाई जाने वाली प्रस्तावित रकम, ऋणों और सामान्य शेयर पूंजी के उपयुक्त अनुपात के अनुरूप, नई औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करने अथवा वर्तमान औद्योगिक एककों का विस्तार करने के प्रयोजन से वित्त व्यवस्था करने के लिए जरूरी होती है। इस प्रकार, पूंजी जुटाने का देश के औद्योगिक विकास में योगदान होता है। कुछ मामलों में, शेयर केवल भारत के निवासियों के नाम ही जारी किए जाते हैं ताकि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत अनिवासी शेयरों को निर्धारित सीमा तक कम किया जा सके।

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण का कार्यकरण

2891. **श्री चित्त बसु** : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें 3 अप्रैल, 1977 को भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड (आई०आर०सी०आई०) के कार्यकरण के बारे में कोई ज्ञापन मिला है;

(ख) क्या इस बारे में अब तक कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की गई है और इसके क्या परिणाम रहे ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग). 3 अप्रैल, 1977 को, "भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम कर्मचारी संघ" से भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम के कार्यचालन के बारे में सरकार को एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। इस ज्ञापन में निगम के कार्यचालन में सुधार के कुछ सामान्य सुझाव देने के अलावा आर० एन० सेन समिति की सिफारिशों के, जिसे अपने कार्यचालन की जांच करने के लिए निगम ने नियुक्त किया था, शीघ्र कार्यान्वयन पर जोर दिया गया है। सरकार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड के परामर्श से इस समिति की सिफारिशों पर विचार कर रही है।

इंडियन आक्सीजन लिमिटेड

2892. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में सरकार ने इंडियन आक्सीजन लिमिटेड को निर्यात प्रधान परियोजना की स्वीकृति नहीं दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी नहीं। इस प्रस्ताव पर अभी निर्णय किया जाना है।

(ख) मैसर्स ब्रिटिश आक्सीजन लि० की सहायक इन्डियन आक्सीजन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित परियोजना में विदेशी तकनीकी सहयोग की आवश्यकता है। सरकार, इंडियन आक्सीजन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित विनिर्माण कार्य के लिए देश में उपलब्ध कार्यविधि ज्ञान की संभावना की जांच करने के लिए गठित किये गये विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है।

Expenditure on Indian Delegations Gone Abroad

2893. Shri Ugrasen : Will the Minister of Finance and Revenue & Banking be pleased to state :

(a) Whether the number of the members of Indian delegations sent to international conferences is large and considerable expenditure is incurred thereon and if so, the number of the members in the Indian delegations sent to international conferences and the expenditure incurred thereon during the last two years, separately ; and

(b) the measures being taken to effect economy in the expenditure on Indian representatives sent to international conferences ?

The Minister of Finance and Revenue & Banking (Shri H. M. Patel) : (a) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

(b) The need for achieving maximum possible economy in expenditure on deputations abroad has been continuously engaging the attention of Government. A rigorous procedure has been laid down for clearance of the proposals received from the Ministries. Strict parameters are applied in judging the necessity for a deputation abroad and the estimates of expenditure are closely scrutinised and kept to the minimum. Instructions have again been issued recently to all Ministries/Departments that visits to foreign countries should be severely curtailed.

कर्नाटक के मुख्य मंत्री और उनके परिवार के सदस्यों की आस्तियां और देनदारियां

2894. श्री एस० ननजेश गौडा : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73, 1973-74, 1974-75, 1975-76 और 1976-77 के दौरान दाखिल की गई आयकर विवरणियों के अनुसार कर्नाटक के मुख्य मंत्री, उनकी पत्नी, पुत्रियों और दामादों द्वारा घोषित आस्तियों और देनदारियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उनके द्वारा घोषित आस्तियां उनकी आय के अनुरूप नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) कर्नाटक के मुख्य मंत्री श्री देवराज उर्स द्वारा विविध वर्षों की आय-कर, धन-कर की अपनी विवरणियों में घोषित परिसम्पत्तियों तथा देनदारियों का एक विवरण-पत्र संलग्न है। उनकी पत्नी, लड़कियों, तथा दामादों

में से एक दामाद पर आय-कर/धन-कर नहीं लगता है। अन्य दो दामादों के बारे में परिसम्पत्तियों तथा देनदारियों के ब्यौरे उनके द्वारा भरी गयी आय-कर की विवरणियों में घोषित नहीं किये गये हैं उन पर धन-कर नहीं लगता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

कर-निर्धारण वर्ष	परिसम्पत्तियां	रुपये	देनदारियां (रुपये)
1972–73	धन की कोई विवरणी दाखिल नहीं की गई		
1973–74	कृषि-भमियां, कल्लाहाली में मकान, हुसुर में भूमि, शेयर, जवाहरात और नकदी . .	1,29,000	16,340
1974–75	कृषि-भूमियां, कल्लाहाली में रिहायशी मकान, राजमहल विलास एक्सटेंसन स्थित भूमि, हुंसुर में भूमि, शेयर, जवाहरात और बैंक में जमा रकमें .	1,86,398	20,014
1975–76	कृषि-भूमियां, कल्लाहाली में रिहायशी मकान, राजमहल विलास एक्सटेंसन में निर्माणाधीन रिहायशी मकान, हुंसुर स्थित भूमि, शेयर, जवाहरात और बैंक में जमा रकमें . . .	2,70,474	44,500
1976–77	कृषि-भूमियां, कल्लाहाली में रिहायशी मकान, राजमहल विलास एक्सटेंसन स्थित रिहायशी मकान, हुंसुर स्थित भूमि, शेयर, जवाहरात और नकदी .	2,54,555	44,333

भारतीय पालिएस्टर प्रयोक्ता संघ द्वारा ज्ञापन

2895. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**
श्री जी० वाई० कृष्णन् :

क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पालिएस्टर प्रयोक्ता संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने सरकार को हाल ही में कोई ज्ञापन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हाँ।

(ख) भारतीय पालिएस्टर प्रयोक्ता संघ के अभ्यावेदन पर विचार किया जा रहा है।

Export of Onions

2896. Shri Dharam Sinhabhai Patel : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether any restrictions have been imposed on the export of onion and if so, since when and the reasons therefor; and

(b) the period upto which these restrictions would remain in force ?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) : (a) & (b). The export of onions has been stopped with effect from 13-5-1977. This was done in the interest of domestic supply and keeping in check internal prices. The export policy of onions is constantly kept under review.

सहकारी कताई मिलें

2897. **डा० बापू कालदाते :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, राज्यवार, कितनी सहकारी कताई मिलें हैं; और

(ख) इन मिलों के वर्ष 1976 के लिये उत्पादन के क्या आंकड़े थे ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) सहकारी कताई मिलों की राज्यवार संख्या, निम्नोक्त प्रकार है :

राज्य	कताई मिलों की संख्या
1. आन्ध्र प्रदेश	5
2. गुजरात	5
3. कर्नाटक	4
4. केरल	1
5. मध्य प्रदेश	1
6. महाराष्ट्र	19
7. उड़ीसा	1
8. राजस्थान	1
9. तमिलनाडु	13
10. उत्तर प्रदेश	1
11. पश्चिम बंगाल	1
	52

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Air Service to Kota from Jaipur and Delhi

2898. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Kota (Rajasthan) has not been linked with Jaipur and Delhi air service as a result of which the business community is greatly inconvenienced

(b) whether several requests have been made to government in this regard during the past years ; and

(c) whether Government are taking action in the matter ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) to (c). There have been requests from time to time for an air service to Kota but due to extremely tight fleet position of Indian Airlines ; it has not been possible for the Corporation to add on any new cities to their network.

पूर्वोत्तर क्षेत्र के स्थलों का पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास

2899. **श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के उन स्थानों के नाम क्या हैं, जिनका पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास किया जा रहा है ; और

(ख) इन केन्द्रों का विकास करने के लिए एसी क्या कार्यवाही की गई है, जिससे वहां पर्यटक आकर्षित हो सकें ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) मुख्यत: उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विदेशियों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंधों के कारण, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का इस क्षेत्र में उतनी तेज़ी से विकास नहीं हुआ है जितना अन्य क्षेत्रों में। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के काज़ीरंगा (असम) तथा शिलांग (मेघालय) जैसे कुछ क्षेत्रों को क्रमश: 7 तथा 15 दिनों की अवधि के लिये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों द्वारा यात्रा करने के लिये हाल ही में आंशिक रुप से प्रतिबंधमुक्त कर दिया गया है। परंतु, इन मामलों में भी, आने वाले पर्यटकों को विनिर्दिष्ट मार्गों से ही जाना होता है ।

उपलब्ध साधनों के अंतर्गत रहते हुए, केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत इस क्षेत्र में कुछ पर्यटन योजनाओं को हाथ में लिया गया । इसके परिणामस्वरुप, दार्जिलिंग में एक युवा होस्टल तथा काज़ीरंगा और जल्दापाड़ा में एक-एक फारेस्ट लाज का निर्माण किया गया है । दार्जिलिंग में वर्तमान पर्यटक बंगले का विस्तार कर दिया गया है तथा परिवहन के लिए भी प्रावधान किया गया है ।

इनके अतिरिक्त, पर्यटन विभाग का पांचवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में दो युवा होस्टलों का, एक गंगटोक (सिक्किम) में तथा दूसरा शिलांग (मेघालय) में, निर्माण करने का भी विचार है । भारत पर्यटन विकास निगम का भी गौहाटी में एक 50 शय्याओं वाले होटल का निर्माण करने का विचार है ।

पर्यटन विभाग द्वारा प्रकाशित पर्यटन साहित्य में प्रचार के लिये उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन रुचि के चुने हुए स्थान सम्मिलित हैं ।

जयपुर हवाई अड्डे पर 'हैमिल्टन' हैंगर

2900. **श्री रोबिन सेन :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जयपुर हवाई अड्डे पर स्थित हैमिल्टन हैंगर को तोड़ दिया गया है और 'ट्रसिज' और शीटों के हवाई अड्डे पर ढेर लग पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके लिए कौन उत्तरदायी है;

(ग) इससे कितनी हानि हुई ; और

(घ) उक्त मामले के अन्तर्गत दोषी व्यक्तियों को सजा देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (घ). मामले की जांच की जा रही है तथा इस मामले के तथ्य सभा पटल पर रख दिये जाएंगे ।

मालाबार स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल, कालीकट

2901. **डा० बी० ए० संयद मोहम्मद :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यदि केरल सरकार कालीकट स्थित मालाबार स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल को अपने नियंत्रण में लेती है जो काफी अर्से से बन्द पड़ी है और जिसके कारण लगभग एक हजार श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं, तो केरल सरकार के "कैटेलिस्ट" (उत्तप्रेरक) के रूप में केन्द्रीय सरकार का क्या सहायता करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : अगर राज्य सरकार से मालाबार स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स को उसके प्रबन्ध के अधीन पुनः चालू करने के लिए वित्तीय दृष्टि से सक्षम कोई प्रस्ताव आता है तो केन्द्रीय सरकार यथासंभव सभी आवश्यक सहायता देगी ।

गैर-सरकारी रक्त बैंकों द्वारा आयकर अपवंचन

2902. **डा० सरदीश राय :** क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विदेश में गैर-सरकारी रक्त बैंकों में बड़े पैमाने पर आयकर अपवंचन होता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) तथा (ख). एक प्राइवेट ब्लड बैंक का मामला नोटिस में आया है जिसमे बैंक द्वारा कर का अपवंचन किये जाने का सन्देह है । आवश्यक पूछताछ की जा रही है ।

गोआ में पर्यटन का विकास

2903. **श्री एडुआर्डो फैलीरो :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गोआ में पर्यटन की काफी सम्भावनायें हैं और वहां भारी संख्या में देशी तथा विदेशी पर्यटक जाते हैं ; और

(ख) वहां पर्यटन का विकास करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख). गोवा, में पर्यटन के, विशेषतया समुद्रतटीय पर्यटन के विकास के लिए गोवा, दमन और दीव सरकार का एक वैधानिक (स्टेट्यूटरी) गोवा पर्यटन विकास प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव में यह भी अपेक्षा की गयी है कि इस प्राधिकरण को वित्तीय सहायता केन्द्रीय सरकार तथा गोवा, दमन और दीव सरकार द्वारा संयुक्त रूप से दी जाएगी।

जल-क्रीड़ा के लिये उपयुक्त क्षेत्रों के निर्धारण के लिये गोवा में समुद्रतटीय क्षेत्रों का एक जल सर्वेक्षण (हाइड्रोग्राफिक सर्वे) प्रारंभ किया गया है। इस काम का एक अंश नौवहन व परिवहन मंत्रालय को लघुपत्तन सर्वेक्षण संस्था (माइनर पोर्ट्स सर्वे आर्गनाइजेशन) द्वारा पहले ही पूरा किया जा चुका है।

इस बीच, गोवा, दमन और दीव सरकार ने कालांगुटे तथा कालवा समुद्रतटों पर सस्ते आवास की व्यवस्था कर दी है।

केरल राज्य इलेक्ट्रोनिक विकास निगम द्वारा ज्ञापन

2904. **श्री एम० एन० गोविन्दन नायर :** क्या वित्त तथा राजस्व **और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य इलेक्ट्रोनिक विकास निगम ने केन्द्रीय सरकार से सरकारी क्षेत्र में स्थित 'कल्ट्रोन' जैसी विपणन एजेंसी को उत्पादन शुल्क से मुक्त करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) केन्द्रीय सरकार को केरल राज्य इलेक्ट्रोनिक विकास निगम से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है।

(ख) सरकार ने इस प्रश्न को स्वतंत्र रूप से जांच की थी, और 1977 के बजट प्रस्तावों के अंग के रूप में राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम की ओर से लघु उद्योग एककों में निर्मित रेडियो और ट्रान्जिस्टर सेटों पर उत्पादन शुल्क को रियायती दरें निर्धारित की गई हैं।

श्री संजय गांधी द्वारा इंडियन एयरलाइंस का विमान उड़ाया जाना

2905. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी के पुत्र श्री संजय गांधी, अपनी मां की सरकारी स्थिति का दुरुपयोग करते हुए, इंडियन एयरलाइन्स का विमान गैर-कानूनी ढंग से उड़ाया करते थे;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने कितनी बार इस प्रकार से विमान उड़ाया ; और

(ग) भूतपूर्व प्रधान मंत्री और उनके पुत्र के विरुद्ध सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : नागर विमानन विभाग के विमान सुरक्षा निदेशक, श्री वी० चेलप्पा की रिपोर्ट के अनुसार, 25—12—1976 को हैदराबाद से तिरुपति तथा विजयवाड़ा तक की उड़ान के दौरान श्री संजय गांधी इंडियन एयरलाइंस के एक विमान में विमानचालक की सीट पर बैठे थे परन्तु उन्होंने विमान का नियंत्रण अपने हाथ में नहीं लिया । ऐसा और कोई मामला इंडियन एयरलाइंस के नोटिस में नहीं आया है ।

(ग) नागर विमानन के महानिदेशक ने वायुयान नियम, 1937 का उल्लंघन करने के कारण श्री संजय गांधी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही आरंभ कर दी है ।

आयकर विभाग में सतर्कता-मामलों का निपटारा

2906. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग में बहुत से सतर्कता-मामलों के निपटारे में विलम्ब हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने मामले अनिर्णीत हैं और उनको शीघ्र निपटाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) (क) तथा (ख): आय-कर विभाग में *विभागीय* कार्यवाहियों के विचाराधीन पड़े मामलों की संख्या 224 है जिसमें ईमानदारी की कमी के आरोपों वाले सतर्कता सम्बन्धी मामले भी शामिल हैं ।

विचाराधीन मामलों का अवधि-वार ब्यौरा इस प्रकार है :—

एक वर्ष से कम के मामले	109
एक और दो वर्षों के बीच के मामले	57
दो और तीन वर्षों के बीच के मामले	30
तीन वर्ष तथा उससे अधिक के मामले	28

नई दिल्ली में जून 1977 के प्रथम सप्ताह में आयोजित आयकर आयुक्तों के पिछले सम्मेलन में इन कार्यवाहियों में सभी स्तरों तथा सभी स्थलों पर होने वाले विलम्ब को दूर करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था ।

इन मामलों से निपटाने के लिये केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण), नियन्त्रण तथा अपील नियमावली, 1965 के अन्तर्गत निर्धारित विस्तृत कार्यविधि के कारण कुछ विलम्ब हो जाता है ।

अधिकारियों के विरुद्ध चल रहे मामलों के निपटान में समय मुख्यतया इसलिए लगता है कि एक मामले को तैयार करने में विभिन स्तरों पर एक से अधिक संगठन, जैसे, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, केन्द्रीय सतर्कता आयोग और संघ लोक सेवा आयोग, सहसम्बद्ध होते हैं ।

फिर भी ऐसे मामलों को शीघ्र निपटाने के लिये विभिन्न स्तरों पर कार्यवाही पूरी करने के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि आरोप-पत्रों को ठीक ढंग से तैयार किया जाता है ताकि मामलों में उलझन पैदा होने की संभावना नहीं हो और उससे विलम्ब नहीं हो। मामलों पर शीघ्र कार्यवाही की आवश्यकता के बारे में जांच अधिकारियों तथा अनुशासनीय प्राधिकारियों को भी समुचित निर्देश दे दिये गये हैं।

खाड़ी के देशों से आने वाले भारतीयों को बम्बई के सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा परेशान किया जाना

2907. **श्री वी० एम० सुधीरन :**

श्री वयालार रवि :

क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बम्बई के सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा खाड़ी के देशों से आने वाले भारतीयों को परेशान किये जाने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : खाड़ी के देशों से आने वाले भारतीयों द्वारा सीमाशुल्क निकाशी में अनुभव की गई देरियों तथा कठिनाइयों के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। विशिष्ट शिकायतों की जांच की गई है। अधिकांश मामलों में पाया गया कि शिकायत कर्ताओं ने अनुज्ञेय सीमाओं से अधिक माल का आयात किया था और इसके परिणामस्वरुप निकासी में देर हुई।

नेकरीगरी से आने वाले यात्रियों की कठिनाइयों को हल करने के लिए, सीमाशुल्क कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, नियमों तथा अनुदेशों का पुनरीक्षण, निकासी कार्यविधि का सरलीकरण और अधिक प्रभावी पर्यवेक्षण करना जैसे अनेक उपाय किये गये हैं।

फर्मों/व्यक्तियों के विरुद्ध दस लाख रुपये से अधिक आयकर की बकाया राशि

2908. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी कम्पनियों, फर्मों तथा व्यक्तियों के नाम तथा पते क्या हैं जिन पर दस लाख रुपये से अधिक की आयकर की राशि बकाया है ;

(ख) यह राशि किस अवधि के लिये है; और

(ग) उस राशि को वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) 30–6–76 की स्थिति के अनुसार, किन व्यक्तियों के खिलाफ 10 लाख रु० से अधिक के आयकर की मांगें बकाया पड़ी हैं उन सभी व्यक्तियों के नाम अनुबन्ध में दिये गये हैं । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 645/77]**

(ख) यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(ग) : आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के साथ पठित उसके अध्याय XVII–घ में किये गये उपबन्धों के अनुसार, प्रत्येक मामले के तथ्यों और उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए, कर की बकाया को वसूल करने के लिए सम्बन्धित आयकर प्राधिकारियों द्वारा समय समय पर समुचित उपाय किये जाते हैं ।

प्रेमचन्द जूट मिल में श्रमिक संघ के नेताओं को मुअत्तल किया जाना

2909. **श्री समर मुखर्जी :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात को जानती है कि प्रेमचंद जूट मिल के प्रबंधकों ने गत वर्ष श्रमिकसंघ के 59 नेताओं और कार्यकर्ताओं को बिना निर्वाह-भत्ता दिये मुअत्तल कर दिया था ताकि मिल मजदूर मजूरी में कटौती को मान जायें ; और

(ख) यदि हां तो उनके विरुद्ध मुअत्तली के आदेश वापिस लेने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) प्रेमचन्द्र मिल के, जिसमें इस समय औद्योगिक विवाद के कारण तालाबन्दी चल रही है, 59 कर्मचारियों को प्रबन्धक वर्ग द्वारा अभिकथित हमले, धीरे काम करने तथा अनुशासनहीन आचरण के आरोपों पर मुअत्तिल कर दिया गया था ।

(ख) तब से अब तक कुछ कर्मचरियों को वापिस ले लिया गया है और बताया जाता है कि इस समय 37 कर्मचारी मुअत्तिल चल रहे हैं । इस औद्योगिक विवाद को सुलझाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार उपाय कर रही है ।

स्विस बैंकों में विदेशी खाते

2910. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्विस बैंकों में विदेशी खाते किसी "कोड" प्रणाली के अन्तर्गत रखे जाते हैं और खातों के बारे में जानकारी नहीं दी जाती ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार के पास ऐसी जानकारी है कि स्विस बैंकों में भारतीयों के खाते हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(घ) क्या इन बैंकों में भारतीयों के खातों के बारे में जानकारी देने के बारे में सरकार ने स्विस सरकार के साथ कभी बातचीत की है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस मामले को किसी अन्तर्राष्ट्रीय संघ पर उठाने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) (क) और (ख). जी, हां। उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसे खातों के मामले में बैंक की बहियों में केवल खाता संख्या ही दी जाती है, खाताधारी का नाम-पता नहीं दिया जाता। रकम निकालने के लिए आमतौर पर कोड का ही इस्तेमाल किया जाता है और रकम निकलवाने वाले व्यक्ति को कोड में हस्ताक्षर करने होते हैं, जिसका मिलान बैंक में रखे नमूना-हस्ताक्षर से किया जाता है। स्विस कानूनों के अन्तर्गत केवल स्विस अदालत के आदेशों को छोड़ कर, बैंक के प्रत्येक अधिकारी को अपने खाताधारी के खाते का किसी भी प्राधिकारी को ब्यौरा देने की मनाही है। अनधिकृत रुप से जानकारी देना एक दंडात्मक अपराध है, जिसकी सजा केद है।

(ग) : जी, हां। यह सूचना आम किस्म की है और स्विटजरलैण्ड के बैंकों में भारतीयों के नम्बरों में रखे खातों के संबंध में कोई विशिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) : ऐसे खातों के बारे में विस्तृत जानकारी लेने के विचार से स्विस सरकार के अधिकारियों के साथ 28 जून से 2 जुलाई 1976 तक बातचीत की गई थी, जिसका उद्देश्य यह था कि दोहरे कराधान से बचने के लिए एक व्यापक करार किया जाए जिसमें 'सूचना का आदान-प्रदान' पर भी एक अनुच्छेद हो। स्विस सरकार 'सूचना का आदान-प्रदान पर विशिष्ट अनुच्छेद के लिए सहमत नहीं थी।

विकसित और विकासशील देशों के बीच कर सन्धियों से सम्बन्ध संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों के दल में होने वाली बातचीत में भारत इस बात की वकालस करता रहा है कि किन्हीं दो देशों के बीच दोहरे कराधान से बेचने के लिए किए जाने वाले करार में 'सूचना का आदान-प्रदान' पर अनुच्छेद बहुत व्यापक होना चाहिए ताकि करार करने वाले देश यथासंभव सूचना प्राप्त कर सकें। भारत इस बात की भी वकालत करता रहा है कि दोहरे कराधान से बचने के लिए व्यापक करार होने तक सूचना के आदान-प्रदान के लिए व्यवस्था करने के प्रयोजन से सीमित करार कर लिए जाएं। भारत और स्विटजरलैण्ड दोनों इस ग्रुप के सदस्य हैं।

अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकले हैं।

Tax Evasion By Birla Group

2911. Shri Hukam Deo Narain Yadav : Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to State :

(a) the amount of each of the Central taxes outstanding against Birla group upto 1976 ;

(b) whether an enquiry into the tax evasion was conducted ;

(c) if so, whether they were found guilty ; and

(d) who conducted the enquiry and when ?

The Minister of Finance & Revenue & Banking (Shri H. M. Patel) : (a) The amount each of Direct Taxes outstanding against Birla Group as on 1st April, 1977 is as under :

(Rupees in lakhs)

Income tax	Wealth Tax	Gift Tax	Sur-Tax
339	6.82	0.27	24

Arrears of Customs/Central Excise revenue outstanding against Birla Group are being collected and will be laid on the Table of the House.

(b), (c) & (d). The investigations that are being conducted against the Birla Group by the Officers of the Income-tax Department are coordinated by the Special Cell of the Directorate of Inspection (Investigation) at Delhi. Substantial additions have been made to the income/wealth/gifts declared. Penalty proceedings have been initiated wherever warranted.

Information in regard to parts (b) to (d) of the question relating to the action taken, if any, by the Customs and Central Excise authorities is being collected and will be laid on the Table of the House.

Elimination of Vested Interests From Cooperatives

2912. Shri Jagdambi Prasad Yadav : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies And Cooperation** be pleased to State :

(a) whether Government propose to take any concrete steps to eliminate vested interests from cooperatives ;

(b) whether the vested interests have adversely affected the cooperatives and it has become difficult to run cooperative like the Bihar Cooperative Bank and the Bihar State Krayvikray Sangh Bank (Marketing Union) in Bihar ; and

(c) Whether Government propose to set up a Commission to enquire into the matter ?

Minister of Commerce and Civil Supplies & Cooperation (Shri Mohan Dharia) : (a) to (c). Cooperation is a State subject and the State Governments are responsible for the supervision of and guidance to the cooperative societies in the States. The Central Government have, however, from time to time, been issuing guidelines to the States for making suitable modifications to their cooperative laws so as to make cooperatives responsive to the needs of the people and with a view to ensuring that the management of a cooperative does not tend to be perpetually dominated by any one or a group of individual. The Conference of Chief Ministers and Ministers of Cooperation held in June, 1968 and subsequent Minister's Conference suggested certain measures for curbing the growth of vested interests in cooperatives relating to exclusion of money lenders from becoming members of cooperative societies, reservation of seats on the board of management of cooperatives for weaker sections, restriction of holding office simultaneously in a number of institutions and on terms of holding offices, regulation of loans to office bearers, regular election by an independent authority, independent tribunals, etc. Most of the States have already implemented these recommendations.

There is no proposal to set up a Commission to enquire into the issue of vested interests in cooperatives. The State Governments are expected to make necessary enquiries and take corrective steps.

पर्यटन का संवर्धन विषयक गोष्ठी

2914. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल के तीसरे सप्ताह में नई दिल्ली में पर्यटन के संवर्धन के बारे में विश्व के पर्यटन संगठनों की एक गोष्ठी हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस गोष्ठी द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों के बारे में तथ्य क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) : जी, हां।

(ख) विश्व पर्यटन संस्था के तत्वावधान में 19 से 22 अप्रैल, 1977 तक नई दिल्ली में हुई 'पर्यटन संवर्धन' विषयक विचार-गोष्ठी के परिणाम तथा सिफारिशें मुख्यत: निम्न प्रकार हैं :—

1. विकासशील देशों को एक ऐसी नीति निर्धारित करनी चाहिये जिससे कि वे धनी पर्यटकों तथा मध्य एवं निम्न आय वर्गीय यात्रियों के लिय, चाहे व विदेशी हों या अंतर्देशीय, अपेक्षित आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था कर सकें।

2. परंतु, विदेशी विशषत : औद्योगीकृत सोसाइटियों से आने वाले यात्रियों के संबंध में, मध्य एवं निम्न आय वर्गों जसे शब्दों के अर्थों को, स्वागतकर्त्ता देशों की मूल्य संरचना की दृष्टि से, अधिक सूक्ष्मता से परिभाषित करने की आवश्यकता है।

3. विदेशी तथा अंतर्देशीय पर्यटकों के लिए सर्जित आधारभूत उपादानों तथा सुविधाओं का समुचित सम्मिश्रण एक अभीष्ट लक्ष्य है, क्योंकि इससे विश्व के लोगों में और अधिक सौहार्द एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान के संबंध स्थापित होते हैं।

4. प्रत्येक देश के लिय एक एसा नीति निर्धारणात्मक पूर्व-निर्णय लेना आवश्यक है कि क्या वह अपने आर्थिक विकास के अंग के रूप में वस्तुत : पर्यटन की अभिवृद्धि करना चाहता है ; यदि हां, तो वह इस कार्य को कौन से स्तर की अग्रता प्रदान करना चाहता है और किस प्रकार के पर्यटन की अभिवृद्धि करना चाहता है।

5. यदि पर्यटन का विकास सफलतापूर्वक करना है तो इसे कम से कम वही अग्रता एवं प्रोत्साहन दिय जाने चाहिएं, जो अर्थ-व्यवस्था के अन्य महत्वपूर्ण अंगों को दिय जाते हैं।

6. बहरहाल, अधिकतम आर्थिक एवं सामाजिक लाभ प्राप्त करने तथा पर्यावरण को दूषण एवं क्षति से बचाने इन दोनों ही दृष्टियों, से पर्यटन के विकास को सुव्यवस्थित एवं योजनाबद्ध रूप प्रदान करने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है। यह निर्णय-कर्त्ताओं का कर्तव्य होगा कि वे एक ऐसी योजना का चयन करें जो आर्थिक एवं सामाजिक लाभों में और अभिवृद्धि करे अन्यथा पर्यटन की खातिर पर्यटन का संवर्धन एक निष्फल प्रक्रिया है ;

7. यह देखा गया है कि विश्वस्त व्यवहार्यता अध्ययनों के आधार पर सावधानीपूर्वक तैयार की गयी सुनियोजित पर्यटन परियोजनाएं कभी अलाभप्रद सिद्ध नहीं हुई हैं। इसके परिणामस्वरूप, पर्यटन परियोजनाओं को अब काफी

प्रतिष्ठा प्रदान की जाती हैं और वित्तीय संस्थान सहकारी समितियां तथा प्राइवेट पूंजीविनियोजनकर्ता इन्हें निधियां उपलब्ध कराने के इच्छुक रहते हैं।

8. एक राष्ट्रीय संगठन के लिय कोई निश्चित रूप अथवा ढांचा निर्धारित करना संभव नहीं है। यह स्वीकार किया गया कि एक राष्ट्रीय पर्यटन संगठन की संरचना का निर्धारण मुख्यत : प्रत्यक देश के अपने प्रशासनिक तथा आर्थिक मानकों द्वारा किया जाएगा।

9. अभिप्रेरेणात्मक अनुसधान की आवश्यकता को, विशेषत : विभिन्न प्रकार के गंतव्य स्थानों के संबंध में, सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया गया।

10. उत्पादन विकास (प्राडक्ट डवेलपमेंट) के लिय ग्राहक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। इस संदर्भ में, यह उचित समझा जाता है कि पर्यटन के आधारभूत उपादानों तथा सुविधाओं की अभिवृद्धि करने के लिय उत्तरदायी सरकारी अथवा अन्य प्राधिकारियों को यात्रा परिचालकों, वाहकों तथा होटल मालिकों जैसे सर्विसिंग एजेंटों से आयोजना की सभी अवस्थाओं में परामर्श करना चाहिये।

11. पर्यटन उद्योग की एक सुनिश्चित आवश्यकता व्यावसायिकता (प्रोफेशनेलिज्म) का विकास करना है। यह साधनों अथवा शिक्षा की कमी नहीं है बल्कि उत्पादित सामग्री की जानकारी की कमी तथा मार्किट अनुभव की कमी है जोकि राष्ट्रीय पर्यटन संगठनों तथा पर्यटन उद्योग में व्यवसायिकता की अभिवृद्धि में बाधक है क्योंकि व्यावसायिकता के लिये मार्किट अनुभव तथा उत्पादन सामग्री की जानकारी सम्मिलित है। प्रत्येक देश में प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किय जाने चाहियें तथा विशेषत : मार्किट अधिकारियों को, समय समय पर औपचारिक प्रशिक्षण के लिय जाना चाहिये।

12. विदेश स्थित अधिकारियों को पर्याप्त शक्तियां समर्पित की जानी चाहिये और उन्हें निर्णय लेने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

13. आंकड़ों का, एक मार्केटिंग उपकरण के रूप में प्रयोग करने से पहले, सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाना चाहिये।

14. अनुसंधान कार्य निरंतर रूप से किया जाना चाहिय । क्योंकि विश्वस्त अनुसंधान कार्य बहुत महंगा पड़ता है, अत : यह उचित होगा कि सहकारी आधार पर अनुसंधान अध्ययन किये जाएं।

15 उत्पादित सामग्री की क्वालिटी को बढ़ाचढ़ा कर पेश न करने को नीति की सिफारिश की जाती है।

16. मार्किट कार्यक्रम का समय समय पर पुनरीक्षण किया जाना चाहिये ताकि परिवर्तनशील मार्किट की मांगों की पूर्ति हो सके।

17. मार्किट कार्यक्रम की योजना तैयार करने में एक 'सिस्टम-एप्रोच' की जोरदार सिफारिश की गयी जिसमें प्राथमिकताएं तथा परिसीमाएं निर्धारित करना, सहायक सेवाएं तथा रिपोर्टिंग पद्धतियां सम्मिलित हैं।

18. पर्यटन के उद्भव देशों में 'कंज्यूमर मीडिया में पैसे देकर विज्ञापन को बहुत से विकासशील देशों की पहुंच के बाहर समझा गया। पी०आर० तकनीकी का अधिकाधिक प्रयोग करने का अनुरोध किया गया।

19. इस बात पर सबकी सहमति थी कि दक्षिण एशिया तथा पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में प्रादेशिक तथा अन्त: प्रादेशिक पर्यटन का उस हद तक विकास नहीं किया गया है जितना कि विश्व के कुछ अन्य क्षेत्रों में। ऐसा अशत: प्रोत्साहन प्रचार की कमी और मुख्यत: इस कारण से हुआ है क्योंकि कतिपय सरकारों ने यात्रा संबंधी औपचारिकताओं में ढील नहीं दी है अथवा 'यात्रा की स्वतंत्रता' की विचारधारा को स्वीकार नहीं किया है।

पेरहोक तथा वाह टकवार चाय बागान का कार्यकरण

2915. श्री के० बी० चेतरी : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेरहोक तथा वाह टकबार चाय बागानों के लिए, जिनका प्रबन्ध सरकार ने स्वास्थ्य और आवास के संबंध में अपने हाथ में लिया था, 1976-77 और 1977-78 के लिए बजट उपबन्ध क्या हैं ;

(ख) क्या उपरोक्त चाय बागान श्रमिक अधिनियम के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) भारतीय चाय व्यापार निगम लि० ने 12 अक्तूबर, 1976 को पशोक तथा वाह टकबार चाय बागानों का प्रबन्ध अपने नियंत्रण में ले लिया। इन दो बागानों को नियंत्रण में लेने के बाद अर्थात् 12-10-76 के बाद इनके लिए स्वास्थ्य तथा आवास पर 1976-77 में किया गया व्यय (लेखा-परीक्षण के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाना है) तथा 1977-78 के लिए प्रस्तावित व्यय निम्नलिखित है :--

	1976-77		1977-78	
	स्वास्थ्य	आवास	स्वास्थ्य	आवास
पशोक	17,500	21,000	47,000	57,000
वाह टकवार	6,500	7,000	19,500	22,500

नियंत्रण में लिए जाने से पूर्व 1976-77 के प्रावधान उन उपलब्ध रिकार्डों से मालूम नहीं हो सके जो पहला प्रबंधक वर्ग छोड़ गया है।

(ख) तथा (ग). नियंत्रण में लिए जाने से पूर्व पहला प्रबंधक वर्ग उन कई दायित्वों को नहीं निभा रहा था, जो बागान श्रमिक अधिनियम के अधीन उन के लिय निर्धारित है। भारतीय चाय व्यापार निगम इन उपबंधों का पालन करने और उन्हें यथासंभव पूरा करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहा है। अब तक पूरे किए जा चुके दायित्वों में जलाने की लकड़ी और इंधन का वितरण, क्वाटरों तथा नलकूपों की वार्षिक मरम्मत, अस्पताल तथा चिकित्सा सुविधाएं, प्रसूति लाभ, शिशु गृहों की व्यवस्था, कंम्बलों और एप्रनों का वितरण, भविष्य निधि काट कर जमा करना शामिल हैं।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आयकर की अदायगी

2916. डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक कंपनियों ने वर्ष 1975–76 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को चंदे के रूप में भारी राशियां दी थी ;

(ख) उक्त संस्था को 1975–76 में कुल कितना चंदा मिला ; और

(ग) उक्त वर्ष में उसने कितना आयकर अदा किया ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : : (क) तथा (ख) कांग्रेस पार्टी ने 1–1–75 से 31–12–1975 तक की अवधि के लिए आयकर की कोई विवरणी दाखिल नहीं की है। इसलिय, कंम्पनियों द्वारा दिय गये चंदों की रकमें उपलब्ध नहीं हैं। कर-निर्धारण वर्ष 1976–77 तथा 1977–78 के लिय आय-कर विवरणिया मंगाने के लिये नोटिस जारी किये जा रहे है। कर-निर्धारण की कार्यवाही के दौरान आवश्यक ब्यौरे प्राप्त कर लिये जायेंगे तथा पार्टी की आय का हिसाब लगाते समय उन पर विचार किया जायेगा।

(ग) उक्त वर्ष के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कोई कर अदा नहीं किया गया है।

Raids by Income Tax Department in U. P.

2917. Shri **Surendra Bikram :** Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) the number of raids conducted in Uttar Pradesh during the period from 1st January, 1976 to 15th June, 1977 in connection with the evasion of income-tax and the number of persons arrested

(b) whether several complaints regarding evasion of taxes including income-tax and foreign exchange manipulations were received by him against the Chairman of Meeranpur Katra town in Shahjahanpur District and others ; and

(c) if so, what action has been taken on those complaints ?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H. M. Patel) : (a) According to information presently available, the Income-tax authorities conducted search and seizure operations in 282 cases/groups in Uttar Pradesh during the period from 1st January 1976 to 15th June, 1977.

There is no provision, as such, in the Income -tax Act, 1961 to arrest a person in connection with evasion of tax.

(b) No such complaints appear to have been received lately.

(c) Does not arise.

बजट में कर लगाई गई वस्तुओं के दामों में बजट पूर्व वृद्धि

2918. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि करों की घोषणा से पूर्व ही खुदरा विक्रेताओं ने उन वस्तुओं के दाम बढ़ा दिये थे जिन पर सरकार ने कर लगाये थे ; और

(ख) यदि हां, तो भविष्य में इस प्रकार की प्रवत्ति पर काबू पाने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) यद्यपि गत वर्षों में एसे मौके आते रहे हैं जब खुदरा विक्रेता बजट से पहले ही कुछ वस्तुओं के दाम बढ़ा देते थे लेकिन सरकार के पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह पता चले कि इस वर्ष भी ऐसा हुआ है।

पैकेटों, डिब्बों आदि में बंद वस्तुओं की कीमतें लिखने के बारे में पहले से कानून मौजूद है। इसके अलावा, ऐसे समाजविरोधी कार्यों को रोकने के लिए राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत भी अधिकार प्राप्त हैं।

कभी ऐसा न हो कि वस्तुओं की सप्लाई में नकली कमी के परिणाम स्वरूप कीमतों में अस्थायी रूप से वद्धि हो जाय इस आशंका को ध्यान में रखते हुए, नागरिक पूर्ति मंत्री ने व्यापार उद्योग राजनीतिक दलों और व्यापार संघों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई थी जिसमें उन्होंने कारोबारी व्यक्तियों से यह ध्यान रखने के लिए कहा था कि बजट पेश होने से पहले और उसके बाद वस्तुओं की पूर्ति सामान्य स्तर पर बनी रहे। उन्होंने यह भी कहा था कि उन सभी बड़े एककों को, जिनकी वितरण व्यवस्था अच्छी तरह से सुगठित है, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके डीलर अनुचित रूप से मूल्य न बढ़ाए तथा अन्य अनुचित तरीके न बरतें। उन्होंने व्यापारियों को चैतावनी दी कि यदि उन्होंने सरकार के साथ विश्वासघात किया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

स्वैच्छिक प्रकटन योजना के अन्तर्गत कर्नाटक के मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा अपनी सम्पत्ति का प्रकटन

2919. **श्री एस० ननजेश गौडा :**

श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य के मुख्य मंत्री तथा कुछ अन्य मंत्रियों और उनके परिवार के सदस्यों ने स्वैच्छिक प्रकटन योजना के अन्तर्गत अपनी सम्पत्ति की घोषणा की थी ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे मंत्रियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के नाम क्या है और इस प्रकार घोषित की गई चल तथा अचल सम्पति का मूल्य क्या है और घोषित नकद राशि कितनी है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) कर्नाटक राज्य के न तो मुख्य मंत्री ने और न ही किसी अन्य मंत्री ने स्वेच्छया प्रकटन योजना, 1975 के अन्तर्गत कोई घोषणा की है ।

मुख्य मंत्री की पत्नी, पुत्रियों और दामाद ने भी कोई घोषणा नहीं की है।

अन्य मंत्रियों के परिवार के सदस्यों के संबंध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है । इसे एकत्रित किया जायगा और यथा संभव शीघ्र सदन की मेज पर रख दिया जायगा ।

Accommodation for Pilgrims at Kushi Nagar (U.P.)

2920. Shri Ram Dhari Shastri : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Department of Tourism proposes to make arrangements for cheaper accommoda tion for facility of pilgrims at Kushi Nagar (Uttar Pradesh), a place of international fame and salvation of Lord Buddha so that larger number of foreign and Indian pilgrims may be attracted there ; and

(b) the number of officers and employees meant for the management of the tourists bungalow at Kushi Nagar in Deoria District (Uttar Pradesh) and the monthly expenditure incurred on their salary and the maintenance of the bungalow as also the rent, per day, for stay in the said bungalow and the total income earned so far during 1977-78 ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) The Department of Tourism as part of the Cultural Tourism Programme in the Fifth Five Year Plan, has commissioned Town and Country Planning Organisation of the Ministry of Works and Housing to prepare a master plan (land use plan) of Kushi Nagar. The master plan (land use plan) would include location of facilities already identified and environmental planning. Based on the master plan, detailed schemes will be drawn up for providing facilities, such as, accommodation, transport, water, electricity and other amenities.

(b) The Travellers' Lodge is operated by the India Tourism Development Corporation and is staffed with six persons including the Manager. The average expenditure per month on their salaries is approximately Rs. 2,000/-. The maintenance cost during 1976-77 was Rs. 18,687·55 and the approximate income was Rs. 86,000·00. During the first quarter of 1977-78 the approximate income of the Lodge was Rs. 5,000/-. The rent charged at the Travellers' Lodge is Rs. 35/- per day for a single room.

सऊदी अरब को पीने के पानी का निर्यात

2921. श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार और सऊदी अरब के बीच सऊदी अरब को पीने के पानी का निर्यात किये जाने के बारे में किसी करार पर हस्ताक्षर हुये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य रूप रेखा क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युतकरघों के सम्बन्ध में कपड़ा आयुक्त की अनुमति सम्बन्धी उत्पादन तिथि बढ़ाने के लिये अभ्यावेदन

2922. **श्री जी० एम० बनतवाला :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वह तारीख बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन भेजे गये हैं जब तक विद्युत करघों के मालिकों ने विद्युतकरघों को चलाने के लिए कपड़ा आयुक्त को लिखित अनुमति केन्द्रीय उत्पादनशुल्क प्राधिकारियों को प्रस्तुत करनी थी जिससे वे अपरिष्कृत रूई से कपड़ा बनाने के लिए लायसेंस रख सकें,; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां।

(ख) संसद में पुर: स्थापित 1977–78 के बजट प्रस्तावों के अनुसार विद्युत चालित करघों पर संयोजित शुल्क पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है और आगे विद्युतचालित करघों के लिए कोई सीमा शुल्क लाइसेंस अपेक्षित नहीं होगी। अन्य पहलू विचाराधीन हैं।

Aid from I.D.A. for Agricultural Projects

2923 **Shri Ugrasen :**
Shri Kalyan Jain :
Shri G. Y. Krishnan :

Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) whether International Development Association has taken decision to give a loan of 20 crore Dollars for agricultural projects in India ;

(b) if so, the projects on which the said amount is to be spent and the names of the States in which these projects are located ; and

(c) the number of farmers to be benefited thereby ?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H.M. Patel) : (a) Presumably the Hon'ble member is referring to the £200 million Agricultural Refinance and Development Corporation II Credit Project Agreement which the Government of India has signed on June 1, 1977 with the International Development Association, a soft-lending affiliate of the World Bank.

(b) The amount will be utilised by Agricultural Refinance and Development Corporation to refinance loans to be made by participating Land Development Banks and commercial banks throughout India, predominantly for minor irrigation and on-farm development.

(c) The number of farmer-beneficiaries is estimated at one million and at least 50 per cent of the credit will be extended to small farmers.

कलकत्ता पत्तन से निर्यात

2924. **श्री के० ए० राजन :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों में कलकत्ता पत्तन से निर्यात के लगातार कम मूल्य के बीजक बनाने के परिणामस्वरूप करोड़ों रुपयों की विदेशी मुद्रा की हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस बुराई को समाप्त करने के लिये क्या कारगर उपाय करने का विचार है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) निर्यात किये जाने वाले माल के मूल्यों की सत्यता की जांच करने के लिये सीमाशुल्क विभाग के पास अपेक्षित व्यवस्था और विशेषज्ञ हैं। यद्यपि कुछ ऐसे मामले हुए हैं, जिनमें गत कुछ वर्षों में सीमाशुल्क गृह, कलकत्ता द्वारा निर्यात के न्यून मूल्यांकन का पता लगाया गया है और कानून के अन्तर्गत इन मामलों को निपटाया गया है, परन्तु ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि कलकत्ता से निर्यात के लगातार कम मूल्य के बीजक बनाने के परिणामत : करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि हुई हो ।

उद्योग पर आयात नीति का प्रभाव

2925. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई आयात नीति देश में आशानुकूल उद्योग के विकास में सहायक नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या कोई संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) उद्योग के विकास पर नई आयात नीति के प्रभाव को इतने कम समय में नहीं आंका जा सकता । इसके अतिरिक्त, आयात नीति को औद्योगिक विकास नीति के विविध तत्वों में से एक है । आयात नीति का मूल्यांकन यथासमय किया जायेगा और उस समय अनुभव के आधार पर आवश्यक प्रतीत होने वाले संशोधनों पर विचार किया जायेगा ।

Availability of Imported Material to Engineering Firms from S.T.C.

2926. **Shri Meetha Lal Patel :** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether state Trading Corporation is unable to make available in time the required material to engineering firms after import and whether the firms have demanded that they should be allowed to import the same directly ; and

(b) if so, the objection the S.T.C. or Government have to their demand ?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) : (a) and (b) : STC is not concerned with the supply of raw material to engineering firms. The State Chemicals and Pharmaceuticals Corporation, a subsidiary of STC, however, supplies certain chemical items to engineering and metallurgical industries. Necessary provisions exist in the import policy to the effect that wherever a canalising agency is not in a position to arrange the supply of raw materials in accordance with the phased delivery programme, as mutually agreed upon, or within a period of six months from the date of registration, whichever is later, the Actual User may approach the Licensing Authority concerned for allowing direct import of the raw materials required by them.

रबड़ निर्यात के लिए आर्थिक सहायता तथा रियायतें दिया जाना

2927. **श्री वयालार रवि : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि प्राकृतिक रबड़ को नियमित निर्यात-वस्तु वर्गीकृत किया जाये तथा भारत सरकार के हाट विकास कोष से विभिन्न आर्थिक सहायता तथा रियायतें उपलब्ध कराई जायें; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) जी हां।

(ख) भारत कुछ ही समय पहले तक रबड़ का आयात करता था। 1–4–73 से रबड़ का आयात रोक दिया गया था। तब से 1974–75 तक उत्पादन तथा खपत में काफी हद तक संतुलन आ गया और बेशी माल बहुत कम बचता था। 1975–76 तथा 1976–77 में बेशी माल काफी हो गया जिससे आंतरिक कीमतें गिर सकती थीं और इस लिए सरकार ने पिछले वर्ष 21,000 मे० टन रबड़ का निर्यात करने की अनुमति दे दी। लगभग 12,000 मे० टन बेशी रबड़ देश में प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट रबड़ की कुल खपत का केवल थोड़ा सा हिस्सा है। अतः अभी ऐसा समय नहीं आया है कि रबड़ को निर्यात की परम्परागत मद मान लिया जाए।

रबड़ का निर्यात

2928. **श्री वयालार रवि** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्राकृतिक रबड़ के गिरते हुए मूल्यों और उसके परिणामस्वरूप रबड़ उत्पादकों को होने वाली कठिनाई के बारे में पता है; और सरकार ने रबड़ का निर्यात करने की अनुमति देने के बारे में कोई निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां तो उसके बारे में तथ्य क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) सरकार ने पहले ही 21,000 मे० टन के निर्यात की अनुमति दे दी है जो कि देश में बशी था। इसके परिणाम स्वरूप लाट रबड़ (ग्रेड 3, 4 तथा 5) की कीमत जो अक्तूबर, 76 में घट कर 520 रु० प्रति क्विंटल हो गई थी, अब बढ़ कर करीब 600 रु० प्रति क्विंटल हो गई है, जबकि सरकार द्वारा ग्रेड 1 रबड़ के लिए न्यूनतम कीमत 520 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। न्यूनतम अधिसूचित कीमत को बढ़ाने की एक प्रस्थापना भी विचाराधीन है।

अंदमान और निकोबार द्वीप समूहों में पर्यटन का विकास

2929. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सरकार का विचार अंदमान और निकोबार द्वीपसमूहों में पर्यटन का विकास करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रस्ताव क्या है ;

(ग) क्या बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक अंदमान आते हैं ; और

(घ) क्या वहां एक बड़े होटल का निर्माण करने का विचार है और यदि हां, तो कब तक ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) इन द्वीप समूहों में विदेशी पर्यटकों के आगमन पर लगे प्रतिबंधों एवं साधनों की कमी के कारण, फिलहाल विकास के प्रस्ताव मध्य आय वर्ग के पर्यटकों के लिए कुटीर तथा शयनागार किस्म के आवास की व्यवस्था प्रशासन के पर्यटन संगठन को मजबूत करने, प्रचार सामग्री की उपलब्धि तथा परिवहन सुविधाओं में सुधार करने के बारे में हैं ।

(ग) 1976 के दौरान अंदमान द्वीप समूह में आए विदेशी पर्यटकों की संख्या 92 थी ।

(घ) सरकार का द्वीप समूह में कोई भी होटल निर्माण करने का प्रस्ताव नहीं है । तथापि पर्यटन विभाग को प्राइवेट पार्टियों से पोर्ट ब्लेयर में होटल परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ।

दिगलीपुर, अंदमान में स्टेट बैंक आफ इंडिया की एक शाखा का खोला जाना

2930. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिगलीपुर, उत्तर अंदमान में स्टेट बैंक आफ इंडिया की एक शाखा खोलने के बारे में निर्णय ले लिया है ; और

(ख) क्या यह शाखा इस बीच खोल दी गई है और यदि हां, तो कब ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) । भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिगलीपुर, उत्तरी अण्डमान में एक शाखा खोलने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को एक लाइसेंस 24 फरवरी, 1970 को दिया गया था । किन्तु वहां पर कुछ मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण बैंक अपना कार्यालय नहीं खोल सका । इन कठिनाइयों को ध्यान में रखकर रिजर्व बैंक ने लाइसेंस की वैधता की अवधि को 30 दिसम्बर, 1977 तक बढ़ा दिया है ।

कचल, निकोबार जिले में रबड़ बागान के श्रमिकों से अभ्यावेदन

2931. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कचल, निकोबार जिले में रबड़ बागान के श्रमिकों से आपातकाल के दौरान रबड़ बोर्ड के अधिकारियों द्वारा अधिकारों के दुरुपयोग के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या अभियोग लगाये गये हैं तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या आपातस्थिति के दौरान झूठे आरोप लगाकर अनेक श्रमिकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो श्रमिकों को बहाल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) :(क) जी नहीं।
(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) तथा (घ) सरकार द्वारा अभी तक की गई पूछताछ से यह पता चला है कि आपात काल के दौरान कचल के रबड़ बागान से झूठे आरोप लगाकर किसी भी कर्मचारी को सेवा से नहीं निकाला गया है । परन्तु अंडमान तथा निकोबार प्रशासन की सलाह पर 31-5-76 को रबड़ बोर्ड द्वारा एक कर्मचारी की सेवाएं समाप्त कर दी गई थी क्योंकि सम्बन्धित परिवार ने सरकार की किसी भी योजना के अन्तर्गत द्वीप में प्रवेश नहीं किया था । एक अन्य कर्मचारी को झगड़ा-फसाद करने और वरिष्ठ अधिकारियों को गाली-गलौच करने पर 19-2-77 को सेवा से बरखास्त कर दिया गया था विभागीय जांच करने के बाद यह कर्मचारी कसूरवार पाया गया, उसके बाद ही बोर्ड द्वारा यह कार्यवाही की गई थी । बरखास्त कर्मचारी ने एक अपील प्रस्तुत की है, जो रबड़ बोर्ड के विचाराधीन है ।

यदि अत्याचार का कोई मामला सरकार के ध्यान में लाया जाता है तो उसकी जांच की जायेगी।

ग्वालियर में आयात तथा निर्यात के महा नियंत्रक का क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने का प्रस्ताव

2932. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्वालियर में आयात तथा निर्यात के महानियंत्रक का क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्यालय कब खोला जायेगा ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) :(क) जी नहीं। मध्य प्रदेश तथा निकटवर्ती क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भोपाल में 1 अप्रैल, 1977 से एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

ग्वालियर क्षेत्र में विमान सेवा की सुविधा

2933. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-ग्वालियर-भोपाल-इन्दौर-बम्बई के बीच उड़ने वाले आई० सी० 459 460 विमानों को सप्ताह में मंगलवार तथा बृहस्पतिवार को जबलपुर और रायपुर होते हुए उड़ाने से ग्वालियर क्षेत्र को विद्यमान विमान सेवा से वंचित नहीं किया गया है ;

(ख) क्या मंगलवार और बृहस्पतिवार को दिल्ली और भोपाल से इंदौर अथवा बम्बई जाने वाले यात्रियों को जबलपुर और रायपुर हो कर जाने में अतिरिक्त समय लगता है तथा उन्हें किराया भी अधिक देना पड़ता है ;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) (क) पूर्वी मध्य प्रदेश को विमान सेवा द्वारा जोड़ने की बड़ी भारी आवश्यकता थी जिसे पूरा करने के लिये इंडियन एयरलाइन्स की एच० एस०—748 द्वारा दिल्ली-ग्वालियर-भोपाल-इन्दौर-बम्बई मार्ग पर दैनिक वापसी सेवा आइ० सी०—459 460 को पुनर्गठित कर दिया गया है और नयी व्यवस्था के अनुसार इस मार्ग पर सप्ताह में दो दिन ग्वालियर को छोड़ते हुए उसके स्थान पर जबलपुर और रायपुर को सम्मिलित कर दिया गया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) इंडियन एयरलाइन्स मंगलवार तथा बृहस्पतिवार को, जब उक्त सेवा जबलपुर तथा रायपुर के मार्ग से परिचालन करती है, इस मार्ग पर ग्वालियर को भी सम्मिलित करने की संभावना की जांच कर रही है ।

खजुराहो जाने वाले इंडियन एयरलाइन्स के विमानों को ग्वालियर में रोके जाने का प्रस्ताव

२934. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार खजुराहो जाने वाले इंडियन एयरलाइन्स के विमानों को ग्वालियर में रोके जाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : जी नहीं । इंडियन एयरलाइन्स ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है ।

ग्वालियर और ग्वालियर क्षेत्र का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

2935. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्वालियर और ग्वालियर क्षेत्र का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) ग्वालियर तथा ग्वालियर-प्रदेश का एक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त निम्नलिखित दो सुझावों पर विचार किया जा रहा है।

(1) इंडियन एयरलाइन्स की दिल्ली/आगरा/खजुराहों उड़ान पर ग्वालियर में एक अतिरिक्त विराम (हाल्ट) की व्यवस्था होनी चाहिये।

(2) ग्वालियर में वातानुकूलित बस की व्यवस्था की जाए जो शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान तथा झांसी के मार्ग से पर्यटकों को खजुराहों ले जाए।

Tourism Development Schemes for Madhya Pradesh

2936. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the main features of tourism development schemes for Madhya Pradesh under consideration of Government ;

(b) whether the tribal areas which are places of tourist importance, are also proposed to be developed ; and

(c) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purshottam Kaushik) : (a) The Development of tourist centres in the Central Sector is determined for the present on the basis of their existing or potential popularity with international tourists. With this end in view, facilities for international tourists have already been created at Mandu, Khajuraho, Sanchi, Indore, Bhopal, Kanha National Park in the form of rest house, tourist bungalow, hotel and augumenting the water supply.

A proposal to construct a camping site at Khajuraho and a forest lodge at Kanha National Park during the remaining period of the Fifth Five Year Plans under consideration. In addition, India Tourism Development Corporation has undertaken a feasibility study for operating transport units one each at Jabalpur and Indore.

(b) Not at present.

(c) Does not arise.

इलायची, काफी और रबड़ का उत्पादन

2937. **श्री वयालार रवि :**

श्री के० कुन्हम्बू :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में इलायची, काफी (सभी किस्मों की) और रबड़ का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) इन वस्तुओं के उत्पादकों को अलग-अलग क्या मूल्य दिए गए ; और

(घ) अधिक उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) गत तीन वर्षों (1974–75 से 1976–77) में काफी (अरेबिका तथा रोबस्टा दोनों प्रकार की) रबड़ तथा इलायची का उत्पादन नीचे दिया जाता है :—

मे० टन में

वस्तु	1974–75	1975–76	1976–77
काफी			
अरेबिका . . .	62,700	49,700	64,013
रोबस्टा . . .	29,800	34,300	36,438
	92,500	84,000	100,451
रबड़ . . .	130,143	137,750	149,632
इलायची . . .	2,900	3,000	2,100

(ख) इन तीन वस्तुओं के उगाने वालों को मिली औसत कीमतें नीचे दी जाती हैं :–

वस्तु	1974–75	1975–76	1976–77
काफी (रु० प्रति 50 किग्रा0)			
प्लांट ए . . .	432.80	660.00	480.00+
अरेबिका . . . चेरी ए बी	434.96	640.03	420.00+
रोबस्टा . . . चेरी ए बी	358.79	700.59	372.00+
रबड़ (रु० पदप०) . .	849.00	744.00	596.00
इलायची (रु० किग्रा) . .	76.24	86.45	158.46

+अभी तक केवल आंशिक भुगतान किया गया है ।

(ग) इन वस्तुओं के अधिक उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए वस्तु बोर्ड निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित कर रहे हैं :—

काफी : (1) गहन कृषि के लिए ऋण :

उपजकर्ताओं को खेती के सुधरे हुए तरीके अपनाने के लिए और अपनी जोतों से काफी की उपज बढ़ाने के लिए दीर्घावधि प्रकार की वित्तीय सहायता दी जाती है ।

(2) कार्यकारी पूंजी के लिए ऋण :

उन उपजकर्ताओं को ऋण दिए जाते हैं जिनकी जोतें 100 एकड़ से अधिक नहीं हैं, और जिन्हें बैंकों आदि जैसे परम्परागत स्रोतों के कार्यशील पूंजी के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने में कठिनाई महसूस होती है।

(3) किराया खरीद आधार पर उपस्कर तथा मशीनों की पूर्ति :

उपजकर्ताओं को काफी के उत्पादन तथा क्वालिटी में सुधार करने के लिए सहायता देने के लिए उन्हें किराया खरीद की शर्तों पर उपस्कर तथा मशीनें उपलब्ध कराई जाती हैं।

(4) पुनर्रोपण के लिए ऋण तथा उपदान

अपने पुराने और लाभप्रद काफी-पौधों के स्थान पर उच्च उपज वाले रोग निरोधी पौधों को लगाने के लिए बड़े उपजकर्ताओं को लंबी अवधि के ऋण दिए जाते हैं और छोटे उपजकर्ताओं को उपदान दिए जाते हैं।

(5) विशेष प्रयोजन ऋण

छोटे उपजकर्ताओं को कुएं खोदने, काफी सुखाने के लिए यार्ड बनाने, भूमि संरक्षण आदि जैसे विशेष विकास उपाय करने के लिए मध्यअवधि ऋण दिए जाते हैं।

रबड़ : (1) पुनर्रोपण इमदाद :

रबड़ के पुराने अलाभप्रद क्षेत्रों में उच्च उपज वाले पौधों का पुनर्रोपण करने के लिए, उपजकर्ताओं को उनकी जोतों एस्टेटों के आकार के अनुसार 7500 रुपए प्रति हेक्टार तथा 3000 रुपए के बीच इमदाद दी जाती है।

(2) उर्वरक मिश्रण की पूर्ति :

जो छोटे उपजकर्ता रबड़ की योजनाओं के अंतर्गत रोपण/पुनर्रोपण करते हैं, उन्हें उर्वरक मिश्रण की पूर्ति के रूप में अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है।

(3) रोपण सामग्री की मुफ्त अथवा रियायती दरों पर पूर्ति :

पुनर्रोपण इमदाद योजना के अंतर्गत छोटे उपजकर्ताओं को मुफ्त या रियायती दर पर उच्च उपज देने वाली रोपण सामग्री सप्लाई करके अतिरिक्त सहायता दी जाती है।

(4) ऋण योजनाएं :

छोटे जोत धारियों को अपनी जोतों को बढ़ाकर लाभप्रद एकक बनाने के लिए और अपरिपक्वता की अवधि में उनकी देखभाल करने के लिए ऋण दिए जाते हैं।

(5) **सहकारी समितियों को ऋण :**

सहकारी समितियों को रबड़ रोलर खरीद कर अपने छोटे जोतधारी सदस्यों को बांटने के लिए वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी जाती है।

(6) **धुंआ घर बनाने के लिए इमदाद :**

छोटे जोत धारियों को रबड़ के सुधरे हुए तरीके से प्रासेसिंग करने के लिए धुंआं घर बनाने हेतु इमदाद दी जाती है।

(7) **छिड़काव के लिए इमदाद :**

छोटे जोत धारियों को अपने रबड़ क्षेत्रों का छिड़काव करने के लिए इमदाद दी जाती है।

इलायची : (1) **किराया खरीद योजना :**

किराया खरीद आधार पर छिड़काव सिंचाई उपस्कर दिए जाते हैं।

(2) **पुनर्रोपण वित्त योजना :**

बागान-मालिकों को अपने पुराने तथा अलाभकर इलायची के बागानों के नवीकरण के लिए ऋण दिये जाते हैं।

(3) **कट्टे नियंत्रण योजना :**

कट्टे रोग से ग्रस्त इलायची के पौधों को उखाड़ दिया जाता है और उन्हें नष्ट कर दिया जाता है तथा इलायची के उपजकर्ताओं को उनके स्थान पर निशुल्क रोग मुक्त बीजांकुर सप्लाई किए जाते हैं। उपजकर्ताओं द्वारा उठाये गए घाटे के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में उर्वरक तथा नाशिकीटमार भी सप्लाई किए जाते हैं।

(4) **प्रदर्शन भूखण्ड :**

इलायची उपजकर्ताओं को कृषि के सुधरे हुए तथा वैज्ञानिक प्रणालियों के फायदों के सम्बन्ध में शिक्षित करने के लिए प्राइवेट बागानों में प्रदर्शन भूखण्ड स्थापित किए जाते हैं।

(5) **विभागीय नर्सरी योजना :**

उपजकर्ताओं को रोग मुक्त उच्च उपज वाले इलायची के बीजांकुर लागत कीमत पर सप्लाई करने के लिए विभागीय नर्सरियां शुरू की गई हैं।

(6) **मिट्टी परीक्षण एकक :**

इलायची उगाने वाले क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से मिट्टी के नमूने इकट्ठे करने के लिए और उनका परीक्षण करके उपजकर्ताओं को उपयुक्त उर्वरक सम्बन्धी सिफारिश करने के लिए एक मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है।

राज्यों से निर्यात विकास योजनायें

2938. श्री के० प्रधानी : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्य सरकारों ने अपनी-अपनी निर्यात-क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए निर्यात विकास योजनायें तैयार की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) : अपेक्षित जानकारी राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर यथा समय रख दी जायेगी ।

विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधियां निवारक अधिनियम के अन्तर्गत नजरबंद व्यक्ति

2939. डा० वसंत कुमार पंडित : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में अनेक व्यक्तियों के विरुद्ध विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधियां निवारक अधिनियम के अन्तर्गत तथा अन्य विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लघंन के लिए दर्ज किए गए मामले व्यापगत हो गए है अथवा बाह्य और अतिरिक्त आपातस्थिति की समाप्ति पर वापस ले लिए गए है और उन व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया है ;

(ख) क्या इस प्रकार के मामलों में अन्तर्ग्रस्त अनेक व्यक्तियों को देश से फरार घोषित कर दिया गया था तथा क्या उन व्यक्तियों के विरुद्ध भी मामले व्यपगत हो गए है अथवा वापस ले लिए गए है; और

(ग) क्या सरकार का विचार छोड़े गए व्यक्तियों पर किसी अन्य नए कानून के अधीन उनके अपराधों के लिए मुकदमा चलाने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) अनुमानतः प्रश्न का संबंध तस्करी और विदेशी मुद्रा के संरक्षण और वृद्धि विरोधी गतिविधियों के लिए विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत नजरबंद किए गए व्यक्तियों से है ।

21 मार्च, 1977 को आन्तरिक आपातस्थिति के उठ जाने से उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द किए गए 2034 व्यक्तियों को नजरबन्दी से रिहा कर दिया गया था ।

(ख) 20 मार्च, 1977 की स्थिति के अनुसार अधिनियम के अन्तर्गत 251 व्यक्तियों को फरार घोषित किया गया था । नजरबंदी प्राधिकारियों द्वारा ऐसे 52 व्यक्तियों के खिलाफ नजरबंदी आदेश रद्द कर दिए गए है ।

(ग) रिहा किए गए व्यक्तियों के खिलाफ जहां कहीं आवश्यक है, सामान्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

पशु बीमा कम्पनियां

2940. **श्री डी० वी० चन्द्र गौडा :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में, राज्यवार, पशु बीमा कम्पनियों का कार्यकरण क्या है; और

(ख) ऐसी बीमा कम्पनियों के नाम और उनकी कार्यकरण की शर्तें क्या है, जिन्होंने देश के दूरस्थ स्थानों में छोटे किसानों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कार्यवाही की है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारतीय साधारण बीमा निगम की सभी चारों सहायक कम्पनियों अर्थात :

(1) नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

(2) न्यू-इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

(3) ओरियंटल फायर ऐण्ड जनरल ईश्योरेंस कपनी लिमिटेड और (4) यूनाइटेड इंडिया फायर ऐंड जनरल इश्योरेंस क० लि० भारत भर में पशु बीमें का कारबार करती है । भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा प्रायोजित बाजार करार में, जिसके अन्तर्गत सहायक कंपनियां काम करती है, सारे भारत में प्रीमियम की एक समान दरों तथा पालिसियों की एक सामान शर्तों की व्यवस्था है ।

2. उपर्युक्त बीमा कम्पनियों द्वारा किए गए पशु बीमा कारवार के राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं है । वर्ष 1974 से 1976 तक के दौरान भारत भर के प्रीमियम के आंकड़े इस प्रकार है :—

वर्ष	प्रीमियम
	रूपए
1974	24,82,608
1975	40,45,388
1976	1,32,93,254

(ख) छोटे किसानों की पशु बीमा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस कंपनियों ने 1-4-1977 से लघु कक्षक विकास एजेंसी, सीमांतिक किसान और कृषि श्रमिक परियोजनाओं तथा सूखा सम्भावित क्षेत्र परियोजना के अंतर्गत आने वाले दुधारु पशुओं के बीमें की एक विशेष योजना शुरू की है।

2. इस योजना के संचालन की शर्तें इस प्रकार है :—

(i) **'पशु' की परिभाषा :** इस योजना के प्रयोजन के लिए 'पशु' के अभिप्राय दुधारु गायों, दुधारू भैंसों और भारतीय नसल के सांडों से है (इस योजना के अंतर्गत सूखे पशु नहीं आते)

(ii) **आयु समूह :** 3 वर्ष से 8 वर्ष तक

(iii) **बीमे की राशि :** : बीमा बैंक ऋण की सीमा तक का किया जाता है, जो छोटे किसानों के मामले में अधिक से अधिक बाजार मूल्य के 75 प्रतिशत तक और सीमांतिक किसानों और कृषि श्रमिकों के मामले में बाजार मूल्य के दो तिहाई तक होता है।

(iv) **बीमे का क्षेत्र :** क्षतिपुर्ति की अदायगी बीमाशुदा पशु की जोखिम की अवधि के दौरान दुर्घटना अथवा बीमारी के कारण मृत्यु हो जाने पर देय होगी। 1/2 प्रतिशत अतिरिक्त प्रीमियम अदा करने पर स्थायी रूप से पूर्णत: अपग हो जाने के परिणामस्वरूप सदा के लिए दूध देने की क्षमता न रहने के जोखिम का भी बीमा कराया जा सकता है।

(v) **पालिसियों की अवधि :** यदि सारी अवधि के प्रीमियम की अदायगी पहले ही कर दी जाए तो पालिसियां एक बार में ही तीन वर्ष के लिए जारी कर दी जाएगी, अन्यथा पालिसियां केवल एक वर्ष के लिए जारी की जाएगी जिनका हर वर्ष नवीकरण किया जाएगा।

(vi) **प्रीमियम की दर :** बीमा शुदा राशि का 2-1/4 प्रतिशत वार्षिक आर्थिक सहायता की सीमा इस प्रकार होगी :

	जहां बैंक आर्थिक सहायता देता है	जहां बैंक आर्थिक सहायता नहीं देता
	प्रतिशत	प्रतिशत
परियोजना प्राधिकारी से आर्थिक सहायता	0.75	1.00
बैंकों से आर्थिक सहायता	0.50	
बीमा शुदा का हिस्सा	1.00	1.25
जोड़	2.25	2.25

(vii) डाक्टरी जांच पशु : चिकित्सक की रिपोर्ट अत्यावश्यक है।

(viii) उद्धारण : निम्नलिखित मामलों को छोड़कर प्रत्येक दावे में से 100 रूपए की निश्चित राशि उद्धारण के लिए काट ली जाएगी :

(क) यदि बीमाशुदा पशु की मृत्यु महामारी के कारण हुई हो।

(ख) उन क्षेत्रों में जहां पशुओं का वध करने पर कानूनी प्रतिबंध हो।

Consumption of Onion

2941. Shri Meetha Lal Patel : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Co-operation** be pleased to state the consumption of onions at present in the country, State-wise ?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) : State-wise per capita monthly consumption of onions, separately for the rural and urban areas, for the year 1973-74 (the latest year for which such data are available), is shown in the statement attached.

Statement

Statement indicating per capita Monthly Consumption of Onions during 1973-74

Name of State/U.T.	Monthly per capita consumption (kg)	
	Urban	Rural
1. Jammu and Kashmir	0·34	0·21
2. Maharashtra	0·62	0·51
3. Bihar	0·36	0·26
4. Madhya Pradesh	0·46	0·29
5. Tamil Nadu	0·48	0·43
6. Pondicherry	0·46	0·48
7. Assam	0·24	0·53
8. Gujarat	0·79	0·75
9. Kerala	0·22	0·20
10. Manipur	0·15	0·10
11. Andhra Pradesh	0·57	0·08
12. Karnataka	0·50	0·47
13. Orissa	0·39	0·20
14. Meghalaya	0·39	0·19
15. Rajasthan	0·47	0·47
16. Goa, Daman and Diu	0·62	0·49

Name of State/U.T.	Monthly per capita consumption (kg)	
	Urban	Rural
17. Haryana	0·53	0·47
18. Punjab	0·62	0·60
19. Himachal Pradesh	0·58	0·38
20. Uttar Pradesh	0·37	0·29
21. Chandigarh	0·82	No rural Sample taken
22. Delhi	0·49	0·45
23. Tripura	0·30	0·16
24. Nagaland	0·35	No rural sample taken
25. West Bengal	0·29	0·20

सरसों के तेल की कमी

2942. **श्री के० मालन्ना :**

श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति** और **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ भागों में सरसों के तेल की भारी कमी है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त राज्यों के नाम क्या हैं और इस सबंध में जन साधारण की मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). गत वर्ष की तुलना में वर्ष 1976–77 में सरसों के तेल के उत्पादन में कुछ कमी होने के कारण सरसों के तेल की खपत वाले प्रमुख राज्यों में उसकी कमी महसूस हुई है। ये राज्य हैं––पश्चिम बंगाल, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्य तथा केन्द्रशासित क्षेत्र, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर और राजस्थान। इस स्थिति को सुधारने के लिए राज्यों को उनकी मांग के अनुसार आयातित रेपसीड तेल आंवटित किया गया है। जो परिष्करण के बाद 8.50 रु० प्रति किलोग्राम के अंतिम उपभोक्ता मूल्य पर वितरित किया जाना है।

विदेशी कम्पनियों में विदेशी साम्य पूंजी को कम करना

2943. **श्री के० एन० राजन :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में चल रही किन-किन विदेशी कम्पनियों ने अभी तक अपनी विदेशी साम्य पूंजी कम नहीं की है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : ऐसी कम्पनियों के नामों का एक विवरण संलग्न है, **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या** LT–646/77]। जिन्होंने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29 के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुसार अभी अपने अनिवासी शेयर कम करने हैं।

कोका कोला कम्पनी द्वारा विदेशी ट्रेड मार्क का प्रयोग

2944. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोका कोला कम्पनी को 31 दिसम्बर, 1976 के बाद विदेशी ट्रेड मार्क का प्रयोग बन्द करने के लिए कहा गया था ;

(ख) क्या यह कम्पनी अभी तक उसी ट्रेड मार्क का प्रयोग कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उस पर आगे क्या कार्यवाही की गयी है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बोनस शेयर जारी करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

2945. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोनस शेयर जारी करने के लिये कम्पनी कार्य विभाग के नये मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) आर्थिक कार्य विभाग ने बोनस शेयर जारी करने से सम्बन्धित दो अतिरिक्त मार्गदर्शी सिद्धान्त 6 जून, 1977 को जारी किये हैं।

(ख) ये दो मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं :

(i) कम्पनी के लेखा परीक्षकों द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए कि कम्पनी के खातों में आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अनुमत मूल्यह्रास के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है।

(ii) यदि मूल्यह्रास की प्रणाली में कोई परिवर्तन होता है, तो कम्पनियों को यह और सुनिश्चित करना चाहिए कि आस्थगित कराधान की देनदारी के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है और बोनस शेयरों के लिए आवेदन पत्र के साथ, लेखापरीक्षकों द्वारा दिया गया इस आशय का एक प्रमाण पत्र भी भेजा जाना चाहिए।

कम्पनियों द्वारा पूंजी जुटाना

2946. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन् : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) 1 मार्च, 1977 से जून, 1977 के अन्त तक कितनी कम्पनियों को अपनी पूंजी जुटाने की अनुमति दी गई थी ;

(ख) ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं ;

(ग) प्रत्येक कम्पनी को कितनी पूंजी जुटाने की अनुमति दी गई है ; और

(घ) पूंजी जुटाने के लिए इतनी अधिक कम्पनियों को अनुमति देने के कारण क्या हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) पहली मार्च, 1977 से 30 जून, 1977 तक की अवधि में, पूंजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत, 137 गैर-सरकारी कम्पनियों को प्रारम्भिक और अतिरिक्त शेयरों, बोनस शेयरों, ऋणपत्रों, ऋणों आदि के माध्यम से पूंजी जुटाने की अनुमति दी गई है ।

(ख) और (ग). एक अनुबन्ध संलग्न है, **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या** LT-647/77] जिसमें उन कम्पनियों के नाम और प्रत्येक कम्पनी द्वारा जुटाई जाने वाली अनुमत राशि का व्यौरा दिया गया है ।

(घ) कम्पनियों को शेयर आदि जारी करने की अनुमति दिए जाने के कारण निम्न-लिखित हैं :—

(i) बोनस शेयर केवल मुक्त प्रारक्षित निधि के पूंजीकरण के द्योतक होते हैं ताकि व्यापार में अवरुद्ध शेयर होल्डरों की अवरुद्ध रकम को व्यापार में लगी कुल पूंजी के अनुरूप लाया जा सके । बोनस शेयर, सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किए गए निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार जारी किए जाते हैं ।

(ii) शेयर पूंजी, ऋण पत्रों, ऋणों आदि के रूप में नए अथवा अतिरिक्त शेयरों के माध्यम से कम्पनियों के लिए पूंजी जुटाना इसलिए आवश्यक हो जाता है ताकि वे परियोजनाओं के आवश्यक औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त भाग के लिए, वित्त व्यवस्था कर सकें । कुछ मामलों में शेयर जारी करना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है ताकि कम्पनी विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत जारी किए गए निर्देशों के अनुसार अनिवासी शेयरों को कम कर सके ।

यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि अनुबन्ध में दी गई सूचना उन कम्पनियों को केवल शेयर जारी करने के लिए दी गई अनुमतियों के सम्बन्ध में है न कि उन्हें दी गई अनुमतियों के अधीन बाजार में उनके द्वारा वास्तव में जुटाई गई पूंजी के बारे में ।

यह नहीं कहा जा सकता कि बहुत बड़ी संख्या में कम्पनियों को पूंजी जुटाने की अनुमति दी गई है ।

कर्नाटक में रेशम उद्योग

2947. **श्री के० मालन्ना** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के रेशम उद्योग को विश्व भर में कपड़े के क्षेत्र में उच्च स्थान प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य में अपरिष्कृत रेशम के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई वृहद विकास योजना केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है ; और

(ग) क्या विश्व बैंक भी राज्य रेशम उद्योग को सहायता देने के लिए सहमत हो गया है और यदि हां, तो कितनी ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) कर्नाटक प्रमुख रेशम उत्पादक राज्य है जो देश में शहतूती रेशम के कुल उत्पादन का लगभग 85 प्रतिशत उत्पादन करता है । इस समय 7500 हथकरघे तथा 3376 शक्ति चालित करघे शहतूती रेशम का उत्पादन कर रहे हैं ।

(ख) कर्नाटक सरकार ने कच्चे रेशम के उत्पादन को काफी अधिक बढ़ाने के लिए 3.71 करोड़ रुपये परिव्यय की एक गहन रेशम उत्पादन परियोजना प्रस्तुत की है यह योजना विचाराधीन है ।

(ग) रेशम उद्योग के विकास के लिए कर्नाटक सरकार को विश्व बैंक द्वारा अलग से कोई सहायता दिये जाने का प्रस्ताव नहीं है ।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्तें देना

2948. **श्री एम० *कल्याणसुन्दरम*:** क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

गत तीन वर्षों में प्रत्येक महीने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का ब्यौरा क्या है और माह प्रति माह केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की कितनी किस्तें देय हैं ?

***वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री* (श्री एच० एम० पटेल)** : एक विवरण पत्र संलग्न है जिसमें पिछले 3 वर्षों के प्रत्येक महीने के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के ब्यौरे दिए गए हैं । तीसरे वेतन आयोग द्वारा सुझाए गए महंगाई भत्ते के सूत्र के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12–महीने की औसत में 200 से ऊपर (1960-100) प्रत्येक 8 अंक की वृद्धि के पश्चात् केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देय होना था । इस सूत्र के अनुसार 312 तक सूचकांक औसत को पूरा करने के लिए कर्मचारियों को क्रमशः 1–5–1973, 1–8–1973, 1–10–1973, 1–1–1974, 1–2–1974, 1–4–1974, 1–6–1974, 1–7–1974, 1–9–1974, 1–10–1974, 1–11–1974, 1–12–1974, 1–2–1975 और 1–3–1975 से महंगाई भत्ते की 14 किस्तों की स्वीकृति दी गई थी । अप्रैल, 1975 में सूचकांक औसत 320 अंकों से ऊपर चला गया । महंगाई भत्ते की 15वीं

किस्त थी, जिसमें उक्त अंक तक की मूल्य वृद्धि आ जाती, अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय कठिनाइयों तथा राज्य सरकारों में होने वाली प्रतिक्रियाओं के कारण, स्वीकृति नहीं दी गई थी। परन्तु सूचकांक औसत जनवरी, 1976 में 320 से नीचे अप्रैल, 1976 में 312 से नीचे और जून, 1976 में 304 से नीचे गिर गया। हालांकि महंगाई भत्ते की एक किस्त इस प्रकार 1–5–1976 से तथा दूसरी 1–7–1976 से वापस लिए जाने योग्य हो गई थी तथापि जब सूचकांक औसत 320 से ऊपर चली गई थी उस सम्बन्ध में महंगाई भत्ते की किसी किस्त की अदायगी न किए जाने के लिए मुख्यतया कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति किये जाने के उद्देश्य से महंगाई भत्ते की केवल एक किस्त वापस ली और वह भी वस्तुतः 1–10–1976 से। वर्तमान में महंगाई भत्ते की अदायगी सूचकांक औसत 304 के संदर्भ में की जाती है जब कि सब से हाल के उपलब्ध सूचकांक आंकड़ों के अनुसार अप्रैल, 1977 के अन्त में सूचकांक औसत 303 था।

विवरण

औद्योगिक कर्मचारी (सामान्य) (1960-100) के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और उनका 12 महीने के औसत का विवरण-पत्र

मास	1973	1974		1975		1976		1960-100 1977	
		सूचकांक	औसत	सूचकांक	औसत	सूचकांक	औसत	सूचकांक	औसत
जनवरी .		264	240.50	326	308.66	298	318.58	307	297.17
फरवरी .		267	245.00	325	313.50	290	315.67	310	298.83
मार्च .		275	249.91	321	317.33	286	312.75	312	301.00
अप्रैल .		283	255.08	323	320.66	289	309.92	313	303.00
मई .		294	260.58	327	323.41	290	306.83		
जून .		301	266.25	328	325.66	291	303.75		
जुलाई .		311	271.91	324	326.75	297	301.50		
अगस्त .		321	278.08	321	326.75	298	299.58		
सितम्बर .		334	285.25	319	325.50	302	298.17		
अक्तूबर .		335	292.00	316	323.91	304	297.17		
नवम्बर .		331	298.00	315	322.58	306	296.42		
दिसम्बर .		326	303.50	306	320.92	306	296.42		

अकुशल निर्माण कार्य को श्रम सहकारी समितियों को सौंपना

2949. **श्री वसन्त साठे :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम सहकारी समिति सलाहकार बोर्ड ने सिफारिश क है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक लाख रुपये तक का समस्त अकुशल निर्माण कार्य पूरी तरह से श्रम सहकारी समितियों को सौंपा जाना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो इस सिफारिश के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इसे कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां। राष्ट्रीय श्रमिक सहकारी समिति सलाहकार बोर्ड ने 19 फरवरी, 1974 को हुई अपनी बैठक में यह सिफारिश की थी कि सभी अकुशल निर्माण कार्य और एक लाख रुपये तक के कुशल निर्माण कार्य केवल श्रमिक सहकारी समितियों के लिये आरक्षित किये जाने चाहियें।

(ख) सरकार ने यह सिफारिश मान ली है ।

(ग) राज्य सरकारों से इसे कार्य रूप देने के लिये कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है। राज्यों में इस बारे में समय-समय पर हुई प्रगति पर नजर रखने तथा सम्बन्धित सहकारी समितियों को मदद देने के लिए अनुवर्ती उपाय भी किये जाते हैं।

स्वेच्छा प्रकटन योजना के अधीन प्रकटन के मामले

2950. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1975 की स्वेच्छा प्रकटन योजना के अन्तर्गत अब तक कितनी छिपी आय एवं धन की कितनी राशि प्रकट की गई है ;

(ख) आय कर अधिनियम के अन्तर्गत कितना उक्त धन प्रकट किया गया और उस पर कितने कर की उगाही की गई ;

(ग) धन कर अधिनियम के अन्तर्गत कितना उक्त धन प्रकट किया गया और उस पर कितने धन कर की उगाही की गई ; और

(घ) इस प्रकार प्रकट किये गये कुल धन की गणना किस आधार पर की जाती है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार, आय और धन का स्वेच्छया प्रकटन आदेश, 1975 (अब, आय और धन का स्वेच्छया प्रकटन अधिनियम, 1976) के अन्तर्गत घोषित आय और धन की कुल रकम 1583.6 करोड़ रुपये है।

(ख) और (ग). फिलहाल उपलब्ध सूचना नीचे दिए अनुसार है :—

	घोषित रकम (करोड़ रुपयों में)	वसूल किया गया कर (31-3-77 तक) (करोड़ रुपयों में)
स्वेच्छा से प्रकट की गई आय . . .	685.2	232.66
तलाशी और अभिग्रहण से सम्बन्धित मामलों में आय .	56.7	
शुद्ध धन की घोषणा अथवा अघोषित परिसम्पत्तियों का मूल्य अथवा कम बताया गया मूल्य .	841.7	6.64

(घ) विभिन्न कर-निर्धारण वर्षों के सम्बन्ध में घोषणा करने वालों ने जो घोषणाएं की हैं, उनकी कुल रकमें 841.7 करोड़ रुपये की हैं।

सम्पदा शुल्क वसूल करने के लिए प्रक्रिया तथा नियमों को सरल बनाया जाना

2951. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सम्पदा शुल्क वसूल करने वाली प्रक्रिया तथा नियम सम्बन्धित कर दाता को बहुत जटिल तथा परेशानी पूर्ण प्रतीत होते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अन्तर्ग्रस्त प्रक्रिया तथा नियमों को सरल बनाने के लिए कदम उठाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो मुख्यतया किस प्रकार और ऐसे क्या कदम उठाने तथा उन्हें क्रियान्वित करने का विचार किया जा रहा है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग). सरकार यह महसूस करती है कि सम्पदा शुल्क से सम्बन्धित कानून तथा कार्यविधि को सरल बनाने की आवश्यकता है। प्रत्यक्ष-कर कानूनों के सरलीकरण तथा उन्हें युक्तिसंगत बनाने के लिये सरकार द्वारा हाल ही में नियुक्त की गयी विशेषज्ञ समिति से अपेक्षा की जाती है कि वह सम्पदा-शुल्क से सम्बन्धित कानून के सरलीकरण तथा उसे युक्तिसंगत बनाने के उपायों की भी सिफारिश करेगी। सरकार, अन्य बातों के साथ साथ, उक्त विशेषज्ञ-समिति द्वारा की जाने वाली सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सम्पदा-शुल्क सम्बन्धी कानून में संशोधन करने के निमित एक विधेयक प्रस्तुत करने का इरादा रखती है।

Bank of America's Activities in India

2952. Shri Hargovind Verma : Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) whether the Bank of America has decided to intensify its activities in India ; and

(b) if so, from when and in which areas ?

1988 LS—6

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H. M. Patel) (a) and (b). Bank of America was permitted by the Reserve Bank of India to open a branch in New Delhi in June, 1969. Instead of a branch, it opened a representative office in New Delhi in February, 1970. It has now been permitted to convert its representative office into a full-fledged branch.

रीजनल मैनेजर, इलाहाबाद बैंक को ऋण देना

2953. **श्री दिनेश चन्द्र जोरदार :**

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :

क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इलाहाबाद बैंक के रीजनल मैनेजर, श्री एच० के० कालिया को बैंक स्टाफ आवास ऋण योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष 3.1/2 प्रतिशत ब्याज की दर से 25,000/– रुपए का ऋण दिया गया था लेकिन यह धनराशि सावधिक जमा लेखे में 9 प्रतिशत ब्याज की दर से जमा कर दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या उक्त मैनेजर ने वर्ष 1974 में किस्तों का भुगतान किया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (घ). इलाहाबाद बैंक ने सूचित किया है कि बैंक के क्षेत्रीय प्रबन्धक, श्री एच० के० कालिया को 3 जनवरी, 1974 को स्वीकृत 25,000 – रुपए के ऋण सहित बैंक स्टाफ आवास ऋण योजना के अन्तर्गत अप्रैल, 1969 से जनवरी, 1974 के बीच अलग अलग अवसरों पर कुल 60,000/– रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया था । ऋण खाते पर प्रति वर्ष 3 प्रतिशत से 4 प्रतिशत ब्याज लिया गया । बैंक ने यह भी सूचित किया है कि 25,000/– रुपए का ऋण राशि को श्री कालिया के आवास ऋण खाते के नाम डाल दिया गया और तदनुरुप उसी राशि को 3 जनवरी, 1974 को बैंक की नई दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट स्थित शाखा में उनके चालू खाते में जमा करा दिया गया था । 16 फरवरी, 1974 को श्री कालिया के खाते में 25,000/– रुपए नामे डाल दिए गये तथा इतनी ही राशि श्रीमती प्रेमलता कालिया और श्री हरीकृष्ण कालिया के नामों के मीयादी जमा खातों में 8 प्रतिशत ब्याज दर पर अन्तरित कर दी गयी । तथा 16 फरवरी, 1976 को देय मीयादी जमा रसीद जारी कर दी गई । इसके तुरन्त बाद इस मीयादी जमा से सम्बन्धित प्रविष्टियों को शाखा रिकार्ड से हटा दिया गया और इस मीयादी जमा रसीद को रद्द कर दिया गया । मीयादी जमा रसीद से सम्बन्धित प्रविष्टियों को हटाने के बाद, श्री एच० के० कालिया के चालू खाते में बकाया की नयी राशि दिखा दी गयी । मीयादी जमा पर कोई ब्याज नहीं प्राप्त किया गया था । बैंक ने सूचित किया है कि मीयादी जमा के रद्द कर दिए जाने के कारण, इस मामले में उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की ।

इलाहाबाद बैंक के कथनानुसार श्री कालिया ने 1974 में अपने आवास ऋण खाते में आवास ऋण की अदायगी के लिए कोई किस्त जमा नहीं कराई क्योंकि इसे बैंक ने निर्धारित नहीं किया था । बैंक ने आगे यह भी सूचित किया है कि श्री कालिया ने बकाया किस्तों को प्रति माह 435 –रुपए की दर से जमा कराया है और इस प्रकार 28 जून, 1977

को कोई किस्त बकाया में नहीं थी। सरकार द्वारा बैंक को सलाह दी गई है कि इस मामले में अधिकारी द्वारा बरती गई अनियमितताओं की जांच पड़ताल करें ताकि उसके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जा सके।

प्याज की खरीद

2954. **श्री लहानू सिड़बा कौम : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्याज की खरीद भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के माध्यम से सीधे प्याज उत्पादकों से नहीं की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ उत्पादकों से प्याज खरीद रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रीजनल मैनेजर, इलाहाबाद बैंक द्वारा धनराशि का दुर्विनियोग

2955. **श्रीमती अहिल्या पी० रांगेनकर : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इलाहाबाद बैंक के रीजनल मैनेजर, श्री एच० के० कालिया द्वारा धनराशि के दुर्विनियोग करने के बारे में कोई जांच-पड़ताल की है;

(ख) यदि हां, तो इस जाँच पड़ताल के क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) इलाहाबाद बैंक ने सूचित किया है कि बैंक को क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री एच० के० कालिया द्वारा बैंक की निधि का गबन करने के बारे में कोई सूचना नहीं है। इसलिए बैंक अथवा सरकार द्वारा कोई जांच नहीं कराई गई है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नही उठता।

स्टेट बैंक आफ इन्डिया बम्बई के मैनेजर द्वारा निर्यातकर्ताओं को ऋण वितरण संबंधी शिकायतें

2956. **श्री असल्ल दवे : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैनेजर स्टेट बैंक आफ इंडिया, पैडर रोड़, बम्बई, के विरुद्ध निर्यातकर्ताओं तथा फिल्म निर्माताओं को जाली नामों से ऋण देने के बारे में बहुत सी शिकायतें हुई हैं;

(ख) बैंक के तत्कालीन मैनेजर ने भुगतान क्षमता की उचित जांच किए बिना ही फिल्म निर्माताओं, निदेशकों तथा अन्य लोगों को कितनी राशि के ऋण तथा ओवरड्राफ्ट मंजूर किए;

(ग) क्या उन्होंने इस बारे में 11 जून, 1977 के ब्लिटज़ साप्ताहिक में प्रकाशित समाचार देखा है ;

(घ) की गई जांच के अब तक क्या परिणाम निकले और उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार मामले की जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने तथा दोषियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने का सुझाव देने का है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ङ). सरकार ने बम्बई के साप्ताहिक "ब्लिट्ज" के 11 जून, 1977 के संस्करण में बैंकिंग विद सेक्स एण्ड ब्लैकमेल शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की रिपोर्ट देखी है। इस सम्बन्ध में भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उसकी पडर रोड़ साखा की निरीक्षण और लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कुछ फिल्म वितरकों उत्पादकों, परिधान निर्यात सदनों आदि सहित कई ग्राहकों के खातों में लेन-देनों की कुछ अनियमितताएं बताई गई हैं। ये अनियमितताएं इस प्रकार की थीं (i) विभिन्न ऋणकर्ताओं को, जिनमे कुछ फर्जी थे, ओवर ड्राफ्ट की सुविधाओं की अन्धाधुन्ध मंजूरी ; और (ii) नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों की अवहेलना करके नकद ऋण, निर्यात पकिंग ऋण, पोस्ट शिपमेंट और निर्यात हुंडी समझौता सीमा के रूप में अग्रिमों की मंजूरी। बैंक के अनुसार इन अग्रिमों में व्याप्त कुल राशि 1 अक्तूबर, 1975 को लगभग 62 लाख रुपए थी।

बैंक के बम्बई स्थित स्थानीय मुख्य कार्यालय के सतर्कता और लेखा परीक्षा विभाग द्वारा इन अनियमितताओं की आगे और जांच की गई और उसके निष्कर्षों के आधार पर सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध आनुशासनात्मक कार्रवाई आरम्भ की गई। विभिन्न अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई की स्थिति नीचे दी गई है :—

	नाम	दण्ड
1	श्री डी० डी० तिलक, शाखा प्रबन्धक	नौकरी से बरखास्त कर दिया गया।
2	श्री एस० पी० मेन जोग, लेखाकार	नौकरी से बरखास्त कर दिया गया।
3	श्री आर० एन० वलसंगकर, फील्ड अधिकारी।	बैंक में उन्हें अधिकारी के पद से लिपिक वर्ग में पदावनत किए जाने पर उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया।
4	श्री आर० डी० कृपलानी, (तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबन्धक)	अनुशासनात्मक कार्रवाई को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।
5	श्री वी० के० हेरलेकर, (तत्कालीन) क्षेत्रीय प्रबन्धक	अनुशासनात्मक कार्रवाई को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

नाम		दण्ड
6	श्री एन० वी० गुडे, (तत्कालीन) क्षेत्रीय अधीक्षक	उन्हें नौकरी से सेवा निवृत्त होने को कहा गया था। इस बीच इस अधिकारी का देहान्त हो गया है।
7	श्री वी० वी० हरीहरन् शाखा निरीक्षक	जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए जांच की जा रही है।

बैंक ने बकायादार ऋणकर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही आरम्भ कर दी है। बैंक ने अपने एक ग्राहक के विरुद्ध बम्बई की पुलिस में जालसाजी और धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज कराया है। बैंक ने मई, 1977 में केन्द्रीय जांच ब्यूरो में एक औपचारिक शिकायत भी की है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो से अनुरोध किया गया है कि मामला दर्ज करे तथा इस मामले की जांच आरम्भ करे।

Export of Shoes and Leather Goods

2957. **Shri Meetha Lal Patel :** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies** and **Cooperation** will be pleased to state :

(a) whether shoes and other leather goods manufactured in India are in great demand in foreign countries ; and

(b) if so, the names of such countries with which trade agreement has been entered into by India and the amount of foreign exchange likely to be earned thereby this year.

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (**Shri Mohan Dharia**) **:** (a) There has been a general increase in the exports of leather footwear and leather goods to foreign countries.

(b) The main countries with India has entered into trade agreement are : Bulgaria, Czechoslovakia, GDR, Hungary, Poland, Rumania and the U.S.S.R.

As a result of such trade agreement with the countries indicated above, foreign exchange worth about Rs. 23 crores is likely to be earned against exports of leather footwear and other leather goods.

तेल तथा तिलहनों के लिए पृथक्-पृथक् निगम

2958. **श्री डी० डी० देसाई :**
श्री जी० वाई० कृष्णन :
श्री शिव सम्पत्ति राम :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खाद्य तेलों तथा तिलहनों के व्यापार के लिए पृथक्-पृथक् निगम बनाने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख). खाद्य तेलों और तिलहनों के लिए एक निगम बनाने अथवा इसी तरह का एक संस्थात्मक प्रबन्ध करने के प्रस्ताव की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

इन्डियन एयरलाइन्स के लिए छोटा हाल जैट विमान

2959. **श्री डी. डी. देसाई :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स ने अपने बेड़े के लिए छोटे हाल जैट विमान की खोज बन्द कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरूषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख). जी नहीं। इन्डियन एयरलाइन्स ने अपने विमान बेड़े की भावी आवश्यकताओं के बारे में 1978-79 से 1980-81 तक की अवधि के सम्बन्ध में हाल ही में अपना "समस्त तंत्र अध्ययन" (टोटल सिस्टम स्टडी) पूरा किया है। रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है। 'सिस्टम स्टडी' में की गई सिफारिशों की आगे और जांच करके उन पर निर्णय ले लेने के बाद ही इंडियन एयरलाइन्स विमानों की भावी ख़रीद के बारे में अपने प्रस्तावों की रूपरेखा तैयार करेगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा औद्योगिक एककों को दिये गये ऋण

2960. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1975 से मार्च, 1977 तक राष्ट्रीयकृत बैंकों ने औद्योगिक एककों तथा पृथक् कृषि क्षेत्र को वर्षवार, पृथक् कितने-कितने ऋण दिए ;

(ख) क्या ऋणों की वसूली निर्धारित समय पर हो रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्धारित समयावधि में जो ऋण वसूल होना चाहिए था ऐसा कितना ऋण वसूल नहीं हो रहा है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) : भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के क्षेत्रवार वितरण विषयक उपलब्ध अस्थायी आंकड़ों से पता चलता है कि उद्योग (छोटें पैमाने के उद्योग सहित) और कृषि के लिए दिए गए उनके अग्रिमों की बकाया राशि अप्रैल, 1975 और मार्च, 1976 तथा 1977 के अन्त में निम्नलिखित थी :—

करोड़ रुपए

निम्न अंतिम शुक्रवार	उद्योग (जोड़)	कृषि
अप्रैल, 1975	4400.1	1729.3
मार्च, 1976	5359.1	1960.4
मार्च, 1977	5974.6	1221.4

(ख) और (ग). सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक द्वारा, अपनी शाखाओं के माध्यम से हुए वसूली के कार्य की निरन्तर समीक्षा की जाती है और जमानत के रूप में रखी गई सम्पत्ति अथवा जमानतदार/गारण्टीकर्ता से बकाया ऋणों की वसूली के लिए कार्रवाई आरम्भ की जाती है। किन्तु सांख्यिकी सूचना प्रणाली में, विभिन्न क्षेत्रों में अपने वसूली कार्य के सम्बन्ध में बैंकों द्वारा आंकड़े सूचित करने की व्यवस्था नहीं है।

बैंकों के वसूली कार्य की क्षेत्रवार स्थिति विषयक आंकड़ों में से इस समय केवल कृषि के लिए दिए गए प्रत्यक्ष ऋणों विषयक आंकड़े उपलब्ध हैं। हाल के ताजा जून, 1976 के अन्त में उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कृषि (प्रत्यक्ष) ऋणों को उसी तारीख को कुल बकाया राशि 726.33 करोड़ रुपए, मांगों की राशि 380.31 करोड़ रुपए और वसूलियों की राशि 193.63 करोड़ रुपए थी।

Public Address System at Airports

2961. Shri Ishwar Chaudhary : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it has come to the notice of Central Government that public address system at many airports is not working satisfactorily and people cannot hear the announcement properly ; and

(b) if so, whether Government are taking steps to make improvement in this system at major airports in Delhi, Bombay and Calcutta ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) & (b). No specific complaints regarding mal-functioning of public address systems at airports have come to notice. The old equipment and wiring of the public address systems and Delhi and Bombay airports have already been replaced. Whenever any mal-functioning in the system at an airport comes to notice, immediate action is taken to rectify the defect.

Disparity in the prices of Raw Cotton

2962. Shri Ishwar Chaudhary : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether the price of raw cotton procured by mills in West Bengal and Bihar differs from the price at which it is purchased in Gujarat and Maharashtra ;

(b) if so, the extent of difference in these prices ; and

(c) whether Government are making efforts to remove this disparity ?

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI MOHAN DHARIA) :

उड़ीसा में पर्यटक विकास परियोजनाएं

2963. **श्री एस कुन्डु :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में वे मुख्य पर्यटक विकास परियोजनाएं कौन सी हैं जिनका वित्त पोषण केन्द्रीय सरकार कर रही है ; और

(ख) गत तीन वर्षों में कितनी योजनाएं मंजूर की गई हैं और उनमें से कितनी योजनाओं को कार्यरूप दे दिया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरूषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख). पुरी में 5,60,550 रुपए की लागत से निर्मित युवा होस्टल को नवम्बर, 1975 में चालू किया गया था पर्यटन विभाग ने चिलकाझील में एक मोटर लांच की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार को 1,62,308 रुपए की अग्रिम राशि भी दी। इसके अतिरिक्त भारत पर्यटन विकास निगम ने भुवनेश्वर में यात्री लाज के नवीकरण पर 10,12,000 रुपए की धन राशि खर्च की।

इससे पहली योजना अवधियों में पर्यटन विभाग ने कोणार्क में एक पर्यटक बंगले का निर्माण किया था, जिसे अब भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा यात्री लाज के रूप में चलाया जा रहा है। इसी प्रकार राज्य सरकार ने कोणार्क में एक पर्यटक बंगले का निर्माण किया था जिसकी 50 प्रतिशत लागत पर्यटन विभाग द्वारा वहन की गयी।

पांचवीं योजना में कोणार्क में पर्यटक सुविधाओं के विकास कार्य को पर्यटन विभाग के सांस्कृतिक पर्यटन कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया है। तदनुसार सूर्य मंदिर के इर्द गिर्द के क्षेत्र की एक मास्टर प्लान (भूमि-उपयोग योजना) तैयार कर ली गयी है सुविधाओं के निर्धारण एवं पर्यावरण आयोजना को भी मास्टर प्लान में सम्मिलित किया गया है। मास्टर प्लान के आधार पर आवास, परिवहन, जल, विद्युत तथा अन्य सुख-साधनों जसी सुविधाओं की व्यवस्था के लिए विस्तृत योजनाएं तैयार की जाएंगीं।

सहकारी विभाग के प्रशासन का पुनर्गठन

2614. श्री ए० के० रॉय : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी विभाग के प्रशासन का पुनर्गठन करने और वर्तमान सहकारी कानून में संशोधन करने संबंधी कोई प्रस्ताव है ताकि इसे लोगों की जरूरतों के अधिक अनुरूप बनाया जा सके।

(ख) क्या सरकार ने रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा विभिन्न राज्यों के विभिन्न सहकारी बैंकों तथा समितियों को दिए गए ऋण पर ब्याज के भुगतान को कम करने संबंधी मामले पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) सहकारिता राज्य विषय होने के कारण सहकारी समितियों के पर्यवेक्षण की जिम्मदारी राज्य सरकारों की है। भारत सरकार भी इस बात की आवश्यकता पर पर्याप्त जोर देती है कि सहकारी समितियां अधिक से अधिक लोगों, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों की सेवा करें। इस प्रयोजन के लिए राज्यों को उनके सहकारी कानूनों में उपयुक्त संशोधन करने के लिए मार्ग दर्शन सिद्धान्त भेजे गए हैं। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे अपने कानूनों में इस बात के

लिए उपयुक्त प्रावधान करें कि नियमों और उप विधियों के उपबन्धो के अन्तर्गत सदस्यों के रूप में प्रवेश पाने के पात्र व्यक्ति स्वत: सदस्य बन सकें । इसी तरह राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे अपने कानूनों में प्राथमिक कृषि समितियों की प्रबंध समिति में कमजोर वर्गों के लिए अनिवार्य रूप से जगहें आरक्षित करने के लिए संशोधन करें। इन उपबन्धों का इरादा यह सुनिश्चित करना है कि सहकारी समितियां ग्रामीण आबादी के एक बहुत बड़े भाग की आवश्यकताओं को पूरा करें।

(ख) व (ग). जी नहीं।

Loan Given by I.F.C. to Factory Owners in Ghaziabad

2965. Shri Nawab Singh Chauhan : Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) whether some factory owners in Ghaziabad, who set up factories during the emergency, were given considerable loan by the Industrial Finance Corporation of India, Bombay ;

(b) the number and the names of the mill owners of Ghaziabad who were granted loans exceeding rupees two lakhs by the Central Government financing agencies during the last two **years** ;

(c) whether some of these mills are bogus and these loans were advanced on the basis of some recommendations ;

(d) whether Government would lay the facts on the Table of the House after making a full enquiry in this regard ; and

(e) if so, the time by which it would be done and the procedure for realising the loans granted to these bogus mills ?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H. M. Patel) : (a) to (e). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Chairman of Super Bazars in Delhi

2966. Shri Nawab Singh Chauhan : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) the names of the Chairman of Super Bazars in Delhi at present and her party affiliation ; .

(b) the tenure of the Chairman and whether the present Chairman has offered to step down ;

(c) the loss suffered or profit earned by Government from Super Bazars during the tenure of the present Chairman ;

(d) the suggestions made for increasing efficiency of Super Bazars and also for earning more profit from them and whether there is an Advisory Committee also therefor ; and

(e) if so, the names of Members thereof ?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) : (a) & (b). Smt. Savita Behan, Member of Parliament (Rajya Sabha), belonging to the Congress Party, had been nominated by Government as President of the Cooperative Store Ltd., which runs the chain of Super Bazars and its branches in Delhi on the 7th April, 1972. She has since resigned from the Presidentship of the Cooperative Store, which was accepted w.e.f. 17-5-1977. The question of nomination of the President and the re-constitution of the Managing Committee of the Cooperative Store, as laid down under the bye-laws of the Cooperative Store Ltd., is under consideration of the Government.

(c) The Super Bazar earned profits during the period as indicated below :—

1972-73	Rs. 0.51 lakhs	(Audited)
1973-74	Rs. 10.66 lakhs	(Audited)
1974-75	Rs. 4.46 lakhs	(Provisional; subject to Audit)
1975-76	Rs, 7.76 lakhs	(Provisional; subject to Audit)

(d) There is no Advisory Committee for the Super Bazar. The institution is managed by the managing committee nominated by the Government as laid down under the bye-laws of the Cooperative Store. However, various measures have been taken for improving inventory control and preventing losses on account of pilferage etc.

(e) Does not arise.

Alleged malpractices in the Board of Direct Taxes

2967. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) whether the Chairman of the Board of Direct Taxes has been retired on the grounds that his actions during the emergency were not in conformity with his office ;

(b) whether the Chairman and other officers of the Board of Direct Taxes, who were favourites of the previous Government, were given out of turn promotions ;

(c) whether Government propose to probe the actions of this Board during the emergency ; and

(d) if so, the time by which the probe is likely to be completed and whether Government propose to bring about improvement in the working of the Board ?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H. M. Patel) : (a) The former Chair man, Central Board of Direct Taxes, had been granted extension of service in the post, upto 31-12-1977. In response to his application dated 26-3-1977, he was granted leave from 1-4-1977 to 31-12-1977 with the stipulation that on the expiry of the leave, he would finally cease to be in service w.e.f. the afternoon of 31-12-1977. The application followed mention to him of the advisability of his proceeding on leave.

(b) Appointment to the post of Chairman, Central Board of Direct Taxis, is made by selection on merit. The former Chairman, Central Board of Direct Taxes, was selected for the post in April, 1974 in preference to two officers of the Indian Revenue Service (Income-tax) who were senior to him. During the period of the Emergency, no officer of the Indian Revenue Service (Income-tax) working in the Central Board of Direct Taxes was given out of turn promotion to any cadre post in the service.

(c) & (d). There is no proposal to make investigations into the working of the Central Board of Direct Taxes during the period of the Emergency, independently of the enquiries which may be made by any of the Commissions of Enquiry set up after the lifting of the Emergency, under the Commissions of Enquiries Act, 1952.

The functioning of the administrative machinery, including the working of the Central Board of Direct Taxes, is kept constantly under observation and appropriate measures to bring about improvement are taken as and when considered necessary.

Smuggling out of Coffee

2968. **Shri Nawab Singh Chauhan :**
Shri M. Ram Gopal Reddy :
Shri Anant Dave :
Shri Shankar Sinhji Vaghela :

Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item which appeared in the Hindustan Times dated the 13th June, 1977 that like silver and good quality of rice, the smugglers are smuggling coffee out of the country and earning huge profits thereon ;

(b) the names of the countries to which coffee is being smuggled and the quantity thereof in respect of each country ; and

(c) the efforts being made by Government to check the smuggling of coffee ?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H. M. Batel) : (a) Yes Sir, Although there is no large scale smuggling of these items, a few stray cases involving smuggling of coffee out of the country were noticed recently.

(b) The total quantity of coffee seized by the Customs authorities during the period May-June, 1977 is 1378 Kgs. These seizures indicated that coffee was intended to be smuggled to Persian Gulf countries.

(c) The field formations have been suitably alerted to be watchful and to thwart any attempt to smuggle out Indian coffee by sea or air.

खाद्य तेल का आयात

2969. **श्री अहमद एम. पटेल : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :--

(क) गत तीन वर्षों में कितनी मात्रा में खाद्य तेल का आयात किया गया है ;

(ख) राज्यों को खाद्य तेल का वितरण करने के लिए क्या पद्धति है ; और

(ग) गुजरात राज्य को, जिलेवार कितनी मात्रा में खाद्य तेल आबंटित किया गया ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

खाद्य तेलों का आयात

2970. **श्री अहमद एम० पटेल : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) इस वर्ष किस किस देश से कितने कितने खाद्य तेल का आयात किया जा रहा है ;

(ख) इस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी : और

(ग) देश में इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

निर्वाह व्यय सूचकांक

2971. **श्री पी० के० कोडियन : क्या वित्त तथा राजस्व और बेंकिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान निर्वाह व्यय सूचकांक क्या है ;

(ख) यह बात सुनिश्चित करने के लिए कि निर्वाह व्यय सूचकांक न बढ़े और मूल्य स्थिर रहें, क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ग) गत तीन वर्षों में निर्वाह व्यय सूचकांक में कितनी वृद्धि हुई है और किन कारणों से ?

वित तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ग). अखिल भारतीय औद्योगिक कामगार उपभोक्ता सूचक अंक (1960–100) मई, 1977 में (सबसे हाल का उपलब्ध) 313 था जबकि मई, 1974 में यह 294 था, अर्थात् इसमें तीन साल में 8.2 प्रतिशत की वद्धि हुई। वर्ष 1974–75 के दौरान सूचक अंक में जो वद्धि हुई थी उसका कारण यह था कि कृषि उत्पादन कम हुआ था और इसके साथ साथ अनाजों उर्वरकों, अलौह धातुओं और पैट्रोलियम उत्पादों की अन्तर्राष्ट्रीय किमतें बढ़ गई थीं। वर्ष 1975-76 में किमतें गिर गई क्योंकि देश में भरपूर फसल हुई था और साथ साथ विदेशों में भो किमतें में गिरावट आ गई थी। लेकिन यह प्रवृत्ति 1966-67 में उलट गई जिसका कारण यह था कि दालों, खाद्य तेलों और रुई जैसी कुछ वस्तुओं की कमी हो गई चाय और काफी जैसी निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में वद्धि हो गई थी।

(ख) सरकार कीमतों पर बराबर नजर रखती है, और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों असाधारण वृद्धि को रोकने के लिए समय समय पर जो उपाय किए जाते हैं वे ये हैं :– आयात के द्वारा (जैसे खाद्य तेलों, रूई और कृत्रिम रेशों के आयात द्वारा) अथवा निर्यात पर ('जैसे आलू, प्याज और चाय पर) प्रतिबंध लगाकर देश में आवश्यक वस्तुओं की पुर्ति में वृद्धि करना, (II) सरकारी स्टाक से अधिक माल (जैसे खाद्यन्न और चोनी) जारी करना (III) अनिवार्य विनियोग के प्रयोग में परिवर्तन करके (जैसे वनास्पती बनाने के लिए 90 प्रतिशत आयतित तेल इस्तेमाल करना और सूती कपड़ा बनाने के लिए प्रतिशत कृत्रिम दूशे इस्तेमाल करना) मांग में कमी करना। सरकार इन उपायों को जारी रखेगी और सरकारी वितरण प्रणाली को सुदढ़ बनाएगी ताकि उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं और अधिक मात्रा में उचित कीमत पर उपलब्ध कराई जा सकें।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक-बोर्ड का पुनर्गठन किया जाना

2972. **श्री पी० के० कोडियन : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक बोर्डों के पुनर्गठन किए जाने में विलम्ब हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इन बोर्डों के कब तक पुनर्गठित किए जाने की आशा है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) :(क) से (ग) : राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धक और प्रकीर्ण उपबन्ध) योजना, 1970 के खण्ड 3 के उपबन्धों के अनुसार 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों में से प्रत्येक के 11 दिसम्बर, 1972 को गठित निदेशक मंडल काम कर रहे हैं। इस योजना के उपबन्धों के अधीन प्रत्येक बैंक के मंडल में दो कर्मचारी निदेशकों सहित गैर-सरकारी निदेशक, जिनकी पद-अवधि समाप्त हो गई है, अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक उनके उत्तर-राधिकारी की नियुक्ति नहीं की जाती। आशा है मंडलों का पुनर्गठन शीघ्र कर दिया जायेगा।

Policy of S.T.C. regarding Lac Business in Ranchi

2973l Shri Karia Munda : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state whether lac business is suffreing loss in Ranchi as a result of the arbitrary policy of the officers of State Trading Corporation in Bihar ?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) : No, Sir.

STC has placed orders for procurement of seed lac on Bihar Government agencies with the stipulation of a minimum price tS be paid for stick lac.

पर्यटन के विकास के बारे में विशेषज्ञ समिति का गठित किया जाना

2974. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पर्यटन के विकास की जांच करने के लिए सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) सरकार का एक ऐसी समिति गठित करने का प्रस्ताव है जो इसे पर्यटन के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति की सिफारिश करेगी। समिति के विचारार्थ विषयों तथा इसके गठन (Composition) पर विचार किया जा रहा है और इस संबंध में शीघ्र ही निर्णय ले लिये जाने की आशा है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों की वसूली

2975. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों की राशि को वसूल करने के लिए कोई पृथक व्यवस्था है ; और

(ख) यदि नहीं, तो ऋणों को किस प्रकार वसूल किया जा रहा है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) अग्रिमों की मंजूरी उनका वितरण, उनके उपयोग की देखरेख तथा ऐसे अग्रिमों की वसूली के काम, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के शाखा प्रबन्धकों और अन्य सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले सामान्य कार्य का अंग हैं।

यद्यपि कुछ बैंकों के अपने मुख्य कार्यालयों में ऐसे अग्रिमों के बारे में, जिन्हें वसूल करना कठिन हो गया है, अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए कक्ष मौजूद हैं, फिर भी अलग से ऐसा कोई तंत्र नहीं है जिसे केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मंजूर किये गये अग्रिमों की वसूली का काम सौंपा गया हो।

(ख) ऋणों की वापसी वाजिब हो जाने पर उन्हें स्वयं ऋणकर्त्ता से वसूल किया जाता हैं ऋणकर्त्ता द्वारा ऋण वापिस न किये जाने की दशा में बक देय रकम को जमानत के रुप में रखी गई सम्पत्ति से अथवा ऋण के जमानतदार/गारण्टीकर्त्ता से वसूल करते हैं। अंतिम प्रयत्न के रुप में, अपनी रकम की वसूली के लिए बैंक ऋणकर्त्ता और अथवा जमानतदार और गारण्टीकर्ता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते है।

आंध्र प्रदेश में प्रोसेसिंग यूनिट

2976. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य में हथकरघा कपड़े को केलेन्डर करने, मरसिराइज करने और छपाई करने के लिये कोई प्रोसेसिंग यूनिट हैं; और

(ख) क्या सरकार के आन्ध्र प्रदेश राज्य में से एकक स्थापित करने के लिये कोई सहायता दी है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख). आन्ध्र प्रदेश राज्य में ऐसे कोई स्वतन्त्र प्रोसेसिंग एकक नहीं हैं जिनमें हथकरघा कपड़े को केलेन्डर करने, मरसिराइज करने तथा छपाई करने की सुविधा हो।

सहकारी समिति के अन्तर्गत एक प्रोसेसिंग एकक स्थापित किया जा रहा है। उस पर 94 लाख रु० परिव्यय होना है इसमें मुख्यत: राज्य और केन्द्रीय सरकारों तथा राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम का अंशदान होगा और इसमें समिति का भी लघु अंशदान है।

बैंकों में कथित अनियमिततायें

2977. **श्री शंकर सिंहजी बाघेला :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 11 जून, 1977 के साप्ताहिक 'ब्लिटज' में 'बैंकिंग विद सैक्स एण्ड ब्लैक मेल' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ग) क्या बैंक के सतर्कता विभाग ने इस बीच मामले की जांच की है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) क्या सरकार का विचार व्यापक जांच के लिये उक्त मामला केन्द्रीय गुप्तचर विभाग को सौंपने और इसके लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने का है?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (घ). सरकार ने बम्बई के साप्ताहिक "ब्लिट्ज" के 11 जून, 1977 के संस्करण में "बैंकिंग विद सेक्स एण्ड ब्लैक मेल" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की रिपोर्ट देखी है। इस सम्बन्ध में भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उसकी पड्डेर रोड शाखा की निरीक्षण और लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कुछ फिल्म वितरकों उत्पादकों, परिधान निर्यात सदनों आदि सहित कई ग्राहकों के खातों में लेनदेनों की कुछ अनियमितताएं बताई गयी हैं। ये अनियमितताएं इस प्रकार की थीं (1) विभिन्न ऋणकर्त्ताओं को जिनमें कुछ फर्जी थे, ओवर ड्राफ्ट की सुविधाओं की अंधाधुंध मंजूरी; और (2) नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेशों की अवहेलना करके नकद ऋण, निर्यात पैकिंग ऋण, पोस्ट शिपमेंट ऋण और निर्यात हुंडी समझौता सीमा के रूप में अग्रिमों की मंजूरी। बैंक के अनुसार इन अग्रिमों में व्याप्त कुल राशि 1 अक्टूबर, 1975 को लगभग 62 लाख रुपये थी।

बैंक के बम्बई स्थित स्थानीय मुख्य कार्यालय के सतर्कता और लेखा परीक्षा विभाग द्वारा इन अनियमितताओं की आगे और जांच की गई और उसके निष्कर्षों के आधार पर सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई आरम्भ की गई। विभिन्न अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई की स्थिति नीचे दी गई है :—

नाम	दण्ड
1. श्री डी० डी० तिलक, शाखा प्रबन्धक	नौकरी से बरखास्त कर दिया गया।
2. श्री एस० पी० मेन जोग, लेखाकार	नौकरी से बरखास्त कर दिया गया।
3. श्री आर० एन० बलसंगकर, फील्ड अधिकारी	बैंक में उन्हें अधिकारी के पद से लिपिक वर्ग में पदावनत किये जाने पर उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया।
4. श्री आर० डी० कृपलानी, (तत्कालीन) क्षेत्रीय प्रबन्धक	अनुशासनात्मककार्रवाई को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
5. श्री वी० के० हेरलेकर, (तत्कालीन) क्षेत्रीय प्रबन्धक	अनुशासनात्मक कार्रवाई को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
6. श्री एन० बी० गुडे, (तत्कालीन) क्षेत्रीय अधीक्षक	उन्हें नौकरी से सेवानिवृत्त होने को कहा गया था इस बीच इस अधिकारी का देहांत हो गया है।
7. श्री बी० बी० हरीहरन, शाखा निरीक्षक	जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए जांच की जा रही है।

बैंक ने बकायादार ऋणकर्त्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई आरम्भ कर दी है। बैंक ने अपने एक ग्राहक के विरुद्ध बम्बई की पुलिस में जालसाजी और धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज कराया है। बैंक ने मई 1977 में केन्द्रीय जांच ब्यूरो में एक औपचारिक शिकायत भी की है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो से अनुरोध किया गया है कि मामला दर्ज करे तथा इस मामले की जांच आरम्भ करे।

तस्कर

2978. डा वसन्त कुमार पण्डित : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आम रिहाई के बाद सभी तस्करों ने तस्कर और विदेशी मुद्रा प्रवंचक (सम्पत्ति का जब्त किया जाना) अधिनियम को असंवैधानिक कहकर चुनौती दी है; और

(ख) तस्करों से निपटने के बारे में सरकार की क्या वर्तमान नीति है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, केवल 14 तस्करों ने अपनी रिहाई के बाद तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 को संविधान के अधिकार-बाह्य बता कर उसे चुनौती दी है।

(ख) सरकार तस्करों के साथ सख्ती से कार्यवाही करेगी। उनके विरुद्ध सामान्य कानून के अधीन समुचित कार्यवाही की जाती रहेगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में गुप्त जमा खाते

2979. डा० बापू कालदाते : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक अभी भी गुप्त खातों के रूप में नकद राशियां बढ़ा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन गुप्त जमा राशियों के बारे में जानकारी जनता को नहीं दी जाती; और

(ग) जनता को उक्त जानकारी उपलब्ध कराने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग). बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 और उसके अधीन निर्धारित तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखों के फार्म के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित सभी बैंकों के लिए सांविधिक रूप से आवश्यक है कि वर्ष के दौरान अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए की गई व्यवस्था तथा अन्य सामान्य अथवा आवश्यक व्यवस्थाओं को घटा लेने के बाद अपने लाभ को प्रकाशित करें। इन व्यवस्थाओं का, लेखों में अप्रकटीकरण ही सम्भवत: माननीय सदस्य के ध्यान में है।

बैंक अपने लेखों में उपर्युक्त व्यवस्थाओं को पूरी तरह प्रकट करें, इस आशय का संविधि में कोई संशोधन करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के जमा खाते

2980. डा० बापू कालदाते : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों के खातों में अप्रैल और मई, 1977 में कुल कितनी राशियां जमा हुई;

(ख) खाताधारियों ने उपरोक्त अवधि में कितनी राशियां बैंक से निकालीं; और

(ग) जनता को अधिक धनराशियां जमा कराने को प्रोत्साहित करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख). रिजर्व बैंक द्वारा विकसित की गई सांख्यिकी सूचना देने की प्रणाली में सभी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रत्येक शुक्रवार को अपनी बकाया जमाओं की सूचना दिये जाने की व्यवस्था है। उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि मार्च, 1977 के अंतिम शुक्रवार को सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बकाया जमाओं को राशि 14879 करोड़ रुपये थी, जो मई, 1977 के अंतिम शुक्रवार तक बढ़कर 15628 करोड़ रुपये हो गई। इस प्रकार अप्रैल और मई 1977 के दो महीनों की अवधि में सरकारी क्षेत्र की जमाओं में से निकाली गई रकमें घटाने के बाद जमाओं की शुद्ध बकाया राशि में 749 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

(ग) अधिक संख्या में जनता को बैंकिंग सेवाएं सुलभ कराने तथा जनता से बचतें इकट्ठी करने के लिए अपनी शाखाओं के जाल को फैलाने के अलावा, सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने तरह तरह के छोटे जमाकर्त्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप कई योजनाएं बनाई हैं। जमाओं को जुटाने और जनता को अपनी सेवाओं से अवगत कराने के लिए बैंक उद्देश्यपूर्ण प्रचार भी करते हैं।

Purchase of Aeroplanes by Rajasthan Government

2981. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) whether Rajasthan Government have taken a decision to purchase two small American aeroplanes, one of which costs about rupees eleven lakhs ;

(b) whether these aeroplanes are proposed to be purchased from the loan granted by World Bank for Rajasthan canal project ; and

(c) the reasons for purchasing these aeroplanes from the funds provided by World Bank ?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H. M. Patel) : (a) No, Sir.

(b) & (c). Do not arise.

मारुति लिमिटेड को कार्यकर पूंजी और उसे दिए गए ऋण सम्बन्धी फाइल का लापता होना

2982. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति लिमिटेड की कार्यकर पूंजी तथा उसे दिये गये अन्य ऋणों से सम्बन्धित फाइल कलकत्ता स्थित सैंट्रल बैंक आफ इंडिया की स्थानीय शाखा से लापता हो गई;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले की कोई जांच की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (घ). सैंट्रल बैंक आफ इंडिया ने सूचना दी है कि एक फाइल जिसमें मारुति लिमिटेड के खाते से सम्बन्धित दिसम्बर, 1971 से जनवरी, 1974 तक हुआ पत्र-व्यवहार और अन्य कागजात थे, बैंक के नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से गायब हैं। बैंक ने बताया है कि इस फाइल के गायब होने का पता क्षेत्रीय कार्यालय को मई, 1974 में ही लग गया था, परन्तु केन्द्रीय कार्यालय को इस की सूचना मई, 1977 में दी गई। बैंक ने यह भी बताया है कि चूंकि लगभग सभी प्रस्तावों तथा लेने देनों का हवाला या स्वीकृति की सूचना इसके दिल्ली स्थित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा केन्द्रीय कार्यालय बम्बई को दी गई थी, अतः बहुत से सम्बन्धित कागजातों की प्रतियां या तो शाखा या फिर केन्द्रीय कार्यालय में उपलब्ध हैं। सैंट्रल बैंक आफ इंडिया ने यह भी सूचना दी है कि बैंक के देयों को वसूली के लिए आवश्यक सभी प्रतिभूति प्रलेखों अथवा मंजूरी देने वाले अधिकारी की पहचान के लिए आवश्यक स्वीकृती पत्रों जैसे कोई महत्वपूर्ण कागजात गायब नहीं हुए हैं। बैंक के मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक से कहा गया है कि इस फाइल को फिर से तैयार करने की दृष्टि से इस मामले की जांच करें। सैंट्रल बैंक आफ इंडिया ने यह भी सूचित किया है कि बैंक के केन्द्रीय कार्यालय ने इस मामले की जांच का आदेश दे दिया है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गरीब लोगों को ऋण दिया जाना

2983. **श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंक समाज के गरीब वर्गों को ऋण देने में हिचकिचाते हैं ;

(ख) क्या कृषकों को ऋण देने के बारे में भी ऐसी शिकायतें मिली हैं ; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख). कृषकों सहित समाज के अपेक्षया निर्धन वर्गों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों से ऋण प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों के बारे में समय समय पर शिकायतें प्राप्त होती हैं। ऐसी शिकायतें मिलने के बाद सम्बन्धित बैंक को आवश्यक कार्रवाई के लिए लिखा जाता है।

(ग) समाज के कमजोर वर्गों की अपेक्षा अधिक मात्रा में ऋण दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने जो उपाय किये हैं उनमें से कुछ निम्नलिखित है :

(1) समाज के निर्धन वर्गों को अधिक मात्रा में ऋण दिये जाने की दृष्टि से बैंकों को सलाह दी गई है कि उनके समग्र अग्रिमों का कम से कम $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत भाग प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिया जाये।

(2) हालही में, सरकार ने विभेदी ब्याज दर योजना के क्षेत्र और व्याप्ति का विस्तार कर दिया है । इस योजना के अधीन समाज के कमजोर वर्गों के पात्र व्यक्तियों को 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाता है ।

(3) बैंकों को सलाह दी गयी है कि 10,000/– रु० तक की ऋण सीमा के आवेदन पत्रों को 3 से 4 सप्ताह की अवधि में और 10,000/–रु० और उससे अधिक सीमा के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के आवेदन पत्रों को 3 महीने की अवधि में निपटा दिया जाना चाहिए ।

आसाम में हथकरघा उद्योग में संकट

2984. **श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी:** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धागे की अनुपलब्धता के कारण आसाम में हथकरघा उद्योग को गत वर्ष से संकट का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) सरकार बुनकरों को धागे की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) पिछले वर्ष के दौरान आसाम के हथकरघा बुनकरों को यार्न की अप्राप्यता के बारे में किसी विशिष्ट समस्या की ओर हमारा ध्यान नहीं दिलाया गया था ।

(ख) भारत सरकार ने आसाम के लिए दो विशेष परियोजनाएं मंजूर कर दी हैं जिनमें एक नालबाड़ी (जिला कामरूप) में 10,000 करघों की गहन विकास परियोजना है और एक अपराहली सवलकुची क्षेत्रों में 1000 करघों की निर्यात उत्पादन परियोजना है । इन विशेष परियोजनाओं के अधीन लक्ष्य, परियोजनाओं द्वारा कवर होने वाले सभी बुनकरों को यार्न सहित सभी निविष्ट साधनों की नियमित तथा सहज सप्लाई सुनिश्चित करना और तैयार उत्पादों का विपणन करना है ।

जयपुर हवाई अड्डे में निर्मित हैंगर

2985. **श्री रोबिन सेन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपातस्थिति के दौरान मारुति एविएशन लिमिटेड द्वारा सफदरजंग हवाई अड्डे को पूर्णत: अपने नियंत्रण में लिये जाने से पूर्व जयपुर हवाई अड्डे में निर्मित एक मजबूत हैंगर को सफदरजंग हवाई अड्डे पर स्थानान्तरित किया जाना था ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोतम कौशिक) : (क) और (ख). मामले की जांच की जा रही है तथा इस मामले के तथ्य सभा पटल पर रख दिये जाएंगे ।

चीन को चमड़े की तस्करी

2986. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश और नेपाल के माध्यम से भारत से चीन को बड़े पमाने पर चमड़े की तस्करी की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं। सरकार को प्राप्त रिपोर्टों से बंगलादेश और नेपाल से होकर चीन को खालों के बड़े पैमाने पर तस्कर निर्यात का कोई संकेत नहीं मिलता ।

(ख) हालांकि भू-सीमाओं से बड़े पैमाने पर कोई तस्करी नहीं होती, फिर भी, तस्करी-विरोधी उपाय सुदृढ़ किये जा रहे है । इन उपायों में सीमावर्ती क्षेत्रों पर सख्त निगरानी रखना, मुख्य परिवहन मार्गों पर गश्त लगाना और आसूचना और अन्वेषण संगठनों को मजबूत बनाना शामिल है ।

स्टर्लिग चाय कम्पनियों द्वारा एजेंसी करार समाप्त किए जाना

2987. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 अप्रैल, 1977 के 'इकानामिक टाइम्स' से कलकत्ता संस्करण में प्रकाशित एक समाचार में यह आरोप लगाया गया है कि अनेक स्टर्लिग चाय कम्पनियों ने करारों में निर्धारित अनिवार्यता और शर्तों की पूर्णतया उपेक्षा कर भारतीय कम्पनियों के साथ किए गए एजेंसी करार एक पक्षीय समाप्त कर दिए हैं ;

(ख) क्या यह भी आरोप लगया गया है कि विदेशी कम्पनियों एक युग पुराना उक्त करार मनमाने ढंग से तोड़ने का साहस नहीं करती यदि पूर्वी क्षेत्र के एक उद्योगपति की, जो किसी समय नई दिल्ली में अतिरिक्त सर्वा संवैधानिक शक्ति का स्रोत्र था, कृपा न होती ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) (क) और (घ). सरकार को मालूम है कि कुछ स्टर्लिग चाय कम्पनियों ने भारतीय कम्पनियों के साथ अपने एजेंसी करार समाप्त कर दिए है । इस प्रकार समाप्त किए गए एजेंसी करारों से पैदा होने वाले विवाद विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धाराओं के क्षेत्र में नहीं आते और व्यथित कम्पनियों को ऐसे विवादों का निपटारा दीवानी अदालतों में करवाना पड़ता है ।

(ख) और (ग). सरकार को उन परिस्थितियों की कोई जानकारी नहीं है, जिनके अधीन ये एजेंसी करार समाप्त किए गए थे ।

मारुति हैवी व्हीकल्स लि० को रोड रोलरों की बिक्री

2988. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोड रोलरों का निर्माण करने वाली एक फर्म—यूनाइटेड प्रोविन्सेज कर्मशियल कारपोरेशन लि० ने बंधे हुए (असेम्बिल्ड) और बिना बंधे हुए (अन-असेम्बिल्ड) अपने रोड रोलर पंजाब नेशनल बैंक के पास गिरवी रखे थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उक्त कम्पनी ने 40,000 रु० प्रति रोड रोलर के हिसाब से रोड रोलरों को खरीदने का प्रस्ताव किया था ;

(घ) क्या यह भी सच है कि उन्हीं रोड रोलरों को मारुति हैवी व्हीकल्स लि० को 25,000 रु० प्रति रोड रोलर के हिसाब से बेच दिया गया था, जिसमें भूतपूर्व प्रधान मंत्री के पुत्र और परिवार के सदस्यों के भारी वित्तीय हित निहित थे; और

(ङ) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उन्हीं रोड रोलरों को 1,25,000 रु० प्रति रोड रोलर या लगभग उतनी कीमत पर मारुति व्हीकल्स लि० ने सरकार को बेचा था ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (घ). पिछले पन्द्रह वर्षों से पंजाब नेशनल बैंक में "दी यूनाइटेड प्राविसेन्ज कर्मशियल कारपोरेशन लिमिटेड" का कोई खाता नहीं है ।

स्पष्ट है कि माननीय सदस्य के ध्यान में, इसी समूह के अरविन्द फेब्रिकेशन्स लिमिटेड द्वारा पंजाब नेशनल बैंक के पास जमानत के रूप में रखे सड़क कूटने के 35 इंजिनों (एसेम्बिल्ड और अनएसेम्बिल्ड) तथा फालतू पुर्जों की न्यायालय मार्फत नीलामी से की गई बिक्री हैं । यह कम्पनी *4 जून, 1968* को परि समाप्त हो गई थी । कम्पनी के परिसमापन की प्रक्रिया के दौरान कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किये गये रिसीवर के मार्फत बेचे गये सड़क कूटने के 35 इंजिनों और फालतू पुर्जों की बिक्री का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

	रुपये
(1) सड़क कूटने के 2 इंजिन, प्रति इंजिन 40,000 की दर से, दूसरे सहयोगी प्रतिष्ठान पार्टस सरविस इंडिया लिमिटेड को बेचे गये . .	80,000
(2) सड़क कूटने का 1 इंजिन 55,000 रुपये की दर से एक पार्टी को बेचा गया	55,000
(3) सड़क कूटने के 14 इंजिन विभिन्न मूल्यों पर विभिन्न पार्टियों को बेचे गये	8,40,000
(4) सड़क कूटने के 8 इंजिन प्रति इंजिन 62,000 रुपये की दर से विभिन्न पार्टियों को बेचे गए	4,96,000
(5) सड़क कूटने के 10 इंजिन (अनएसेम्बिलड) 49,500 की दर से मारुति हैवी व्हीकल्स लिमिटेड (सब से ऊंची बोली देने वाले) को बेचे गये .	4,95,000
(6) फालतू पुर्जे आदि का स्टाक मारुति हैवी व्हीकल्स लिमिटेड को बेचा गया	14,96,000
जोड़ . .	34,62,000

(ङ) यथा सम्भव सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायगी ।

श्रीमती आनन्द की विदेश यात्रा

2989. **श्री ज्योतर्मय बसु** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की पुत्रवधु की माता श्रीमती आनन्द ने हाल ही में विदेशों का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो विदेश यात्रा करने के क्या कारण है ; और

(ग) उन्होंने कितनी बार विदेश यात्रा की और उसके लिये कितनी विदेशी मुद्रा दी गई ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) सरकारी रिकार्ड की जांच करने से यह पता चलता है कि सरकार ने जनवरी 1975 से आज तक भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्रीमती गांधी की पुत्र-वधू की माता श्रीमती आनन्द को विदेश जाने की कोई अनुमति नहीं दी है ।

(ख) और (ग). ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

दिल्ली इकानामिक टाइम्स के ब्यूरो के प्रमुख की संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा पर खर्च की गई धनराशि

2990. **श्री ज्योतिर्मय बसु**: क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसकी ओर से और किसके निमंत्रण पर दिल्ली इकानामिक टाइम्स ब्यूरो के प्रमुख ने संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की थी;

(ख) क्या श्रीमती इन्दिरा गांधी और उनकी सरकार की ओर से आपातस्थिति की उपलब्धियों का प्रचार करने के लिए उससे कहा गया था;

(ग) संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचार कार्य पर तथा आपातस्थिति के दौरान यहां की गई सेवाओं के लिए उस पर भारत सरकार ने कितनी धनराशि खर्च की ; और

(घ) उससे सम्बद्ध अन्य संगत ब्यौरा क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) इकानामिक टाइम्स, नई दिल्ली के न्यूज ब्यूरो के प्रमुख श्री जगन्नाथ पारिमू मई, 1976 में सयुक्त राज्य अमेरिका के नई दिल्ली स्थित राजदूतावास से प्राप्त निमंत्रण के आधार पर अमेरिका गये थे । यह निमंत्रण विदेश मंत्रालय में आया था, जिसने गृह मंत्रालय आदि से आवश्यक अनुमति प्राप्त करके उन्हें अमेरिका जाने की इजाजत दे दी थी ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) उक्त पैरा (क) में उल्लिखित यात्रा संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के निमंत्रण पर की गई थी, जिसने श्री पारिमू के आने-जाने और ठहरने का सारा खर्चा वहन किया तथा इस यात्रा पर भारत सरकार ने कोई रकम खच नहीं की थी ।

(घ) समय समय पर जारी की जाने वाली मौजूदा हिदायतों के अनुसार भारत स्थित सभी राजनयिक मिशनों के लिए अनिवार्य है कि वे विदेश यात्रा के लिए भारतीय पत्रकारों को दिए जाने वाले निमंत्रण विदेश मंत्रालय के विदेश प्रचार विभाग द्वारा भिजवायें । यह मंत्रालय अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों/संगठनों (अर्थात गृह मंत्रालय, सूचना और प्रचार मंत्रालय आदि) से परामर्श करता है और उनकी अनुमति मिलने पर भारत स्थित विदेशी मिशन से प्राप्त निमंत्रण उस पत्रकार को व्यक्तिगत रूप से भेज दिया जाता है । जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्रश्न के पैरा (क) में उल्लिखित श्री पारिमू की यात्रा के मामले में भी इसी कार्य पद्धति का पालन किया गया था ।

जीवन बीमा निगम के व्यापार में गिरावट

2991. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वष 1976–77 के दौरान जीवन बीमा निगन के व्यापार में गिरावट आई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख). वर्ष 1976–77 के दौरान व्यक्तिगत बीमाओं के अन्तर्गत जीवन बोमा निगम ने कुल 20.58 लाख पालिसिओं के अन्तर्गत 2112.49 करोड़ रुपए का नया कारबार किया, जब कि 1975–76 के दौरान 20.13 लाख पालिसियों के अन्तगत 2116.30 करोड़ रुपए का कारबार किया गया था । वष 1976–77 में पालिसियों की सख्या तो बढ़ी, किन्तु बीमे की रकम लगभग उतनी ही रही ।

नया कारबार प्राप्त करने में गतिरोध पैदा हो गया है उसके कुछ कारण ये हैं :—

(i) अन्य बचत संगठनों के साथ कड़ा मुकाबला, जो उनके यहां लगाई गई रकमों पर अधिक प्रतिफल देते हैं ;

(ii) जिन क्षेत्रों से जीवन बीमा का कारबार काफी अधिक मात्रा में मिलना था, वे 1976–77 के दौरान बाढ़, सुखा और तूफानों जैसी दैवी विपत्तियों से प्रभावित रहे; और

(iii) मुख्य रूप से क्षेत्रीय कर्मचारियों के अपर्याप्त प्रयत्नों के कारण अकेले मार्च, 1977 के महीने में कारबार में 110 करोड़ रुपए की कमी हुई जब कि मार्च, 1976 में 460 करोड़ रुपए का कारबार किया गया था ।

2. रक्षा सेवाओं के ग्रुप कारबार का नवीकरण न किए जाने के कारण ग्रुप स्कीमों के कारबार में भी कमी हुई अर्थात वर्ष 1975–76 में इस शोर्ष के अन्तर्गत 3269.04 करोड़ रुपए का कारबार हुआ था जो 1976–77 में घटकर 3007.18 करोड़ रुपए का रह गया ।

दूरस्थ नगरों को विमान सेवायें उपलब्ध करने सम्बन्धी प्रस्ताव

2992. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न दूरस्थ नगरों को विमान सेवायें उपलब्ध करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख). इंडियन एयरलाइन्स के विमान-बेड़े में इस समय जितने भी विमान है, वे सभी वतमान मार्गों पर परिचालन करने में पूर्णतया व्यस्त है। इसलिए जब तक विमान-बेड़े में वृद्धि नहीं हो जाती, तब तक इडियन एयरलाइन्स की अपने मार्ग-तंत्र पर और नये शहरों को जोड़ने की कोई योजनायें नहीं हैं । तथापि, छोटे कस्बों और शहरों को (जिनके लिए इंडियन एयरलाइन्स विमान सेवायें परिचालन नहीं करती) अल्प क्षमता वाले विमानों द्वारा जोड़ने के लिए एक तीसरी कोटि की विमान सेवा (थर्ड लेवल एयर सर्विस) स्थापित करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

दोषी कपड़ा मिलें

2993. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा मिलों ने नियंत्रित मूल्य वाले कपड़े के निर्माण में त्रुटि की है जिसके परिणामस्वरूप निर्धन उपभोक्ता प्रभावित हुये है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख). नियंत्रित कपड़े के अपने दायित्वों को पूरा करने के सम्बन्ध में कुछ मिलें दोषी पाई गईं । ऐसी मिलों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन कानूनी कार्यवाही की जा सकती है । ग्यारह मामलों में पहले ही प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी हैं और दो मिलों के मामले में न्यायालयों में आरोप पत्र दाखिल कर दिए गए हैं ।

मारुति फर्मों, कम्पनियों को विदेशी कम्पनियों से प्राप्त कमीशन

2994. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन चार वर्षों में मारुति लिमिटेड, मारुति टेक्नीकल सर्विसेज (प्राइवेट) लिमिटेड तथा मारुति हैवी व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड को विदेशी फर्मों तथा विदेशी सरकारों से कुल कितनी राशि कमीशन के रूप में प्राप्त हुई;

(ख) करार का ब्यौरा क्या था तथा मारुति फर्मों ने विदेशी फर्मों को कौन-कौन सी वस्तुएं सप्लाई की थी और विदेशों को कितने मूल्य का माल सप्लाई किया गया था; और

(ग) मारुति फर्मों को भारत में कितनी राशि प्राप्त हुई और कितनी राशि विदेशी बैंकों में जमा करायी गई है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) मौजूदा विदेशी मुद्रा विनियमों के अधीन विदेशी मुद्रा कमाने और उसे भारत भेजने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। लेकिन भारत में फर्मों/कम्पनियों को इस प्रकार कमाई गई विदेशी मुद्रा का भारतीय रिजर्व बैंक के पास कोई ब्यौरा नहीं भेजना होता और इसलिए इस सम्बन्ध में बैंक के पास कोई रिकार्ड नहीं है।

(ख) निर्यात की वर्तमान कार्यप्रणाली के अनुसार सभी निर्यातकों को प्रत्येक लदान के लिए निर्धारित फार्म में अपने निर्यात की घोषणा करनी होती है। सामान्य निर्यात के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्वानुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती जब तक कि निर्यात आस्थगित अदायगी के आधार पर न किया गया हो। भारतीय रिजर्व बैंक ने मारुति समूह को आस्थगित अदायगी के आधार पर निर्यात करने की कोई अनुमति नहीं दी है। जहां तक मारुति समूह द्वारा भेजे गए माल के ब्यौरे और उसके मूल्य का सम्बन्ध है, यह जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है और यह इन कम्पनियों के बैंकरों से ही इकट्ठी की जा सकती है।

(ग) यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और सम्बद्ध कम्पनियों के बैंकरों से ही इकट्ठी करनी होगी।

मौजूदा विनियमों के अधीन भारतीयों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की इजाजत के बिना विदेशों में विदेशी मुद्रा में खाते नहीं खोले जा सकते। जहां तक उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित कम्पनियों का सम्बन्ध है उनसे भारतीय रिजर्व बैंक को विदेशों में खाते रखने के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत प्राधिकृत डीलरों द्वारा सांख्यिकीय प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा की सभी प्राप्तियां की सूचना समय-समय पर विभिन्न प्रकार के विवरणों में भारतीय रिजर्व बैंक को भेजी जाती हैं और इनमें फर्मों/कम्पनियों के अनुसार ब्यौरा नहीं होता।

इस सम्बन्ध में जानकारी के लिए यह भी बता दिया जाए कि भारत सरकार ने इन कम्पनियों के मामलों की जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया है जिसके विचाराधीन विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी शामिल है :

"उक्त सभी मारुति कम्पनियों या कुछ कम्पनियों या इनमें से एक कम्पनी द्वारा किए नए विदेशी सहयोग, करारों, विदेशी पार्टियों के साथ किए गए सविदाओं से सम्बद्ध सभी मामले जिनमें करार के भारतीय पक्ष की करार को पूरा करने की क्षमता और उसके निष्पादन की सामर्थ्य, ऐसे करारों के गुण दोष तथा उनका औचित्य, ऐसे करार प्राप्त करने की कार्य-प्रणाली और इनका कानून-सम्मत होना इन करारों, सविदाओं और लेनदेनों के करने और/या उनके अनुमोदन के सम्बन्ध में निर्धारित शर्तें, नीतियां प्रथायें, नियम और विनियम शामिल हैं।"

प्रेमचन्द जूट मिल, हावड़ा को नियंत्रण में लेने के लिए कार्यवाही

2995. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रेमचन्द जूट मिल, हावड़ा, के प्रबन्धक 7 अगस्त, 1973 से तालाबन्दी, जबरन छुट्टी आदि के बहाने यदा-कदा मिल को बन्द करते रहे हैं जिसके फलस्वरूप कर्मचारी बेरोजगार हो गये;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त पटसन मिल वर्ष 1920 से देश में पटसन के कुल उत्पादन का लगभग दो प्रतिशत भाग का उत्पादन करती थी; और

(ग) यदि हां, तो उक्त मिल को सरकारी नियंत्रण में लेने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) प्रेमचन्द जूट मिल औद्योगिक विवादों के कारण 1973 से समय-समय पर बन्द रही ।

(ख) सरकार को ऐसे किसी दायित्व की जानकारी नहीं है । फिर भी, उपलब्ध आंकड़ों से पता लगता है कि उक्त मिल देश में पटसन माल के कुल उत्पादन के लगभग 1-2 प्रतिशत भाग का उत्पादन करती रही थी ।

(ग) फिलहाल इस मिल को नियंत्रण में लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

महाराष्ट्र राज्य के लिये खाद्य तेल की व्यवस्था

2996. **श्री वसन्त साठे** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र राज्य से कोई पत्र मिला है जिसमें राज्य की खाद्य तेल की भारी कमी को पूरा करने के लिये जून से सितम्बर, 77 की अवधि में 10,000 टन खाद्य तेल की व्यवस्था करने की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). महाराष्ट्र सरकार ने जनवरी, 1977 में कमी के मौसम की मांग को पूरा करने के लिए 10,000 मीटरी टन सोयाबीन के तेल का आरक्षण करने के लिए कहा। उन्होंने 1650 मीटरी टन सोयाबीन के तेल की तुरन्त सुपुर्दगी के लिये विशिष्ट अनुरोध किया । यह दे दिया गया । बाद में, महाराष्ट्र सरकार की मांग के अनुसार आयातित रेपसीड तेल तथा परिष्कृत आयातित रेपसीड तेल भी दे दिये गये हैं । इसके अलावा, राज्य सरकार की मांग के अनुसार 8.50 रु० प्रति किलोग्राम की दर से परिष्कृत तेल भी दिया जा रहा है ।

कमी वाली वस्तुओं के आयात के बारे में कदाचार

2997 **श्री वसन्त साठे** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अन्दर आन्तरिक बाजार में कुछ कमी वाली वस्तुओं, जैसे बकरे की चर्बी स्टेनलैस स्टोल, पाम आयल, ब्रास स्क्रिप्स, ब्लैक सैन्टर्स और फार्मास्यूटिकल रसायनों के आयात के बारे में तथा कथित निर्यात संवर्धन योजना के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर होने वाले कदाचारों की सरकार को जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने किस प्रकार की कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) तथा (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

सान्ताक्रूज हवाई अड्डे पर हुई केराविल विमान दुर्घटना के बारे में नियुक्त विशेषज्ञ दलों के निष्कर्ष

2998. **श्री वसन्त साठे** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष 12 अक्तूबर को सान्ताक्रूज हवाई अड्डे पर हुई केराबिल विमान दुर्घटना के बारे में नियुक्त विशेषज्ञ दलों से सरकार को प्रतिवेदन प्राप्त हो गये है ; और

(ख) यदि हां, तो विशेषज्ञ दलों के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) 12 अक्तूबर, 1976 को सांताक्रुज़ हवाई अड्डे पर इंडियन एयरलाइंस के कैराविल विमान की दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए श्री जस्टिम एस० बी० भस्मे की अध्यक्षता में एक जांच अदालत नियुक्त की गयी है । जांच अदालत की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Issue of Import Licences to fake Firms

2999. Shri Hukmdeo Narain Yadav : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) the particulars of cases during 1975-76 where import licences were given to the fake firms and the imported goods were sold in the black market ; and

(b) whether Government propose to conduct an enquiry in this regard and punish the guilty persons ; if so, the nature of punishment proposed to be given to them ?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) : (a) and (b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

रूई की कीमतों के कारण कपड़ा उद्योग में संकट

3000. **श्री रामचन्द्रन् कडनापल्ली:** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुई की कीमतों की वजह से कपड़ा उद्योग में आये संकट से उनका मंत्रालय अवगत है ;

(ख) क्या रुई की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) सरकार द्वारा किये गए उपायों के फलस्वरूप रुई की कीमतें या तो मामूली सी कम हो गई हैं या स्थिर हो गई हैं ।

विवरण

रुई के उत्पादन में गिरावट की वजह से रुई की कीमतों में वृद्धि का रुख रहा और वे विगत वर्ष की कीमतों की अपेक्षा ऊंची रही । सरकार द्वारा रुई की कीमतें स्थिर रखने के लिए बहुत से उपाय किये गए, जिनमें ये शामिल हैं :—

1. विदेश से रुई का आयात ।
2. सूती वस्त्र मिलों को 31-10-1977 तक खुले सामान्य लाइसेंस के आधार पर मानव निर्मित रेशे आयात करने की अनुमति दे दी गई है ।
3. सूती वस्त्र उद्योग के लिए 1-1-1977 से अपनी कुल खपत का कम से कम 10% गैर-सूती रेशे का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है ।
4. मिलों और व्यापारियों पर स्टाक सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगा दिए गए हैं जिससे कि उपलब्ध रुई सभी मिलों को उचित रूप से मिल सके ।

5. मध्यावधि उपायों के रूप में आगामी खरीफ तथा रबी मौसम के दौरान रुई का अधिकाधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए गठित की गई। विशेष समिति सिफारिशों राज्य सरकारों के जरिए कार्यान्वित की जा रही है।

6. दीर्घावधि उपाय के रूप में सरकार द्वारा देश के भीतर रुई का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

केरल में कताई मिलों के कर्मचारियों की समस्याएं

3001. **श्री रामचन्द्रन् कडनापल्ली :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान केरल में कताई मिलों के कर्मचारियों की समस्याओं की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री (श्री मोहन धारिया): (क) तथा (ख). केरल की 22 में से 5 कताई मिलों के बन्द हो जाने के कारण कई कर्मचारी बेकार रहे हैं। इनमें से दो मिलें पिछले महीने फिर से चालू हो गई है और एक अन्य मिल के शीघ्र ही पुनः चालू करने को तैयारी हो रही है। शेष दो मिलों के मामले में उन्हें फिर से चालू करने के लिए राज्य स्तर पर प्रयत्न किए जा रहे हैं। यदि कोई अर्थक्षम प्रस्ताव आया तो केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को सभी आवश्यक सहायता देगी।

तमिलनाडु में क्रेप का उत्पादन

3002. **श्री रामचन्द्रन् कडनापल्ली :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र आयुक्त ने एक अधिसूचना जारी करके कपड़े की कुछ मदों का उत्पादन कार्य एक मात्र हथकरघा क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया है ;

(ख) क्या तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में बनने वाला क्रेप अब भी बहुत बड़ी मात्रा कन्नानूर आता है, जहां उसे अंतिम रुप से तैयार किया जाता है और उसे हथकरघा क्रेप के रुप में बेचा जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां।

(ख) तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में शक्ति चालित करघों पर क्रेप की थोड़ी मात्रा के बनाए जाने के कुछ मामलों का पता चला है जो हथकरघा उत्पादों के नाम से चल रहा हो सकता है। परन्तु राज्य अधिकारियों द्वारा तमिलनाडु में शक्ति चालित करघों पर भारी मात्रा में क्रेप तैयार करने की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ग) शक्ति चलित करघों पर क्रेप बनाने के प्रतिबन्ध पर प्रभावी रूप में अमल के लिए राज्य सरकार आवश्यक कार्यवाही कर रही है। उन्होंने मार्च, 1977 में क्रेप पर रोक लगाए जाने से लेकर अब तक शक्ति चलित करघा केन्द्रों में क्रेप के विनिर्माण के उल्लघन के संबंध में लगभग 100 शक्ति चलित करघों के खिलाफ कार्यवाही की है। बताया गया है कि राज्य वस्त्र विभाग के फील्ड अधिकारी शक्ति चालित करघा विनिर्माताओं द्वारा क्रेप के अवैध उत्पादन के संबंध में कड़ी निगरानी रख रहे हैं।

Operation of Caravelle and Avro Planes

3003. Shri Bhagirath Bhanwar : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government have any proposal to put on air routes again the Caravelle and Avro Planes which have not been in operation for a long time and if so, the facts in this regard ;

(b) the financial loss suffered by Government for not operating these planes for a long time ; and

(c) the number of planes among them which can be operated again on air routes ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) and (c) : Five Caravelle aircraft in the fleet of Indian Airlines were grounded for inspection of engines on 30th October, 1976. The first after the fatal accident to a Caravelle aircraft at Bombay airport was put back into scheduled service on 10th February, 1977, the second on 24th March, 1977 and the third on 26th May, '77. With the induction of Airbus aircraft in the Corporation's fleet into regular operations with effect from 14th January, 1977, two Caravelle aircraft have been released for disposal in view of their adverse operating economics. As regards HS-748 (Avro) aircraft, it is not correct to say that they have not been in operation for a long time. These aircraft have been in operation and were withdrawn temporarily from service, one at a time to facilitate certain mandatory structural inspections. There are in all 15 HS-748 aircraft in the fleet of Indian Airlines.

(b) As these aircraft had to be withdrawn from service for mandatory inspection the question of financial loss does not arise.

सूती कपड़ा मिलों का बन्द होना

3004. **श्री के० प्रधानी** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपास के मूल्य बहुत बढ़े हुए हैं और अच्छी-अच्छी मिले भी लाभप्रद ढंग से काम करने में कठिनाई अनुभव कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त परिस्थितियों के कारण देश में कितनी सूती वस्त्र कपड़ा मिलें बन्द पड़ी है ;

(ग) क्या सरकार ने बैंकों द्वारा ऋणों एवं ब्याज के सम्बन्ध में इनके साथ अधिक उदार रवैया अपनाने के बारे में कोई उपाय किये है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री (श्री मोहन धारिया) (क) तथा (ख): रुई की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि से सारे सूती वस्त्र मिल उद्योग के लिए कठिनाइयां पैदा हो गई है

और कमजोर तथा सीमान्त मिलों पर उसका कहीं ज्यादा असर पड़ा है। इस समय कई कारणों से, जिनमें वित्तीय कठिनाइयां, श्रमिक प्रबन्धक सम्बन्ध तथा कुप्रन्बध भी शामिल है, लगभग 31 मिलें बन्द पड़ी बताई जाती है।

(ग) तथा (घ) सूती वस्त्र उद्योग के सामने जो कठिनाइयां हैं उनकी कठोरता कम करने के लिए किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं :—

(1) रुई के उपलब्ध संभरणों के वितरण का अधिक कारगर ढंग से विनियमन करने के अलावा, आयात करके रुई की प्राप्यता में वृद्धि की गई है। स्टैपल रेशे तथा पोलिस्टर रेशे जैसे एवजी माल का खुले सामान्य लाइसेंसों के आधार पर आयात करने को, स्टैपल रेशे के मामले में बिना शुल्क, अनुमति दे दी गई है।

(2) सूती वस्त्र मिलों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे अपने कच्चे माल के कम से कम 10 प्रतिशत मानव-निर्मित रेशे प्रयोग करें।

(3) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी गई है कि वे वित्तीय दृष्टि से कमजोर मिलों पर ऋण प्रतिबन्ध कठोरता से या अंधाधुंध लागू न करें। उदाहरणार्थ, जिन एककों को कंट्रोल के कपड़े के उत्पादन से छूट दी गई है उन्हें 10 प्रतिशत का वर्धित मार्जिन लागू किए जाने से छूट दी जा सकती है।

(4) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूती वस्त्र मिलों को आधुनिकरण के लिए आसान शर्तों पर ऋण देने की अपनी योजना शुरू कर दी है।

उपभोक्ता वस्तुओं के लिये भारतीय मानक संस्थान का प्रमाणपत्र अनिवार्य करने का प्रस्ताव

3005. **श्री जी० वाई० कृष्णन्:** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किन्हीं उपभोक्ता वस्तुओं के लिये भारतीय मानक संस्थान का प्रमाणपत्र अनिवार्य बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त वस्तुओं के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख): कुछेक घरेलू बिजली के उपकरणों के विनिर्माण, विक्रय और वितरण के लिये भारतीय मानक संस्थान की मानकों की अनुरूपता को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है।

पर्यटन के विकास के लिये बृहत योजनायें

3006. **श्री टी० एस० श्रृंगारे** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि पर्यटन केन्द्रों तथा पर्यटन के विकास के लिए वे अपनी बृहत योजनायें प्रस्तुत करें;

(ख) यदि हां, तो कितनी राज्य सरकारों ने अपनी बृहत योजनायें भेजी हैं और उन पर कितना व्यय होगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Decline in the Production of Controlled Cloth

3007. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether the production of controlled cloth has considerably fallen during the past two years ;

(b) whether it is proposed to increase the production of such cloth for meeting the requirement of poor and middle class people ; and

(c) the steps taken by Government for the production of said cloth ?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) : (a) to (c) : Originally a quota of 800 million metres was fixed but from January 1977 it was reduced to 400 millions. The fall in the production of controlled cloth during the year 1975-76 was only marginal and production during the year 1976-77 showed considerable decline over the previous two years' production levels. Exemption granted to financially weak mills including mills under the management of N.T.C. and non-fulfilment of their quotss by some mills are the main reasons for the short fall. Action is being taken against the defaulting mills.

As part of the overall coordinated textile 'policy, a decision on the total quantum that needs to be made available to the poorer sections is under consideration.

Steps to Check Bomb Scare Incidents

3008. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether on 26th June, 1977 and Indian Airlines flight No. 182 scheduled to take off from Delhi to Bombay was delayed by about six hours after a telephone call was received that a bomb was planted in the aeroplane ;

(b) if so, the facts thereof ;

(c) whether many such bomb scare incidents used to take place from time to time but bombs were never found ; and

(d) the steps taken by Government to check the recurrence of such incidents in future

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) and (b) : On 26th June, 1977, Indian Airlines flight No. IC-182 was scheduled to take off for Bombay at 1000 hours having arrived at Delhi from Bombay at 0900 hours instead of scheduled arrival at 0825 hours. At about 0945 hours, the Duty Officer of Indian Airlins at Delhi Airport received an anonymous telephone call to the effect that "there is a time bomb planted in the flight No. 182 which had just taken off" The caller banged the telephone immediately after giving the information. Apparently, he did not know that the flight IC-182 was on that day delayed and was due to take off at 1000 hours. On receipt of the telephone call immediate action was taken to hold up the flight, off-load the passengers and containers holding cargo, freight and other baggage. As per the prescibed security instructions the aircraft and the containers were thoroughly screened. No explosive material was found either in the aircraft or in the containers. Thereafter the flight took off for Bombay at 1500 hours.

(c) and (d). Such bomb scare incidents have taken place from time to time but no bombs have ever been found. As such incidents occur due to anonymous telephone calls, it is difficult to check the recurrence of such incidents. However, normal security checks are thoroughly exercised before the departure of every flight.

बम्बई में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा विद्युत् चालित करघों का सील किया जाना

3009. **श्री जी० एम० बनतवाला** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई तथा अन्य स्थानों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों ने जनवरी, 1977 से अनेक विद्युतचालित करघे सील कर दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विभिन्न राज्यों में कितने विद्युतचालित करघे सील किये गये ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) से (ग). केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ताओं से सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथा-संभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बम्बई में सामान्य बीमा कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष

3010. **श्री जी० एम० बनतवाला :**

श्रीमती पार्वती कृष्णन् :

क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में सामान्य बीमा कर्मचारियों में गम्भीर असन्तोष व्याप्त है;

(ख) क्या अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ ने अपना आन्दोलन, जिसमें धरना, हड़ताल और भूख हड़ताल शामिल है, आरम्भ करने की घोषणा की ह;

(ग) कर्मचारियों की मांगें क्या हैं; और

(घ) सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (घ): सरकार को अखिल भारतीय सामान्य बीमा कर्मचारी संघ द्वारा अपनी मांगें मनवाने के लिए आन्दोलन शुरू किये जाने की रिपोर्टें मिली हैं, जिनमें अन्य मांगों के साथ-साथ ये मांगें भी शामिल हैं—(1) उक्त संघ को मान्यता प्रदान करना; (2) 20 प्रतिशत की दर से बोनस देना; (3) भविष्य निधि की दर में जो कटौती की गई है उसे फिर से बहाल करना आदि। पूरे मामले पर विचार किया जा रहा है।

1988 LS—8.

श्रमीचन्द प्यारे लाल फर्म समूह के स्वराज पाल के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

3011. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने श्रमीचन्द प्यारे लाल फर्म समूह के श्री स्वराज पाल के बारे में जांच की थी और जो तांबे के सौदे से भी सम्बद्ध था;

(ख) क्या यह सच है कि वाणिज्य मंत्रालय ने यह कहा था कि उसे लन्दन की नेशनल गैस ट्यूब कम्पनी के स्वराज पाल की जानकारी नहीं है और वह केवल श्रमीचन्द प्यारे लाल के स्वराज पाल को ही जानती है, जिसका वाणिज्य मंत्रालय के खनिज तथा धातु व्यापार निगम के साथ तांबे के सौदे या अन्य सौदों से कोई सम्बद्ध नहीं है;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रवर्त्तन निदेशालय के श्री एन० के० सिंह और श्री एस० बी० जैन के साथ साथ कुछ मंत्रीगण गलत सूचना देने में सफल हो गये; और

(घ) क्या सरकार का विचार इसके लिए उत्तरदायी सभी व्यक्तियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराने का है, क्योंकि उसे पता है कि दोनों फर्मों में स्वराज पाल एक ही व्यक्ति है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री (श्री मोहन धारिया): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

श्री रजनी पटेल और उनकी पत्नी के विरुद्ध आरोप

3012. **डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री रजनी पटेल, श्रीमती नकुल रजनी पटेल और श्री रवि शुक्ला, सीमा शुल्क कलक्टर, बम्बई, द्वारा काले धन का व्यापार किये जाने की शंकाओं के बारे में जनता की ओर से सरकार को अनेक शिकायतें मिली हैं;

(ख) क्या सरकार ने प्रोटोस इंजीनियरिंग लिमिटेड, सेंडोज लिमिटेड, जे० वी० गोकुल एण्ड संस, सी० रेमन और अन्य फर्मों के वित्तीय लेन-देन की इन फर्मों के श्री रजनी पटेल और उनकी पत्नी के साथ सम्बन्धों को देखते हुए सरकार ने कोई जांच कराई है; और

(ग) क्या सरकार ने (औद्योगिक परामर्श दाता ब्यूरो) आई० सी० बी० के साथ श्री रजनी पटेल और उनकी पत्नी के सम्बन्धों और इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न वित्तीय दायित्वों की जांच कराई है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) श्री रजनी पटेल के बारे में ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

ऐसी शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं जिनमें यह आरोप लगाया गया है कि बम्बई में सीमाशुल्क के भूतपूर्व अपर समाहर्ता, श्री आर० एन० शुक्ल का श्री रजनी पटेल और अन्य व्यक्तियों के साथ भ्रष्टाचार सम्बन्धी गतिविधियों में सहयोग रहा है।

(ख) और (ग). जी, नहीं।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

सीमाशुल्क अधिनियम, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम और बैंककारी सेवा आयोग अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं

वित्त और राजस्व तथा बैंककारी मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(i) सा०सां०नि० 426 (ङ) जो दिनांक 30 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा दिनांक 2 अगस्त, 1976 की अधिसूचना संख्या 347–कस्टम्स में कतिपय संशोधन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ii) सा०सां०नि० 429 (ङ) जो दिनांक 1 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा दिनांक 3 जनवरी, 1969 की अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 41 में कतिपय संशोधन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(iii) अधिसूचित माल (अवैध आयात निवारण) संशोधन नियम, 1977 जो दिनांक 1 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां० नि० 430 (ङ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। **[ग्रन्थालय में रखी गयीं। देखिए** संख्या एल० टी०–639/77.]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 818 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 25 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 1971 की अधिसूचना संख्या 145।71–सेन्ट्रल एक्साइजिज में कतिपय संशोधन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। **[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए** संख्या एल०टी०–640/77.]

(3) बैंककारी सेवा आयोग अधिनियम, 1975 की धारा 31 की उपधारा (3) के अन्तर्गत बककारी सेवा आयोग (सभापति की सेवा की शर्तें) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 25 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०आ० 415(ङ) में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए** संख्या एल०टी०-641/77.]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO THE MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

फटे पुराने करेंसी नोट जो रद्द और नष्ट किये जाने वाले थे, उनके भारतीय रिजर्व बैंक से बदले जाने के बाद करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी का कथित समाचार

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : श्रीमन, मैं वित्त और राजस्व तथा बैंककारी मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

फटे पुराने करेंसी नोट जो रद्द और नष्ट किये जाने वाले थे, उनके भारतीय रिज़र्व बैंक से बदले जाने के बाद करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का कथित समाचार।

वित्त और राजस्व तथा बैंककारी मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : श्रीमान् मैं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रद्द और नष्ट किए जाने वाले नोटो के पुनः परिचालन में आने के कारण करोड़ों रुपयों के कथित घोटाले के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण सूचनाओं के बारे में एक व्यक्तव्य देने के लिए खड़ा हुआ हूं।

2. ये सूचनाएं दिनांक 2 जुलाई, 1977 के "ब्लिट्ज" में प्रकाशित रिपोर्ट पर आधारित हैं। इस रिपोर्ट में ये आरोप लगाए गए हैं :—

(क) कई मामलों में, नष्ट किए जाने के लिए पंच और रद्द किए गए नोट परिचलन में, पाए गए जो स्पष्टतः भारतीय रिज़र्व बैंक से चुराए गए होंगे।

(ख) प्रायः एक ही खराब नोट पर दो बार अदायगी ली गई। पहले नोट रिज़र्व बैंक को दे दिया गया जहां से वह चुरा लिया गया और दूसरी बार उसे बदलने के लिए फिर रिज़र्व बैंक को पेश कर दिया गया।

(ग) एक ही साखा में एक ही बार किए गए मुआइने से 8 लाख रुपए की भारी रकम के घोटाले का पता चला। शायद यह कुल रकम करोड़ों में हो।

(घ) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए मुआइने से पता चला है कि ऐसे नोटों के बारे में अपनाई जाने वाली सामान्य प्रक्रिया को ताक पर रख कर इन्हें स्वीकार करने में बैंक के नई दिल्ली कार्यालय के करेंसी आफीसर श्री जी० एन० खन्ना की, मैले और कटे-फटे नोटों का व्यापार करने वाले पंजाब के एक कुख्यात गिरोह के साथ सांठ-गांठ है।

3. महोदय, मैंने इन आरोपों के सम्बन्ध में तथ्य मालूम कर लिए हैं :— संक्षेप में ये तथ्य इस प्रकार हैं :—

जुलाई, 1976 में भारतीय रिज़र्व बैंक बम्बई के पास कई गुमनाम शिकायतें आई थीं जिनमें यह कहा गया था कि भारतीय रिज़र्व बैंक के बम्बई कार्यालय के तत्कालीन उप प्रबन्धक श्री जी० एन० खन्ना, जो जनता द्वारा प्रस्तुत किए गए खराब नोटों के मूल्य की अदायगी करने के काम से सम्बद्ध थे; दिल्ली के खराब नोटों के कुछ पेशेवर डीलरों के साथ पक्षपात कर रहे हैं। इस पर श्री खन्ना से तत्काल यह काम वापस ले लिया गया। यद्यपि बम्बई में उनके काम में कोई अनियमितता नहीं पाई गई, फिर भी रिज़र्व बैंक ने यह निश्चय किया कि दिल्ली में उनके द्वारा किए गए काम की जांच की जाए, जहां वे 6 जुलाई, 1972 से 9 मई, 1974 तक करेंसी आफीसर की हैसियत से खराब नोटों के बारे में फैसला किया करते थे। चूंकि जुलाई, 1972 से पहली नवम्बर, 1973 तक श्री खन्ना द्वारा पास किए गए नोटों के बारे में रिज़र्व बैंक ने पहले लेखा परीक्षा सम्बन्धी जांच पड़ताल करवाई थी और उसमें कोई गम्भीर अनियमितता नहीं पाई गई थी इसलिए नई लेखा परीक्षा सम्बन्धी जांच पड़ताल केवल 2 जुलाई, 1973 से 9 मई, 1974 तक की अवधि के लिए ही कराई गई। ऐसे खराब नोटों को बदलने के बारे में जो बुरी तरह गंदे हो गए हैं या जल गए हैं और जो क्लेम्स सेक्शन आदि की मारफत गुजरते हुए परीक्षा की सामान्य कार्यविधि के अन्तर्गत लेन-देन की सख्त प्रक्रिया को नहीं सह सकते, एक विशेष कार्यविधि अपनाई गई है। ऐसे नोट क्लेम्स सेक्शन में प्राप्त होते हैं, लेकिन करेंसी आफिसर को, दावेदार और बैंक के दो अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में, दावों, पर स्वयं फैसला देने की शक्ति प्राप्त है। 2 नवम्बर, 1973 से 9 मई, 1974 तक की अवधि में, श्री खन्ना ने "विशेष कार्यविधि" के अन्तर्गत ऐसे 441 मामलों में फैसला दिया जिनमें कुल मिलाकर 10.48 लाख रुपये के नोट बदलने के लिए पेश किए गए थे; इन नोटों में से 9.86 लाख रुपये नोट अदायगी के लिए स्वीकार किए गए। रिजर्व बैंक के एक निरीक्षक ने इन मामलों में से कोई 185 मामलों की नमूना जांच की जिससे पता चला कि श्री खन्ना ने जो नोट अदायगी के लिए पास किए थे उनमें से कुछ में संदेहास्पद किस्म की काट पीट की गई थी, जैसे कुछ में नम्बर मिटाए गए थे, कुछ में तेज औजार से कुछ हिस्से काटे गए थे, आदि।

100 रु० के दो ऐसे नोट भी पास किए गए पाये गए जो पहले से ही रद्द (कैंसल) किए जा चुके थे। कुछ और कार्याविधि संबंधी अनियमितताएं भी देखने में आईं; श्री खन्ना ने अनुचित जल्दबाजी के साथ मामलों पर फसला दिया और दावेदारों को दूसरे या तीसरे दिन ही बदले गए नोटों का मूल्य चुका दिया गया। श्री खन्ना द्वारा हिदायतों का उल्लंघन करते हुए क्लेम्स सेक्शन की बजाय, सीधे डीलरों से खराब नोटों का प्राप्त किया जाना और उनमें से कुछ ऐसे नोटों को, जिनके लिए मूल्य अदा नहीं किया जाना चाहिए था, पास किया जाय और वह भी ऐसी जल्दबाजी में, यह ईंगित करता है कि संभवत: उनकी भी डीलरों के साथ साठ-गांठ थी। नमूना-जांच पर आधारित, निरीक्षक

के जांच-परिणामों को देखते हुए, रिजर्व बैंक के बम्बई स्थित केन्द्रीय कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को, श्री खन्ना द्वारा निपटाए गए सभी 441 मामलों की छानबीन करने के लिए लगाया गया है । छानबीन का काम लगभग एक महीने में पूरा हो जाने की उम्मीद है और ठीक ठीक कितनी रकम का नुकसान हुआ है वह तभी मालूम हो सकेगा । रिजर्व बैंक को जो भी नुक्सान हुआ होगा वह सब श्री खन्ना से वसूल कर लिया जाएगा । अगले महीने जबकि श्री खन्ना की आयु पूरे 56 वर्ष होगी उन्हें समय से पहले ही सेवानिवृत किए जाने के अलावा, रिजर्व बैंक, छानबीन के बाद उसके परिणामों को दृष्टि में रखते हुए उनके विरुद्ध आगे और कार्रवाई करने का विचार करेगा ।

जैसा कि मैंने कहा है "विशेष कार्यविधि" के अन्तर्गत श्री खन्ना ने जो नोट पास किए थे, जिनकी अब जांच की जा रही है, उनका कुल मूल्य केवल 9.68 लाख रुपए है । श्री खन्ना द्वारा अपना कार्यभार छोड़ दिए जाने के बाद नई दिल्ली कार्यालय में जिन नोटों पर फैसला किया गया था उनकी भी रिजर्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय के एक निरीक्षक द्वारा नमूना-जांच की गई है और कोई अनियमितता नहीं देखी गई है । रिजर्व बैंक में और कार्यालयों में भी ऐसे निरीक्षण किए गए हैं और वहां भी ऐसी कोई अनियमितताएं नहीं पाई गई हैं ।

4. अब मैं उस आरोप के बारे में कहूंगा जिसमें यह कहा गया है कि नष्ट करने के लिए रद्द किए गए नोट रिजर्व बैंक के कार्यालयों से चुराए जा रहे हैं और पुनः परिचलन में आ रहे हैं । पिछले तीन वर्षों में सिर्फ 30 रद्द किए गए नोट जिनका मूल्य कुल मिला कर 1465 रुपये था रिजर्व बैंक के विभिन्न कार्यालयों में बदलने के लिए पेश किए गए थे । ये नोट जब्त कर लिए गए और मामला आवश्यक छानबीन के लिए पुलिस को सौंप दिया गया । रिजर्व बैंक के कर्मचारी रद्द किए गए नोटों की चोरी में फंसे हुए हैं, इस आरोप के संबंध में यही कहना है कि इस प्रकार का सिर्फ एक ही मामला जून, 1974 में जानकारी में आया था जिसमें यह संदेह किया गया था कि रिजर्व बैंक के कानपुर कार्यालय के कुछ कर्मचारी इस मामले में फंसे हुए हैं । तत्कालीन राजस्व तथा व्यय मंत्री ने इस घटना के बारे में इस सदन को 23 अगस्त, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 481 के उत्तर में सूचना दे दी थी । पुलिस ने कानपुर कार्यालय के एक कर्मचारी श्री एन० सी० जैन के विरुद्ध जिनके कब्जे में 27 जून, 1974 को 100 रुपए का एक रद्द किया गया नोट मिला था, अभियोग चला दिया है । बैंक को आगे जो सूचना मिली है उससे पता चला है कि कानपुर कार्यालय के कुछ और कर्मचारियों के बारे में भी संदेह है कि वे इस मामले में फंसे हुए हैं और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई चालू की गई है । यह सारा मामला उत्तर प्रदेश के खुफिया विभाग को सूचित कर दिया गया है ; उन्होंने अभी तक अपनी छानबीन पूरी नहीं की है । राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे जल्दी से मामले की जांच पूरी करवा दें ।

5. रिज़र्व बैंक ने रद्द किए गए नोटों की चोरी और खराब नोटों की बदली में अनियमितताओं की संभावना को खत्म करने के लिए कार्यविधि को सख्त करने के संबंध में

कई उपाय किए हैं । रिजर्व बैंक एक ऐसी पद्धति को शुरू करने के बारे में भी गंभीरता से विचार कर रहा है जिसके अन्तर्गत गंदे और खराब नोटों को बदलने और नष्ट करने के कार्य से संबंधित सभी कर्मचारियों की शारीरिक तलाशी ली जाए ।

6. मैंने जिन तथ्यों का उल्लेख किया है उनसे यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि ब्लिट्ज में रिपोर्ट बहुत बढ़ा-चढ़ा कर छापी गई है और उसमें सचाई नहीं है । सदन कृपया यह महसूस करेगा कि रिजर्व बैंक के कार्यालयों में हर साल कई सौ करोड़ रुपये के नोटों को बदलने और नष्ट करने के लिए कार्रवाई की जाती है । इस प्रकार की जो इक्की-दुक्की कभी-कभार घटनाएं हो जाती है उन्हें इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए । ऐसी हरेक घटना की जांच की जाती है और दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जाता है ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : रिजर्व बैंक में ऐसा प्रायः होता रहता है । ऐसा एक मामला पहले भी इस सभा में उठाया गया था । तब भी सरकार ने यही कहा था कि ऐसी इक्की-दुक्की घटनाओं का होना कोई बड़ी बात नहीं है । आज भी यही कहा गया है कि 'ब्लिट्ज' में जो प्रकाशित हुआ है वह बहुत ही बढ़ा-चढ़ा कर छापा गया है । ऐसा लगता है कि सरकार इन घटनाओं पर गम्भीरता से विचार नहीं कर रही है ।

एक ऐसी घटना दिल्ली में 8 जुलाई, 1974 को हुई थी । उसी वर्ष सिंडीकेट बैंक, दिल्ली ने दस-दस रुपये वाले 6 लाख के नोट प्रस्तुत किये थे । तत्पश्चात् ऐसी ही एक घटना रिजर्व बैंक की नागपुर में स्थित शाखा में हुई थी । कानपुर में हुई एक ऐसी घटना के बारे में जांच हो रही है । इतनी अधिक घटनाओं से ऐसा लगता है कि रिजर्व बैंक में ऐसे मामले बड़े योजनाबद्ध ढंग से हो रहे हैं ।

यह कहा गया है कि इस सम्बन्ध में एक अधिकारी, श्री खन्ना को निश्चित तिथि से एक वर्ष पूर्व ही सेवा से निवृत्त कर दिया गया है । मेरे विचार में ऐसे अधिकारियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिये । इसके साथ साथ ऐसी घटनाओं की जांच का कार्य सी० बी० आई० को सौंपा जाना चाहिये ।

श्री एच० एम० पटेल : मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार इस प्रकार के मामलों की उपेक्षा नहीं करती । इन पर गम्भीरता से विचार किया जाता है । इस सम्बन्ध में 1974 और 1975 में जो वचन दिये गये थे मैं उनकी जांच करवाऊंगा और यदि सभा चाहे तो मैं उसके परिणाम की एक प्रति सभा पटल पर भी रखूंगा ।

जहां तक सी० बी० आई० की जांच का प्रश्न है मेरे विचार से इस मामले में सी० बी० आई० की जांच की आवश्यकता नहीं है लेकिन यदि हमें यह लगा कि इसकी जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कराना आवश्यक है तो हम अवश्य करायेंगे ।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : विवरण के अन्तिम भाग से सरकार के रुख का पता चलता है । इसमें कहा गया है कि इस प्रकार के बहुत थोड़े मामले होते हैं । इसमें और जो अब कहा

गया है उसमें विरोधाभास है । इसलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले पर गम्भीरता से विचार करें । इसमें एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरे गिरोह का हाथ है । इसका पता लगाया जाना चाहिए । मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि 100 रु० के नोटों को रद्द करने और उन्हें पास करने के मामले में भी खन्ना का हाथ है । इस विषय पर इस सभा में 1974 में और फिर 1975 में चर्चा हो चुकी है जिससे स्पष्ट है कि इसमें एक पूरे गिरोह का हाथ है ।

अब एक सहायक खजांची श्री प्रेम दत्त को सेवा से बरखास्त किया गया है, पर रद्द किये गये नोटों को पास करने का अधिकार केवल श्री खन्ना को था । इस बारे में उनसे कई शिकायतें की गईं । पर उसने उन पर कार्यवाही करने से इन्कार कर दिया । इससे स्पष्ट है कि इसमें उनका हाथ है । इस सम्बन्ध में जो "विशेष प्रक्रिया" अपनाई गई उसमें कुछ खामियाँ थीं और उन्हीं का भी खन्ना ने इस्तेमाल कर फायदा उठाया । यह गिरोह न केवल नकदी विभाग में ही काम कर रहा है अपितु वनिमय नियंत्रण विभाग भी सक्रिय है ।

अध्यक्ष महोदय : यह अलग प्रश्न है

श्री समर मुखर्जी : ये दोनों मामले एक दूसरे से सम्बधित हैं । आपने कर्मचारी को तो सजा दी पर अधिकारी को नहीं । इस नई सरकार से इस प्रकार के व्यवहार की आशा नहीं थी । नई सरकार की विचारधारा में अवश्य परिवर्तन आना चाहिए । मंत्री जी इस समग्र मामले की जांच करें । यह जांच निरीक्षकों द्वारा नहीं कराई जानी चाहिए । मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे इस गिरोह का पता लगाने और भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु पूरी पूरी जांच करेंगे ?

श्री एच० एम० पटेल : मैं सदस्य महोदय को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं इन मामलों को गम्भीर समझता हूं, और इन दोनों मामलों में पूरी पूरी जांच की जाएगी । विशेष प्रक्रिया में जा कमियां पाई जायेंगी उन्हें दूर किया जायेगा ।

जहां तक श्री खन्ना के साथ अलग व्यवहार किये जाने का प्रश्न है मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि इसकी समुचित जांच की जायेगी ।

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

LEAVE OF ABSENCE FROM SITTINGS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति के प्रथम प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है कि निम्नलिखित सदस्यों को प्रतिवेदन में दी गई अवधि के लिये अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की जाये —

1. श्री एम० एस० संजीवी राव;
2. श्री महामाया प्रसाद सिन्हा;
3. श्रीमती अकबर जहां बेगम;
4. श्री वी० पी० नायक;
5. श्री रूपलाल सोमानी; और
6. श्री केशव राव धोंडगे ।

क्या सदस्यों की इच्छा है कि इन सदस्यों को समिति की सिफारिश के अनुसार अनुपस्थिति की अनुमति दी जाये ।

कुछ माननीय सदस्यगण : जी हां ।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति प्रदान की जाती है । सदस्यों को तदनुसार सूचित कर दिया जायेगा ।

एक गैर सरकारी प्रकाशक द्वारा रेलवे को लेखन सामग्री का प्रयोग किये जाने के बारे में रेल मंत्री का वैपयक्तिक स्पष्टीकरण

PERSONAL EXPLANATION BY MINISTER OF RAILWAYS *re.* : ALLEGED USE OF RAILWAY STATIONERY BY A PRIVATE PUBLISHING HOUSE.

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) :अध्यक्ष महोदय, कल जब मैं इस सभा में उपस्थित नहीं था तो श्री ए० सी० जार्ज ने सभा में एक वक्तव्य दिया था कि एक प्राइवेट प्रकाशन गृह द्वारा कल आयोजित एक समारोह के लिये जो नामांकन पत्र जारी किये गये थे, उनके लिए रेलवे की लेखन सामग्री का इस्तेमाल किया था । इस विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल बम्बई के पापूलर पब्लिशर की ओर से मार्क्स और गांधी पर एक गोष्ठी आयोजित की गई थी जिसमें आचार्य कृप्लानी और रमेश थापर ने अपने विचार व्यक्त किए। इसके लिए 1400 व्यक्तियों को निमंत्रण पत्र भेजे गये थे जिनमें संसद सदस्यों को भेजे गये 600 निमंत्रण पत्र भी शामिल हैं । इन में से अधिकांश निमंत्रण पत्र हाथों-हाथ भेजे गये थे या सामान्य डाक से भेजे गए थे ।

दुर्भाग्य से रेल भवन में जो 33 कार्ड वितरित किये गये उन पर पैंकिंग मशीन से रेलवे के स्टाम्प लगाए गए थे पर यह लेखन सामग्री रेलवे की नहीं थी। जब इसका पता लगा तो मैंने उन टिकटों की कीमत जमा करवा दी । मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं और खेद व्यक्त करता हूं साथ ही सभा को आश्वासन देता हूं कि मैं सरकारी तंत्र का वैयक्तिक कार्यों के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : बहुत अच्छा ।

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डे (मन्दसौर) खड़े हुए ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाएं ।

अनुदानों की मांगे, 1977–78

DEMANDS FOR GRANTS, 1977-78

उद्योग मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : सभा में अब उद्योग मंत्रालय सम्बन्धी मांग संख्या 62, 63 और 64 पर चर्चा होगी तथा मतदान होगा जिसके लिए 7 घण्टे का समय नियत किया गया है ।

उद्योग मंत्रालय की वर्ष 1977–78 की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि राजस्व	राशि पूंजी
1	2	3	4
	उद्योग मंत्रालय		
62.	उद्योग मंत्रालय	2,11,74,000	..
63.	उद्योग	15,87,37,000	147,74,79,000
64.	ग्राम तथा लघु उद्योग	26,42,56,000	25,85,55,000

[उपाध्यक्षय महोदय पीठानसीन हुए]

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

अध्यक्ष महोदय : उद्योग मंत्री बोलना चाहते हैं।

Dr. Laxminarayan Pandeya*

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नेनडीज) : देश की औद्योगिक नीति में परिवर्तन के बारे में कुछ आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। मैं अपनी औद्योगिक नीति की रूपरेखा आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारी इस नीति का उद्देश्य है उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना, मानव और अन्य संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना, आर्थिक शक्ति को एकाधिकारियों के हाथों में केन्द्रित न होने देना, रोजगार-उन्मुख उद्योग का तेजी से विस्तार करना और उद्योग को सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप संवेदनशील बनाना। 1965 और 1975 के दशक में औद्योगिक विकास की गति लक्ष्य के अनरूा नहीं रही है। इस सम्बन्ध में हमें कुछ कठिनाइयां पिछली सरकार से विरासत में मिली हैं। हमें इन कठिनाइयों को दूर करना होगा तभी औद्योगिक नीति कारगर सिद्ध हो सकती है।

सीमेन्ट के बारे में यह कहा जा रहा है कि जनता पार्टी के सत्ता में आते ही सीमेन्ट भूमिगत हो गया है। यह सच है कि कुछ मात्रा में सीमेन्ट भूमिगत हुआ है। हमें इसे बरामद करना है। वास्तव में देश में सीमेन्ट की कमी है। इसका उत्पादन बढ़ाकर ही हम इस कमी की पूर्ति कर सकते हैं।

सीमेन्ट के लिए बिजली की जरूरत होती है। पर इस वर्ष लगभग छः राज्यों में बिजली संकट रहा है। इस संकट को दूर करके ही हम सीमेन्ट का उत्पादन बढ़ा सकते हैं।

बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। पिछले महीनों में 25 लाख नवयुवक स्कूलों, कालेजों, और विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर बाहर आए हैं। इन्हें शीघ्र रोजगार की जरूरत है। लेकिन रोजगार है नहीं। मेरा अनुमान है कि अर्ध रोजगार में लगे व्यक्तियों के अलावा चार करोड़ व्यक्तियों को रोजगार देने की आवश्यकता है। अतः हमारी नीति एसी होनी चाहिए जिससे कम से कम समय में अधिक से अधिक लोगों को काम मिल सके।

इस समय सामान्यतः तीन क्षेत्र माने जाते हैं—ग्रामीण उद्योग, लघु उद्योग और बड़े उद्योग। इन तीनों क्षेत्रों में आपस में टकराव का कोई कारण नहीं है। ये एक दूसरे के पूरक हैं। पर हम औद्योगिक आयोजन में उन उद्योगों को प्राथमिकता देंगे जो रोजगार के अधिकतम अवसर पैदा करेंगे।

खाद, ग्रामीण और कुटीर उद्योग क्षेत्रों को पिछले 30 वर्षों में कई प्रकार के आश्वासन दिए गए पर मालूम हुआ है कि इस क्षेत्र को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमें इन कठिनाइयों को दूर करना होगा। इसको इस तरह संगठित किया जाएगा कि स्थानीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो तथा उनके उत्पादन और साधन स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

*कार्यवाही-वृतांत में शामिल नहीं किया गया।

*Not recorded.

मैंने अपने मंत्रालय को इस प्रश्न का तुरन्त गहराई से अध्ययन करने को कहा है। हम योजना आयोग के परामर्श से इस क्षेत्र के लिए ऐसे उत्पादों एवं वस्तुओं का पता लगाएंगे जिन्हें उसके लिए सुरक्षित रखा जा सके।

लघु उद्योग क्षेत्र का तेजी से विकास किया जाएगा। इस क्षेत्र को सुसंगठित उद्योग से स्पर्धा करनी पड़ती है और विपणन तथा वित्तीय संस्थाओं का सामना करना पड़ता है। हम इन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि इस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता मिले।

बड़े उद्योग क्षेत्र के सम्बन्ध में सुझाव आए हैं कि इनकी परिभाषा में 75 करोड़ की लागत की बजाये 20 करोड़ की लागत वाले उद्योग ही शामिल किए जाने चाहिएं। कहा जाता है कि उनके पास संसाधन हैं, कौशल है। वे उद्योगों का विस्तार करना चाहते हैं। पर मैं इससे सहमत नहीं हूं। इस परिभाषा में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। साथ ही यह सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाए जायेंगे कि एकाधिकारी गृहों के हाथों में आर्थिक शक्ति का सेकेन्द्रण न होने पाए।

हम कहते हैं कि हमारे देश से प्रतिभा पलायन हो रहा है। वैज्ञानिक और तकनीशियन देश छोड़ कर बाहर जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि हमारे देश के बड़े-बड़े व्यापार गृह अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में वैज्ञानिकों और इंजिनियरों को समुचित अवसर प्रदान नहीं करते जिससे कि वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। अतः इस क्षेत्र के विस्तार की अपेक्षा हम इसमें अनुसंधान और विकास कार्यों पर अधिक बल देंगे।

विपक्षी सदस्य पिछले तीन महीनों से कहते आ रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा की जा रही है तथा वित्त मंत्री के बजट भाषण में इस क्षेत्र के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। जहां तक मेरे मंत्रालय का सम्बन्ध है मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में कई कमियां हैं और ये कमियां हमें विरासत में मिली हैं। हम इनका पता लगाएंगे और उन्हें दूर करेंगे। हम सरकारी क्षेत्र को एक सहायक उद्योग के रूप में विकसित करना पसन्द करेंगे। इसके लिए हम ऐसी नीति बनाएंगे कि इस सरकारी क्षेत्र की प्रबन्ध व्यवस्था में श्रमिकों को भागीदार बनाने की बात नारा मात्र न रह कर वास्तविकता में बदल जाए।

देश में कई रुग्ण उद्योग इकाइयां हैं। इनमें अधिकांश इकाइयां प्राइवेट क्षेत्र में हैं। इन इकाइयों का रुग्ण होने का एक ही कारण है कि उनमें कुप्रबन्ध है, कुव्यवस्था है। हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि रुग्ण एकक न रहें। इसके लिए हम कारगर कदम उठाएंगे। उद्योग पतियों को इन रुग्ण इकाइयों के लिए सरकारी संरक्षण अब नहीं मिलेगा। मैं अपने मंत्रालय में एक विशेष 'सेल' बनाने का विचार कर रहा हूं जो यह देखेगा कि कोई इकाई रुग्ण न होने पाए और यदि कार्य इकाई रुग्ण हो रही है तो उसे कैसे ठीक रास्ते पर लाया जाए।

कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें विदेशी सहयोग और निवेश आवश्यक हो सकता है। किन्तु हम इस सम्बन्ध में चयन करेंगे। ऐसे क्षेत्र जिनमें उच्च स्तर की तकनीकी जानकारी आवश्यक है तथा ऐसे क्षेत्रों में जहां नई तथा आधुनिक प्रोद्योगिकी आवश्यक है उनमें सहयोग और निवेश हो सकता है। हमें अर्थव्यवस्था में सुधार करना है इसमें गत 30 वर्षों में खराबी

आई है। मेरा यह विश्वास है कि यदि वियतनाम के लिए यह उचित है कि वह युद्ध से क्षतिग्रस्त अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ सहयोग और तकनीकी तथा वित्तीय सहायता एवं निवेश ले सकता है तो हमारे लिए भी यह उचित है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए, जो राजनीतिक कार्यवाही के द्वारा क्षतिग्रस्त हुई है, इस प्रकार की सहायता लें।

जहां तक लाइसेंस प्रणाली का सम्बन्ध है इसमें कुछ उदारता बरती गई है किन्तु इस उदारता का उपयोग वस्तुस्थिति को आसान बनाने के लिए नहीं किया गया। कुछ लोग इसे अपने लिए आसान बनाना चाहते थे इसमें कुछ दोष हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि दूर किया जाए और लाइसेंस सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जारी किए जायें।

इस देश में कुछ पिछड़े क्षेत्र हैं। औद्योगिक विकास महानगर क्षेत्रों में केन्द्रित हो रहा है। मेरा हमेशा यह विचार रहा है कि बड़े शहरों में रात्रि जीवन एक कारण हो सकता है जिससे उद्योग बड़े शहरों में केन्द्रित होते हैं और ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में नहीं लगाए जाते हैं। सर्वत्र मजदूर संघ की गतिविधियां हैं। इसे हम रोकना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश में औद्योगिक विकास के प्रति एक समन्वित दृष्टिकोण हो। मैं विशेष रूप से उन क्षेत्रों के बारे में ध्यान देना चाहता हूं, जिन्हें पिछली सरकार ने आन्तरिक उपनिवेषों के रूप में माना है। मैं विशेषरूप से उड़ीसा, आसाम और बिहार तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों का उल्लेख करना चाहूंगा। इन क्षेत्रों में इतना पिछड़ापन है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोगों को 12 दिन तक 12 मील प्रति दिन के हिसाब से चलकर डाक बांटनी पड़ती है। हजारों वर्ष पहले हरकारे होते थे आज भी स्वतंत्रता प्राप्ति के 30 वर्ष बाद हरकारे हैं। यही विकास है। बिहार में कोयला, खनिज लोहा और अभ्रक आदि अनेक खनिज हैं किन्तु वहां कोई विकास नहीं हुआ है। ऐसी ही स्थिति उड़ीसा की है। आसाम में तेल, प्राकृतिक संसाधन और इमारती लकड़ी पर्याप्त मात्रा में है किन्तु वहां कोई विकास नहीं हुआ है। यही स्थिति समस्त उत्तर-पूर्व क्षेत्र की है। हम देश में इन क्षेत्रों के प्राकृतिक साधनों का उपयोग करते आए हैं और उनसे महानगर केन्द्रों का विकास करते रहे हैं। हम चाहते हैं कि समस्त विकास समन्वित आधार पर हो जिससे इस क्षेत्र का पिछड़ापन दूर हो। हम ऐसी ही नीति बनाएगें। अन्त में मेरा केवल यह निवेदन है कि सभा के सदस्य ऐसे ठोस सुझाव दें जिन्हें हम क्रियाविन्त कर सकें।

उद्योग मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए:

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
63	3	श्री पी० राजगोपाल नायडू	रुग्ण मिलों और उद्योगों को अपने हाथ में लेने में असफलता।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाएं।
63	4	तदेव	कुछ राज्यों में चमड़ा यूनिट चालू करने में भारत चमड़ा निगम की असफलता।	तदेव

1	2	3	4	5
63	5	श्री पी० राज गोपाल नायडू	देश की आवश्यकतानुसार सीमेन्ट का उत्पादन करने में असफलता	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाएं।
63	6	तदेव	आवश्यक कृत्रिम अंग बनाने में असफलता।	तदेव
63	7	तदेव	देश की आवश्यकता के अनुसार ट्रैक्टरों का निर्माण करने में असफलता।	तदेव
63	8	तदेव	देश की आवश्यकता के अनुसार ट्रान्सफार्मरों तथा बिजली के अन्य उपकरणों का निर्माण करणे करने में असफलता।	तदेव
63	9	तदेव	अपेक्षित संख्या में स्कूटरों का निर्माण करने की आवश्यकता	तदेव
63	10	तदेव	सूखे से प्रभावित होने वाले और पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिकी-करने में असफलता।	तदेव
63	11	तदेव	हस्त द्वारा निर्मित माचिस उद्योग को मशीन द्वारा निर्मित माचिस उद्योग से बचाने की आवश्यकता।	तदेव
63	12	तदेव	उद्योगों में एकाधिकार को समाप्त करने में असफलता।	तदेव
63	13	तदेव	बहुत सी राष्ट्रीयकृत परियोजनाओं में लाभ कमाने में असफलता।	तदेव
63	14	तदेव	अकाल पीड़ित क्षेत्रों में लगाए जाने वाले उद्योगों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि करने की आवश्यकता।	तदेव
64	19	तदेव	ग्रामीण क्षेत्रों में लघु औद्योगिक वस्तियां स्थापित करने की आवश्यकता।	तदेव

1	2	3	4	5
64	20	श्री राजगोपाल नायडू	ग्रामीण उद्योगों का विकास करने में असफलता ।	राशि में से सौ रु० घटा दिए जाएं
64	21	तदेव	खादी उद्योग का विकास करने की आवश्यकता ।	तदेव
64	22	तदेव	ग्रामीण उद्योगों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि करने की आवश्यकता	तदेव
62	34	श्री एन० एन० गोविन्दन नायर ।	पश्चिम बंगाल, बम्बई तथा तमिलनाडु में बन्द पड़े इंजीनियरिंग एककों को अपने हाथ में लेने में असफलता ।	तदेव
62	35	तदेव	नवगांव और कचार में कागज कारखाना स्थापित करने में विलम्ब ।	तदेव
62	36	तदेव	कागज बनाने की मशीनों के के लिए लार्सन एण्ड टूब्रो तथा जेसप्स के पास बकाया क्रयादेश रदद् करने का समाचार ।	तदेव
62	37	तदैव	औद्योगिक श्रमिकों को बेहतर तथा प्रयाप्त आवास सुविधाएं देने की आवश्यकता ।	तदैव
62	38	तदेव	देश के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने की आवश्यकता ।	तदेव
62	39	तदेव	लघु औद्योगिक बस्तियां बसाने की केरल सरकार की नीति के क्रयावन्यन के लिए राज्य सरकार को सहायता देने की आवश्यकता ।	तदेव
62	40	तदेव	रोजगार के अवसर बढ़ाने के के लिए औद्योगिक बस्तियां सम्बन्धी समेकित राष्ट्रीय नीति बनाने की आवश्यकता ।	तदेव

1	2	3	4	5
62	41	श्री एन० एन० गोविन्दन नायर	भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची के मामले ठीक करने में असफलता जिसके कारण उत्पादन का भारी घाटा हुआ है।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जायें
62	42	तदेव	वलवयी में सीमेंट कारखाना बनाने का काम तेज करने की आवश्यकता।	तदेव
62	43	तदेव	देश में सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता।	तदेव
62	44	तदेव	सीमेंट श्रमिकों की मांगें निपटाने में असफलता।	तदेव

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् (बडागरा): उपाध्यक्ष महोदय, श्री जार्ज फर्नानडिस ने औद्योगिक विकास की जो रुपरेखा दी है उसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। उन्होंने इस रुपरेखा को देते हुए कहा है कि जनता पार्टी झूठे वायदे नहीं करेगी।

चूंकि मंत्रिमण्डल की सामूहिक जिम्मेदारी मानी है अतः इसी सिलसिले में मैं श्री जार्ज फर्नानडिस के कुछ सहकर्मियों के आर्थिक विकास के बारे में विचार बतलाना चाहूंगा। श्री चरणसिंह ने हाल के अपने हाल के एक भाषण में कहा है कि वह बड़े उद्योगों के कुछ क्षेत्रों में प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा देंगे। वह सभी नियंत्रणों और विनियमों के विरुद्ध हैं तथा वह चाहते हैं कि बड़े उद्योग केवल निर्यात के सामान बनाएं। परन्तु श्री मोहन धारिया ने कहा है कि वह निर्यात प्रधान प्रगति के विरुद्ध हैं। पार्टी के अन्यप्रवक्ता डा०सुब्रहमण्यम स्वामी का कहना है कि एकाधिकार पर रोक लगाने समेत वर्तमान विनियमों में परिवर्तन करना आवश्यक हैं। इससे सिध होता है कि जहां तक औद्योगिक नीति का सम्बन्ध है यह एक बुद्धिहीन पार्टी है और बुद्धिहीन सरकार है फरवरी और मार्च में तो यह कहना उचित था परन्तु अब सौ दिन तक सता में रहने के बाद ऐसा कहने पर क्षमा नहीं किया जा सकता है। एक उचित नीति न बना सकने की उनकी असमर्थता हाल ही में उद्योग मंत्री के बदले जाने से और सिद्ध हो गई है।

आप बजट पर विचार करें। श्री फर्नानडिस एकाधिकारिता पर रोक लगाना चाहते हैं किन्तु बजट में गैर-सरकारी क्षेत्र में एकाधिकारी गृहों को बहुत सी रियायतें दी गई हैं। श्री फर्नानडिस ने शहरों में उद्योगों के केन्द्रिय होने के कारण पर प्रकाश डाला है किन्तु इसके अलावा भी कई अन्य कारण हैं। बजट में सरकारी क्षेत्र को बदनाम किया गया है।

यह निराधार आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने गत 30 वर्षों में कृषि की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। यह भारतीय आयोजन का गलत अर्थ लगाना है। पिछले 100 दिनों में सरकारी क्षेत्र को बदनाम किया गया है। किन्तु मंत्री महोदय को यह जानना चाहिए कि सरकारी क्षेत्र में

उत्पादन लाभप्रदता, निवेश, बिक्री और क्षमता के उपयोग में प्रगति हुई है। 1970-71 की अपेक्षा 1975-76 में लाभ में 290 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और शुद्ध लाभ में 1400 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

जनता पार्टी में विद्यमान विचारों की भिन्नता और खीचातानी तथा उद्योगों के विरोध वाले गुट के प्रभुत्व के कारण मंत्री महोदय स्पष्ट नीति बनाने में असफल होंगे।

हमारी औद्योगिकीकरण की नीति केवल राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाने की नहीं है किन्तु आय का और अधिक समान वितरण करना भी है। क्या जनता पार्टी की नीति से क्षेत्रीय विकास तथा इससे भी अधिक भविष्य में विश्वास एवं सार्वाधिक विकसित जनशक्ति का उपयोग किया जा सकता है। यह जवाहर लाल नेहरु कि दूरदर्शिता तथा बुद्धिमता है कि औद्योगिकरण से देश को बहुत कुछ प्राप्त हुआ है।

जहां तक मांग का सम्बन्ध है, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में आय के वर्तमान स्तर पर देश में बहुत से औद्योगिक माल की बिक्री नहीं हो सकती है। यह औद्योगिक क्षेत्र के बारे में किये गये एक अध्ययन से भी सिद्ध हुआ है। 1969 में शहरी बाजार में बिके औद्योगिक माल का उपभोग 10 प्रतिशत धनी शहरी लोगों द्वारा किया गया और ग्रामीण क्षेत्र के बाजार में बिके माल में 10 प्रतिशत धनी लोगों द्वारा 37.6 प्रतिशत माल का उपयोग किया गया। यही एक समस्या है और यही कारण है कि कृषि महत्वपूर्ण है। जब तक व्यापक भूमि सुधार नहीं किये जाते तब तक ग्रामीण लोगों की आय में सुधार नहीं किया जा सकता है

दूसरी महत्वपूर्ण बात क्षेत्रीय असंतुलन की है और इस सभा में इस बारे में मैं हमेशा चिल्लाता रहा हूं। अगर आप इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं देते हैं तो मैं इस सदन को चेतावनी देता हूं कि हमारे देश का समूचा भविष्य दांव पर लगा है।

पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये कार्यक्रम तैयार किये गये थे। यह कार्यक्रम पांडे समिति के प्रतिवेदन के आधार पर बनाये गये थे। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत 15 प्रतिशत राजसहायता दी गई थी किन्तु उसका लाभ किसने उठाया? यह राजसहायता एकाधिकार गृहों को मिली, कुछ व्यक्तियों की जेबों में पहुच गई और पुराने उद्यमकर्मियों को प्राप्त हुई। अतः यह एक ऐसा मामला है जिससे हमारे देश के लिये गम्भीर परिणाम हो सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि जितना भी देश में औद्योगिक विकास हुआ है उस सब का लाभ औद्योगिक रूप से अत्यधिक विकसित प्रदेश जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को मिला है इन्हीं प्रदेशों में बम्बई, पूना, कलकत्ता आसनसोल और मद्रास जैसे अत्यधिक केन्द्रीकृत औद्योगिक क्षेत्र हैं। जब तक आप निवेश का आधार नहीं बदलेंगे तब तक इसका लाभ एकाधिकार व्यक्तियों को ही होता रहेगा। जनता पार्टी में अभी भी ऐसे तत्व है जो स्वतन्त्र पार्टी के सिद्धान्तों में विश्वास रखते हैं। इसका इस बजट में स्पष्ट आभास मिलता है। मैं किसी प्रकार का नौकरशाही नियन्त्रण नहीं चाहता किन्तु कई नियन्त्रण हैं जो कि अर्थहीन हैं। नौकरशाही नियन्त्रण के कारण भी देश में काला धन पैदा होता है। इस देश में सभी महत्वपूर्ण उदयोगों

में काला धन बन रहा है यह राशि प्रतिवर्ष 1500 करोड़ रुपये है । मुझे हर्ष है कि एकाधिकारियों के बारे में एक घोषणा की गई है । अब एकाधिकार निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिये ।

मुझे याद है कि एक बार श्री मधु लिमये ने इस सदन में एक विधेयक प्रस्तुत किया था अब वे लोग कह रहे हैं कि एकाधिकार गृह की सीमा बढ़ा कर 75 करोड़ रुपये कर दी जाये । अब जनता पार्टी निहित स्वार्थों को संरक्षण दे रही है । अतः अब उनके लिये उस मार्ग पर चलना बड़ा कठिन होगा ।

बहु-राष्ट्रीय निगमों के बारे में मन्त्री महोदय ने कोई स्पष्ट रवैया नहीं अपनाया है । इस सदन में न केवल विरोधीपक्ष अपितु कांग्रेस के मन्त्रीगण भी कहते रहे हैं कि अगर रूस बहुराष्ट्रीय निगमों को अपने यहां अनुमति दे सकता है तो हम क्यों नहीं ? किन्तु भारत और रूस में बड़ा अन्तर है । रूस की अर्थ-व्यवस्था सुदृढ़ है अतः वह विदेशी तकनीकों को बिना किसी नुकसान के अपने यहां अपना सकता है किन्तु भारत में ऐसा नहीं हो सकता है यद्यपि हमारा देश भी अब अधिक पिछड़ा हुआ देश नहीं है । वह कांग्रेस और कांग्रेस सरकार की नीतियों की आलोचना करना चाहते हैं किन्तु कांग्रेस की नीतियों के निर्माताओं में से कुछ लोग, जिनमें प्रधान मंत्री भी है, आज उधर बैठे हैं । वह कांग्रेस की नीतियों के परिणाम से भाग नहीं सकते । वह कार्य समिति में थे । वह न केवल वित्त मंत्री थे, बल्कि एक बड़े ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे । सभी वित्त मंत्री महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं होते । हमारी अर्थ-व्यवस्था में बड़ी विविधता है और यद्यपि हमने उपलब्धियां अर्जित की हैं किन्तु अभी हम उस मंजिल तक नहीं पहुंचे कि हम अपने महत्वपूर्ण उद्योगों में बहु-राष्ट्रीय निगमों का योगदान प्राप्त करें । बहु-राष्ट्रीय निगम जो समूचे विश्व में कार्यरत है, के पास ऐसी तकनीक है जो हमारे देश की परिस्थितियों के सन्दर्भ में लाभदायक नहीं है उसका लाभ केवल निर्यात में उठाया जा सकता है । अब जबकि मंत्री महोदय कह रहे है कि वह शहरी और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिये श्रम प्रधान तकनीक को अपनाना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति में बहु-राष्ट्रीय निगमों के लिये भारत के द्वार बन्द हो जाने चाहिये । मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिये ।

छोटे उद्योगों और कुटीर उद्योगों के योगदान के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है । क्या हम जापान अथवा अन्य देशों के इस सम्बन्ध में अनुभव से लाभ उठा सकते है और क्या इन उद्योगों की स्वायत भूमिका होनी चाहिये अथवा सहायक भूमिका ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिये कुटीर उद्योगों का प्रयोग पहले भी किया गया था क्या यह ग्रामीण निर्माण कार्यक्रमों से बेहतर होगा । शायद इसके लिये सरकार यह तर्क देगी कि इसे अपनाने से घाटे की अर्थ-व्यवस्था को अपनाना होगा इससे मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलेगा । किन्तु हो सकता है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति कुटीर उद्योगों से न हो सके वह ग्रामीण निर्माण कार्यक्रमों से पूर्ण हो जाये । क्योंकि कुटीर उद्योगों के बारे में कठिनाई यह है कि इसका विकास राजसहायता से ही सम्भव हो सकता है क्योंकि बाजार में इसकी पूरी लागत वसूलना कठिन होगा और स्थानीय भाग के आधार पर यह टिक नहीं सकेंगे । इसके अतिरिक्त कारीगरों के पास धनाभाव के कारण वह कच्चा माल का स्टाक नहीं कर सकेंगे और अगर आप उन्हें ऋण देते रहेंगे तो आप कठिनाई में पड़ जायेंगे ।

1988 LS—9.

अतः मैं इस सब का समर्थन करता हूं किन्तु मैं निश्चय से नहीं कह सकता कि आप को इसमें सफलता मिलेगी। वैसे आपका बजट यह बताता है कि जनता पार्टी को औद्योगिक नीति के अन्तर्गत गैर-सरकारी क्षेत्र को महत्व दिया जा रहा है और सरकारी क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है और राष्ट्रीयकरण की तो कहीं कोई बात ही नहीं है। किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि देश की खुशहाली का रास्ता यही है कि औद्योगिकीकरण का जोरदार कार्यक्रम चलाया जाये और इस तरह से एक सुदृढ़ अर्थ-व्यवस्था बनाई जाये।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Mr. Speaker Sir, I do not participate much in the proceedings of the House now-a-days but when I saw the Economic Times yesterday in which the news of the decline in the share value of the Century Mills and Gwalior Ryons following the announcement of a minor reshuffle of port folios in the Union Cabinet, I thought that I should take part in the debate to-day. I fail to understand why these mills have become apprehensive following the appointment of my friend as Minister of Industry. Are they apprehensive that the new Industry Minister would nationalise all the Birla concerns ? But the policy of Janata Party is neither to nationalise not to denationalise any industry. There is no reason for apprehension on that account. But the industrialists should beware that the new Industry Minister would not allow malpractices such as bribing, tax evasion and dishonesty.

During the last 25-30 years, some meaningless debates were carried on in regard to the role of the public sector and the private sector. The debates were meaningless because the areas in which both these respective sectors can operate are unlimited. Now, a new debate has been started by the honourable member i.e. large scale industry to small scale industries. The Janata Party never said that they want to do away with large scale and heavy industries the policy of Janata Party is that where small scale industries can work, large scale indistries would not be allowed. Where large scale industries are needed in the national interest, we would definitely develop them.

As far as the public and the private sectors are concerned, there are very serious shortfalls in both of them. In the private sector, malpractices such as profiteering, tax evasion and dishonesty are prevailing. Sometimes it seems that the economy of the country is capitalistic, it seems rather it is feudalistic capitalism, because the big industries in the private sector are run by the sons and other relations of the big industrialists. It is not seen whether they are capable of managing these industries or not. Take the case of any modern capatalist country. Take for example, the American Fofd Company—it has been converted into a public company and its management is in the hands of efficient managers. But it is not so in India. Here, the industries are under the control of feudal and distinguished families. Not only this, the other drawback is that a single industrialist controls variety of consumer goods. So if you want decentralisation of the economic power, you have to provide incentives to encourage new promising enterpreneurs who could run industries independently—free from the control of big industrialists such as Birlas and Tatas. If it is not done, the economic decentralisation is not possible because the big industrial families have tremendous influence over the bureacrats of the country which is not an unknown fact. When the high-ranking officers retire, they are offered coveted places in these industries and there retired officers exercise tremendous influence on the officeals which use to work under him. From this, it becomes obvious that an obnoxious relationship has come to stary between the private sector and the bureaucracy which cannot be ended. Even the politicians right from the President to the ministers, have vested interests in them. So at the time of issue of licences, sanction of loans, these people help the private sector and the private sector secures posts for them irrespective of the fact whether they possess requisite capabilities or not. So until the obnoxious relationship existing between the bureaucracy and the big industrialists is ended, economic decentealisation remains a distant dream.

श्री के० लकप्पा : क्या आप बिरला की सभी कन्सर्नों का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं ? इस सम्बन्ध में आपकी नीति क्या है ?

Shri Madhu Limaye : The problems of the industrial sector are too complex to be solved by a magic wand. These need deep thinking. During the last 30 years, there was no co-ordination between the investment and the high targets earmarked in the industrial sector and under the various five year plans, which gave rise to a parallel economy in the country. The money

was invested in the production of luxury goods, the money which was needed for the production of essential goods required by the nation, was invested in television, airconditioner, refrigerator and motor vehicle industries. What have you done during the last 30 years ? Now, you are finding fault with the Janata Party. I want that you should comment and criticize but that should be healthy and positive comment.

Now it is being said that the sick mills shouid be taken over. But I want to know why these mills fall sick ? The capitalists grab their money through dishonest means, by evading taxes and in the purchase of the raw materials. It is, in fact, the irony of fate that when these mills become insolvent, their responsibility is to be shouldered by the Government.

I would place before you the history of aech industry. Take for example, Jaipur Udyog Ltd. it has been under the control of a big industrialist family. A high-ranking officer of the Central Bank prepared a report how it bemcame sick.

इस उद्योग को 1971-72 में 79.73 लाख रुपये का घाटा हुआ जो 30 जून, 1975 तक 12.30 करोड़ रुपये का घाटा हुआ इस उद्योग के बीमार होने के आसार 1968 में ही नजर आने लग थे। 1971-72 में इसे 79.73 लाख रुपये का घाटा हुआ जो 30 जून, 1975 तक बढ़ कर 12.30 करोड़ हो गया। इस घाट के कारण थे :—

(1) संयंत्र की उपेक्षा के फलस्वरूप उत्पादन में कमी ;

(2) रुपये का अन्य कार्यों में लगाया जाना ;

(3) विक्रय क्रय और व्यय में प्रबन्धक दोष ;

सितम्बर, 1975 में स्थिति ऐसी हो गई कि धनाभाव के कारण कम्पनी को बन्द कर देना पड़ा ।

As a result thereof 3½ thousands of workers were rendered jobless. The assistance of the central Government was sought.

There is another industrial family in the Kapadia family. When the late Shri Fakhruddin Ali Ahmed was Industry Minister, I submitted a memorandum about the dishonesty of the Kapadias. But no action was taken on it. After that the Kapadias went on taking control of companies one after the other, and then raised a huge industrial empire. Sudhir Kapadia was the friend of the Prince of Wales—Sanjay Gandhi. He was also director of the Maruti Limited. He has taken a big mill—the Kohinoor Mills. I have submitted a memorandum to the Prime Minister——

इसमें मैंने बताया है कि इस मिल को कपाडिया उद्योग परिवार ने बरबाद करके रख दिया है। आपातस्थिति से पहले ही इसे घाटा होने लगा था। 1975-76 वर्ष में यह घाटा 682 लाख रुपये था तो 1976-77 में तो हालत और भी बुरी हो गई। अब कुल घाटा लगभग 17 करोड़ रुपया हो गया है। किन्तु यह घाटा कृत्रिम है, इसका कारण यह कि कपाडिया परिवार द्वारा इन मिलों से काफी धनराशि निकाली गई है। और भी अनेक अनियमितताओं के कारण इन मिलों को घाटा हुआ है। मैं 1968 में अथवा उससे पहले इस सम्बन्ध में इस सभा में कहता रहा हूं किन्तु वह केवल अरण्य रोदन ही रहा, उसका कहीं कोई प्रभाव नहीं हुआ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : हम सबने आपका समर्थन किया है ।

Shri Madhu Limaye : But I ask what co-operation you extended to me for effective action ? The other concern of Kapadias is National Rayon Corporation. Is it under your Ministry ? There was a long debate on this National Rayon Company and the control and the management of the company was not given to the Kapadias due to pressure from our side and strictures from the High Court.

किन्तु यह सब कुछ समय के लिये ही था ; ज्योही श्री एच आर गोखले ने कम्पनी कार्य विभाग का भार सम्भला तो नेशनल रेयान का नियन्त्रण सुधीर कपाडिया को सौंप दिया गया ।

Something sensational has happened recently. Shri Gujar Mal Modi of the National Rayon has purchased 1,000 shares. The value of one share is Rs. 350/- but its cost on paper is Rs. 100/-. So a sum of rupees one crore has been taken by Kapadias from Modi.

I had raised the issue of Modi Rubber also and I submitted documentary evidence to C. Subramaniam. A sum of rupees 50 lakhs in foreign exchange was stolen and the relevant documents were laid on the Table of the House. When we were rotting in the jails during emergency, you people were collecting election funds from Modi Rubber instead of taking action against him.

I had always opposed the Government's policy of converting loans into equity. It has been used as a cunning device by the big industrialists. Whatever checks are evolved by Government, the capitalists of the country are adept in using them for their own use.

As far as the question of multi-nationals is concerned, my convictions are not based on any prejudices against the foreigners. My convictions are clear that if we need foreign technologies on the national interest, we should take them. I do not have any ideological inhibition in this regard. But I want to know whether all the foreign companies or their branches operating in the country at present, are needed in the national interest ? Whether toothpaste, tooth brush, soaps, cosmetics, biscuits, cigarettes are for the good of the country. We have been fighting for the last 30 years but all have gone in vain.

I have given one call attention notice on the coca cola. I want to tell the Minister that an ad hoc licence for coca cola has been given. I have information from a reliable source that an amount of rupees 5 lakhs was taken as bribe. The honourable Minister should try to find out the truth. If the Janata Party Government acted the way the previous Government did, its fate will be the same. So I would request the Minister that he should conduct investigations into this and into the bungling of the National Rayon Corporation.

A number of new policies were evolved from which the big people took advantage. The policy of diversification and export promotion was introduced. The coca cola was given licence aiming at export promotion. The coca cola was exporting fish—which was needed for domestic consumption. The people of the country are very poor and are in poor health. Until their health standards are raised, at least food articles should not be exported. Till now Congress Party has been indulging in this. But I appeal to you that you should not tread the same path.

I remember that I raised the Asian cables case during the fourth Lok Sabha. They imported large quantity of polythene or some such materials clandestinely and afterwards the same was regularised in the name of diversification. It was the same Goenka who got printed 8 lakh posters for you in Bengal—(interruptions)——Everything should have priority.. the big fish should be netted first. The honourable member has made reference, to two things—the unconcealed preference for private sector and denigration of public sector. But I want to say that this is not the policy of the Janata Party. It has become clear from the first speech of the Minister and if there are still some misgivings on this account, the honourable minister will further clarify the issue.

My point is this that the Government should say that the electricity so generated will be given to farmers, small and cottage industries and if there is power shortage for big industrialists, they should have their own captive plants.

Loktak Hydel Project is very important for the entire North-Eastern region, Nagaland and Manipur. What will be done about this project ? Something should be done about power generation, fertilizer and petroleum exploration. No appreciable increase has been made in most of the consumer goods industries. My suggestion is this that an industry-wise conference should be convened and capitalists should be invited there at and they should be asked that necessary things such as raw material, loan, working capital etc. will be provided to them, but if necessary result is not achieved within one year, their industries will be taken away from them

and these industries will be handed over to efficient enterpreneurs. Until and unless it is done and a legislation is enacted in this regard, no progress would be made. For this purpose amendments may be made in the constitution, if necessary.

Industrialists should pay their attention in their own field *i.e.* they should increase production, effect economy and limit their profit.

In the end, I would like to point out about agriculture. Pulses are the main food of the poor people in India. Production of pulses is declining. The previous Government did nothing to increase its production. No breakthrough has been made in maize, millet and rice production which are food grains of the poor. Breakthrough has been made in long staple cotton only. There is a shortage of medium staple cotton. Government should think of it.

Mr. Speaker, I had introduced a Bill to abolish Vanaspati ghee industry. Pure oil should be supplied instead of it. Our neighbouring country Malaysia has become self-sufficient in palmoil. In our country also production of palm and sunflower can be increased.

श्री आर० वेंकटारमन (मद्रास दक्षिण) : मैं कुछेक बातें कहना चाहता हूं जो मंत्रालय के लिए अपनी भावी नीति के निर्माण में उपयोगी हो सकती हैं। माननीय मंत्री ने यह कहा है कि हमें जर्जर अर्थव्यवस्था विरासत में मिली है। लेकिन ऐसी बात नहीं है । यदि आप मुकाबला करें तो देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए देशों में से किसी भी देश ने उतनी औद्योगिक प्रगति नहीं की है जितनी की भारत ने। सरकारी क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। इसमें आत्मनिर्भरता आयी है। सरकारी क्षेत्र में विकास दर 12 प्रतिशत हो गई है। आज ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, चीनी मिल मशीन, सीमेंट मिल मशीनरी, कागज संयंत्र, व्यापारिक वाहन, विद्युत इंजन आदि जैसे अनेक उद्योगों में अपनी औद्योगिक मशीनें बनाने की हमारी क्षमता है। कागज मशीनरी के आयात की बात चल रही है । इसके आयात की कोई आवश्यकता नहीं है । उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम के बनने के समय से देश में बड़े परिवर्तन हुए हैं। अनेक क्षेत्रों में विकास हुआ है । यह एक अच्छी बात होगी, यदि अधिनियम में वर्तमान स्थिति को देखते हुए संशोधन किया जायेगा ।

सरकार का यह कहना भी ठीक है कि प्रत्येक अधिनियम 25 वर्ष के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, जिससे समस्या पर नए सिरे से विचार किया जा सके। मुझे आशा है कि 10 प्रतिशत की विकास दर में जनता सरकार द्वारा और बढ़ोतरी की जाएगी ।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि द्रुत आर्थिक विकास औद्योगिकरण पर निर्भर है । इससे ही लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। हमें ग्रामीण उद्योग और ग्रामीण रोजगार पर भी ध्यान देना चाहिए।

भारत में गरीबी का कारण आजादी का दबाव है। यदि यहां के कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटाकर उद्योग तथा अन्य क्षेत्र में लगाया जाये, तो स्थिति में सुधार हो सकता है । हमें एक आर्थिक नीति बनानी होगी। एक औद्योगिक नीति अपनानी होगी और उद्योगों में लोगों को लगाना होगा। इस बारे में अनेक सदस्यों ने बहुत से वक्तव्य दिए हैं। 1956 का नीति संकल्प किसी दल का नीति संकल्प नहीं है। इसे संसद् ने पास किया था और यह एक संसदीय संकल्प है। यदि सरकार इसमें परिवर्तन करना चाहती है तो उसे सोच समझकर अपना नीति संकल्प तैयार

करना चाहिए और संसद में उस पर पूरी तरह विचार होना चाहिए । तभी इसमें परिवर्तन किया जा सकता है । अतः सरकार को मेरा सुझाव यह है कि वह नीति सम्बन्धी वक्तव्य देने के बजाय एक औद्योगिक नीति संकल्प तैयार करके संसद के समक्ष वाद विवाद के लिए लाए ।

कृषि क्षेत्र में लोगों को आंशिक रूप में काम मिलता है । देश में अन्य रोजगार की भी समस्या है । एक फसली क्षेत्र में श्रमिकों को 4 महीने काम मिलता है जबकि द्विफसली क्षेत्र में 7 या 8 महीने । बाकी महीनों में उन्हें छोटे पैमाने के उद्योगों में लगाया जा सकता है । पूर्ण-कालिक रोजगार के लिए उन्हें छोटे-छोटे उद्योगों में लगाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाना चाहिए । भूमि पर जनसंख्या के दबाव को कम करके और उद्योगधंधों में लोगों को लगा करके ही बरोजगारी की समस्या हल की जा सकती है ।

संसार भर में छोटे मशीनीकृत उद्योग ही कल पुर्जे बनाते हैं । इन छोट कल पुर्जों आदि की खपत के लिए हमें बड़े उद्योगों की स्थापना करनी होगी । अतः छोट और बड़े बड़े उद्योगों का समन्वित विकास होना चाहिए । अल्प रोजगार की समस्या को समाप्त करने के लिए ग्रामी उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए । इसी आधार पर हमें अपनी औद्योगिक नीति बनानी चाहिए । भारत में अन्य अधिकांश औद्योगिक एस्टटों के अन्तर्गत छोटे छोटे उपकरण बनाने वाले शैड ही शामिल है । उनका बड़े तथा मध्यम उद्योगों के साथ कोई तालमेल नहीं रखा गया है । हमने छोटे उद्योगों को सहायता देने के साथ साथ मध्यम उद्योगों की स्थापना की और यह प्रयोग बहुत ही सफल रहा । औद्योगिक विकास के लिए यही रास्ता अपनाया जाना चाहिए ।

एकाधिकारिता के जतिल प्रश्न को सुलझाने का सीधा उपाय यह है कि किसी को दूसरा लाइसेंस तब दिया जाये जब वह पहले लाइसेंस का पूरा उपयोग कर चुके । इसी प्रकार दूसरा ऋण तब दिया जाय जब पहला ऋण पूर्णतः अथवा कम से कम आधा चुकता हो जाये । यही सुझाव मेरे नेता कामराज ने 1963 में भुवनेश्वर में अपने अध्यक्षीय भाषण के समय दिया था । लेकिन हम कम्पनी ला बोर्ड आदि जैसी संस्थाओं की स्थापना करने और बड़े बड़े अधिकारी नियुक्त करने के आदी हो गये हैं । यदि इस सुझाव पर अमल किया होता तो कुछ ही संगठनो का लाइसेंसों तथा लोक हित व्यवस्था पर एकाधिकार न हो पाता ।

हमें प्रौद्योगिकी के आयात के बारे में अनुदार रवैया नहीं अपनाना चाहिए क्योंकि जो विकास कार्य विश्व के अन्य भागों में ज्ञात हो चुके हैं पुनः उनकी खोज करने पर धन और शक्ति व्यय करना निरर्थक है । परन्तु खरीदी गई प्रौद्योगिकी को हमें अपने अनुकूल ढालना और उसमें नवीनता लाना आवश्यक है । उसमें सुधार कर हम उसे अन्य देशों को निर्यात कर भी सकते हैं ।

हमारे देश में कुछ वस्तुओं की कमी बढ़ती जा रही है । इनमें सीमेन्ट भी है जिसका उत्पादन 1976 में 1.86 करोड़ मीटरी टन का था । योजना आयोग ने 1978–79 के लिए इसके उत्पादन का लक्ष्य 2.35 करोड़ मीटरी टन नियत किया था परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में इस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते । सीमेन्ट के 53 कारखानों में से 28 कारखाने ऐसे हैं जो 20 वर्ष पुराने हैं और जिनके पुनरुत्थान तथा आधुनिकीकरण की आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त, सीमेन्ट की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए हमें नये कारखाने भी लगवाने होंगे । वस्तुओं के अभाव की समस्या अधिक उत्पादन से ही हल हो सकती है, धमकी या आश्वासनों से नहीं ।

सीमेंट कारखानों की संस्थापित क्षमता की प्रति मीटरी टन लागत जो 1968 में 250 रु० थी बढ़कर 1977 में 600 रु० हो गई है । इससे कम करने के लिए उत्पादन कर में राहत तथा राजसहायता प्राप्त वित्तीय सुविधा दी जानी चाहिए । लघु कारखाने भी विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों में, जहां कच्चे माल के छोटे निक्षेप हैं, स्थापित किये जा सकते हैं ।

इसके अतिरिक्त कागज की कमी बढ़ती जा रही है । अतः कागज उत्पादन को बढ़ाने के उपाय करने पड़ेंगे ।

लघु स्तर उद्योगों को पूंजी विनियोजन सम्बन्धी जो 25 प्रतिशत की रियायत उपलब्ध थी वह वित्त मंत्री ने अब वापस ले ली है जबकि वह इन उद्योगों के विकास के लिये बहुत कुछ कहते रहे हैं ।

रुग्ण मिलों को सुप्रबन्ध वाले कारखानों में विलय करने की बात कही जा रही है । अधिनियम में ऐसे प्रमाण पत्र की व्यवस्था तो है जिसमें विलयकारी कारखाने के पुनरुत्थान की दिशा में प्रयत्न करने का उल्लेख हो, परन्तु विलय किये गये कारखाने के श्रमिकों को नौकरी में लिये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है । अतः विलय के लिए इजाजत देते समय यह शर्त रखी जानी चाहिए कि श्रमिकों तथा कर्मचारियों को भी नौकरी में रखा जायेगा ।

श्री जार्ज मथ्यू (मुवत्तुपुज़ा) : भारत जैसे गरीब देश के लिए जिसका कुल राष्ट्रीय उत्पादन विश्व के कुल राष्ट्रीय उत्पादन का केवल 1.5 प्रतिशत है और जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 15 प्रतिशत है, प्रति व्यक्ति आय के अन्तराष्ट्रीय औसत तक पहुंचने के लिए 10 गुणा विकास करना पड़ेगा ।

[श्री त्रिदिब चौधरी पीठासीन हुए ।]

[Shri Tridib Chauduri in the Chair]

हमारे देश में जनसख्या में लगभग 2.1 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है । अतः पश्चिमी यूरोप के सत्राहवीं शताब्दी वाले जीवन स्तर को सन 2001 तक प्राप्त करने के लिए हमें विकास दर को जो इस समय लगभग 3.5 प्रतिशत है 15 प्रतिशत तक बढ़ाना होगा । विकासशील देश होने के नाते हमें यह एक सुविधा प्राप्त है कि हम विकसित देशों की भूलों से सबक ले सकते हैं । 15 प्रतिशत विकास दर तक पहुचने के लिय हम बचत तथा पूंजी विनियोजन की वर्तमान 6.5 प्रतिशत दर को बढ़ाकर 17 प्रतिशत तक करना होगा और औद्योगिक उत्पादन को 50 गुना बढ़ाना होगा और अर्थ-व्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र की हिस्सेदारी को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 37 प्रतिशत तथा कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी के 48 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करना पड़ेगा । इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिकों की प्रतिशतता को 75 से घटाकर 15 करना होगा । इस प्रकार कृषि क्षेत्र पर बल देने से देश में बेरोजगारी की समस्या हल नहीं हो सकती । जनसंख्या की वर्तमान वृद्धि दर को 1980 तक घटाकर लगभग 1.4 प्रतिशत करना होगा ।

इस वर्ष के बजट में 15,568 करोड़ रुपये की कुल धनराशि में से केवल 337.5 करोड़ रुपये उद्योग मंत्रालय के लिए नियत किये गये हैं जो बहुत कम है ।

बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा है कि उद्योगों को अपने विकास के लिए स्वयं साधन जुटाने होंगे । यह बहुत ही शोचनीय बात है । इस रवैये से अमीर और अधिक अमीर तथा गरीब और

अधिक गरीब हो जायेंगे । निधन राज्यों में उद्योगों के विकास के लिए कुल बजट का 10 प्रतिशत आवंटन करना होगा । निर्धन राज्य बिना संसाधनों एवं केन्द्रीय सहायता के औद्योगिक रूप से किस प्रकार पनप सकते हैं ।

लघु उद्योगों को देश के 2 करोड़ 20 लाख बेरोजगारों की समस्या को हल करना चाहिए ।

बड़े औद्योगिक गृहों की वर्तमान परिभाषा बदल देनी चाहिए और परिभाषा की दृष्टि से इसकी आस्तियां 20 करोड़ से घटाकर 10 करोड़ रुपये कर दी जानी चाहिए । बड़े औद्योगिक गृहों की एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों, को रोकने का यही एकमात्र उपाय है । उद्योगों को ऊर्जा साधन उपलब्ध कराने के लिए अधिक बल सौर्य ऊर्जा, जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा आदि पर दिया जाना चाहिए ।

केरल में साक्षरता की दर 60 प्रतिशत से भी अधिक है और प्रति व्यक्ति आय केवल 555 रुपये है । बेरोजगारी की दर में गम्भीर वृद्धि हुई है । यदि सरकार हमारे प्रदेश की बेरोजगारी समस्या को हल करना चाहती है तो उसे भारत के सरकारी उपक्रमों में उन शिक्षित बेरोजगारों को खपाना होगा जिनका नाम रोजगार केन्द्रों में दर्ज है । शिक्षित बेरोजगारों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर विशेष रोजगार केन्द्र स्थापित करना होगा । ये व्यक्ति "पहले आने वाला पहले पाये" के आधार पर केन्द्रीय प्रायोजित उद्योगों में लगाये जाने चाहिएं ।

उद्योग विभाग को केरल के रबड़ उत्पादन क्षेत्र में 50,000 टन प्राकृतिक रबड़ पैदा करने की क्षमता वाला टायर उत्पादन कारखाना स्थापित करके केरल वासियों की मदद करनी चाहिए । प्राकृतिक रबड़ के अधिक उत्पादन के कारण रबड़ की कीमत अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से कहीं कम हो गई है । उद्योग विभाग को अतिरिक्त उत्पादन का निर्यात करने के उद्देश्य से टायर उत्पादन कारखाना खोलना चाहिए ।

सरकार को केरल में नारियल जटा उद्योग की भी सहायता करनी चाहिए । राज्य सरकार ने वर्ष 1974 में नारियल जटा उद्योग के लिए पुनरीक्षित कार्यक्रम पेश किया था । लेकिन अभी तक इस बारे में कुछ नहीं किया गया है । सरकार को शीघ्र ही इस कार्यक्रम को स्वीकृति दे देनी चाहिए तथा आवश्यक वित्तीय सहायता भी देनी चाहिए । सरकार को स्वीकृत ऋणों पर ब्याज की दर घटाकर 2 1/2 प्रतिशत कर देनी चाहिए । इस प्रकार इस उद्योग की सहायता की जा सकती है । केरल के लिए लगभग 13 औद्योगिक लाइसेंस केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है । इन विचाराधीन लाइसेंसों की स्वीकृति के लिए कदम उठाये जाने चाहिएं ।

इस समय हमारे राज्य में काजू परिष्करण उद्योग समस्याओं से घिरा हुआ है । आयातित काजू को परिष्कृत करके काफी विदेशी मुद्रा कमाई जाती है । अफ्रीकी देशो में विशेषकर तंजानिया और कीनिया में काफी मात्रा में कच्चा काजू उपलब्ध है ।

भारतीय काजू निगम को केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के परामर्श से वर्ष 1972 में बनाये गये सिद्धान्तों का पालन करना चाहिए । इस समय कच्चे काजू की आयात की जाने वाली मात्रा इस उद्योग के लिए 60-70 दिन के लिए पर्याप्त होती है । इस संदर्भ में राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 1970 के बाद कच्चे काजू को साफ करने के लिए दिये गये सभी नये लाइसेंस रद्द कर देने चाहिए ।

विभिन्न राज्यों में मजूरी की असमानता होना भी इस उद्योग के लिए एक समस्या है । इस समस्या का हल एक राष्ट्रीय मजूरी नीति तैयार करके ही किया जा सकता है । सरकार को चाहिए कि वह कारखाना मालिकों को सस्ती मजदूरी वाले असंगठित श्रमिकों का शोषण करने के उद्देश्य से एक राज्य से दूसरे राज्य में अपने कारखाने स्थानान्तरित न करने दे ।

विकसित देशों के, चाहे वे साम्यवादी हों या पूंजीवादी, अनुभवों से सबक लेकर जब तक कोई युक्तिसंगत औद्योगिक नीति नहीं बनायी जायेगी, हमारा राष्ट्र सुरक्षित नहीं होगा ।

Shri Sushil Kumar Dhara (Tamluk) : The previous Government kept the industrial development limited upto urban and city areas during the last 30 years. It has resulted into migration of a large section of rural population to urban and city areas.

No industry can run on Subsidy. But infant industry requires protection. A Commission of Enquiry headed by Justice R.K. Sarkar was appointed in this connection but its work could not proceed consequent on an injunction obtained from the Calcutta High Court. Subsequently industrialists opened benami companies which were given licenses by the Government. This matter should also be looked into by the Government before setting up new industries. The idle capacity of the existing industries alongwith the reasons for their non-utilisation should be examined. If the companies utilise their full capacity, much of the unemployment situation can be eased.

There is corruption in the industries which has also to be investigated. An example of it are the jute mills where there is discrepancy in the utilisation of raw matterial. Further, much of the jute raw material goes waste as the jute sticks which can possibly be utilised for preparation of paper pulp, pulp-board etc , go waste. Efforts should be made to examine utilisation of this material which goes waste in large quantity.

Steps should also be taken to develop agro-industry in order to increase purchasing capacity. There was also no proper planning so far in any field with the result that the entire burden of a systematic planning has fallen on the Janata Government. There should be coordination between agriculture and industry.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

पहला प्रतिवेदन

सभापति महोदय : अब श्री के० सी० हाल्दर अपना प्रस्ताव पेश करें ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के पहले प्रतिवेदन से, जो 6 जुलाई, 1977 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के पहले प्रतिवेदन से, जो 6 जुलाई, 1977 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

भूतपूर्व प्रधान मंत्री द्वारा लोकतंत्रात्मक सिद्धान्तों का हनन करने के बारे में संकल्प

Resolution re Subversion of Democratic norms by the Former Prime Minister

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : आपातस्थिति लागू करने की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर इस संकल्प को पेश करना मेरे भाग्य में बदा था। दो वर्ष पूर्व आपातस्थिति लागू करने का दिन शोकपूर्ण तथा शर्मनाक था और आपातस्थिति के समर्थकों को इसकी दूसरी वर्षगांठ को पश्चाताप दिवस के रूप में मनाना चाहिए।

यह एक बड़ा आश्चर्यजनक एवं दुखद संयोग था कि आपातस्थिति 1975 में लागू की गई जो गणतंत्र तथा संविधान का रजत जयन्ती वर्ष था। आपातस्थिति लागू करने वालों का तर्क यह था कि उन्होंने अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग किया जिसके लिए संविधान में उपबन्ध है।

इस उपबन्ध को लेकर अगस्त, 1949 में, जब संविधान में इसकी व्यवस्था की गई, बहुत उत्तजित वाद-विवाद हुआ था। संविधान सभा में आपात स्थिति के उपबन्धों पर आयोजित पांच दिवसीय चर्चा के अन्तिम दिन मैंने बोलते हुए आशंका व्यक्त की थी कि आपातस्थिति के उपबन्धों से हम एकतंत्रवादी देश की आधारशिला रख रहे हैं।

अन्ततः जब आपातस्थिति सम्बन्धी उपबन्ध पारित किये गये तो मैं अपने दिल में गहरी वेदना लिए हुए उठा और कहा "यह एक शोकपूर्ण तथा शर्म का दिन है। ईश्वर भारतीय लोगों की रक्षा करे।" 26 वर्ष बाद मेरी आशंका सत्य सिद्ध हुई।

25 जून, 1975 को जो आपातस्थिति लागू की गई वह अप्रत्याशित नहीं थी। पिछले पांच वर्षों से भी अधिक समय से तैयारियां हो रही थीं। वास्तव में नैतिक मूल्यों का पतन 1975 में नहीं बल्कि 1969 से शुरू हो चुका था जब भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति पद के लिए उसी उम्मीदवार का प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः विरोध शुरू कर दिया जिसके नाम का प्रस्ताव स्वयं उन्होंने किया था, मेरा अभिप्राय व्यक्तियों से नहीं बल्कि सिद्धान्तों तथा नैतिक मूल्यों से है। वस्तुतः वहीं से नैतिक पतन की शुरुआत हुई और यह पतन होता गया और 1971 के 'गरीबी हटाओ' चुनावों के बाद इसकी रफ्तार तेज हो गई और उसके बाद हमने देखा कि श्रीमती गांधी की सरकार व्यक्ति विशेष को अधाधुंध शक्ति प्रदान करती जा रही है।

संसद् के सम्मान तथा गौरव का हनन किया जाता रहा। वर्ष 1950 में जिस संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना की गई थी, धीरे-धीरे उसका ह्रास होता गया और अन्ततः 1975 में बिल्कुल समाप्त हो गया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रायः समाप्त कर दी गई, प्रजातंत्र का गला घोंट दिया गया। डेढ़ व्यक्ति ने सम्पूर्ण शक्ति अपने हाथ में ले ली। आश्चर्य है कि कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने निर्लज्जता का परिचय दिया और उसका समर्थन करते रहे।

बड़े दुःख की बात है कि योग्य पिता की योग्य लड़की इतनी अधिक गिर गई और सिद्धान्तों को ताक पर रख कर अबाधित अथवा निरंकुश सत्ता के लिए उन्मादपूर्ण अभियान शुरू कर दिया। यह अभियान व्यक्तिगत सत्ता के लिए था और उसके दल तथा दल के लोगों ने उसका साथ दिया। यही प्रजातंत्र की समाप्ति थी और नैतिक मूल्यों का हनन था।

विश्वमान्य प्रजातांत्रिक सिद्धान्त है—मजबूत प्रतिपक्ष को विसम्मति का अधिकार, सुदृढ़ स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र प्रेस, इन सभी को एक-एक करके समाप्त कर दिया गया। 26 जून, 1975 को सत्य की हत्या कर दी गई।

महात्मा गांधी ने हमें "सत्य और अहिंसा" का पाठ सिखाया था, किन्तु श्रीमती गांधी ने उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके उसे "असत्य और हिंसा" का सिद्धान्त बना दिया।

लगभग 1 लाख लोगों को आंसुका (मीसा) और भारत रक्षा नियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। कई लोग जेलों में मर भी गये। किन्तु प्रधान मंत्री और उनके चमचे बार-बार यह कहते रहे कि केवल कुछ ही लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

संविधान में बयालीसवां संशोधन संविधान में प्रत्यक्षतः संविधान में सशोधन करने के लिए पेश किया गया था। लेकिन वस्तुतः उसका उद्देश्य न तो संविधान में सशोधन करना था और न ही उसमें सुधार करना था बल्कि उसका उद्देश्य संविधान को समाप्त करना था।

मुझे आशा है कि कांग्रेस पार्टी इस मामले पर गौर करेगी की और वह ब्यालीसवां संशोधन रद्द करने में हमें सहयोग देगी। विधेयक पारित होने से पहले तत्कालीन प्रधान मंत्री ने कहा था कि मैं चाहती हूं कि संविधान संशोधन पर राष्ट्रव्यापी चर्चा हो। इस पर हमने संविधान पर विचार करने के लिए एक राष्ट्रीय समिति बना ली थी। हमने गांधी पीस फाउंडेशन के भवन में एक हाल भी बुक कर लिया था किन्तु बैठक के आरम्भ होने के समय से कुछ ही पहले जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से आदेश आ गया कि इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। इसके बावजूद भी वह और तत्कालीन विधि मंत्री यह कहते रहे कि राष्ट्रीय वादविवाद की अनुमति दे रहे हैं तथा संविधान के बारे में जो कुछ देश में हो रहा है वह समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहा है। दूसरी ओर प्रैस को कुछ भी प्रकाशित करने के लिए मना किया गया था।

सभापति महोदय, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जून, 1975 में संविधान के उपबंधों का लाभ उठाया और आपातस्थिति लगा दी तथा सत्ता और तानाशाही के मार्ग पर चल पड़ी। खुशकिस्मती की बात तो यह है कि हमारे देश के लोगों तथा देश के बाहर के लोगों ने इसके खिलाफ लड़ाई की। हम विदेशों में रहने वाले उन भारतीयों के उन प्रयासों की सराहना करते हैं जो उन्होंने बीस महीनों के काले दिनों में किए। हम अपने उन मित्रों के प्रयासों की भी प्रशंसा करते हैं जिन्होंने इसके विरुद्ध संघर्ष करते हुए अपनी जानें कुर्बान कर दीं। हम ऐसे व्यक्तियों की भी प्रशंसा करते हैं जिन्होंने देश के बाहर जाकर भी इसके खिलाफ आवाज उठाई। श्री सुब्रह्मण्यम बाहर गये और उन्होंने लोगों में चेतना डाली। उन काले दिनों में अनेक लोगों को बहुत मानसिक और शारीरिक यातनाएं

दी गईं। मुझे दिल्ली में उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जब मैं सर्वोदय संघ द्वारा संगठित प्रार्थना सभा में था। मेरे साथ छह और व्यक्तियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे खिलाफ यह आरोप लगाया गया कि हम "आनन्द मार्ग की मदद करो", "आर० एस० एस० की मदद करो" आदि नारे लगा रहे थे। परन्तु मजिस्ट्रेट दिल वाला था। आपातकाल में दिलदार मजिस्ट्रेट बहुत कम दिखाई देते थे। यह मजिस्ट्रेट एक नवयुवक था और उसने हमें छोड़ दिया तथा दूसरी ओर पुलिस के खिलाफ तीव्र आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने यह झूठा मामला खड़ा कर दिया है। मुझे नहीं पता कि उसका बाद में क्या हुआ। इसके अलावा मैं और उदाहरण नहीं देना चाहूंगा क्योंकि मुझे मालूम है कि सभी सदस्य जानते हैं कि आपातकाल में क्या-क्या हुआ है।

किसी विद्वान ने कहा है कि यदि आप स्वतंत्रता देकर सुरक्षा खरीदना चाहते हो तो आप सुरक्षा एवं स्वतंत्रता दोनों के ही पात्र नहीं हैं। यही चीज हमारे देश में हुई तथा यही कारण है कि धर्मयुद्ध होता रहा। हम स्वतंत्रता खो कर सुरक्षा खरीदना नहीं चाहते थे। डा० अम्बेडकर ने संविधान सभा में अपने भाषण में कहा था कि हमारे देश में विश्व के अन्य देशों की तुलना में वीर पूजा अधिक होती है। अतः उन्होंने लोगों को चेतावनी दी थी कि वे किसी नेता के पांव में अपनी स्वतंत्रता न्योछावर न करें क्योंकि इससे तानाशाही पनप सकती है। 1975–77 में यहां यही हमें देखने को मिला। इसके पश्चात् शहीदों की कुर्बानी का मुक्ति दिवस आया। लोगों को बहुत भयभीत किया गया परन्तु उन्होंने निर्भीक होकर मत दिया तथा 22 मार्च को हमने सत्ता सम्हाल ली।

अब मैं एक पखवाड़ा पूर्व लोक सभा में गृह मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। गृह मंत्री ने बताया है कि आपातस्थिति के दौरान वरिष्ठ तथा जिम्मेदार पदों पर काम कर रहे कुछ अधिकारियों ने विभिन्न आयोगों द्वारा जांच की जा रही घटनाओं के बारे में अपने दोषों को स्वीकार किया है। अतः मैं ने जो कुछ कहा है वह तुच्छ के बराबर है। अभी कई बातें प्रकाश में नहीं आई हैं। आपातकाल के दौरान जो भी हत्यायें हुई हैं, जो भी ज्यादतियां हुई हैं, पुलिस द्वारा जो भी अत्याचार किये गये हैं उनके बारे में जो भी जानकारी हमारे पास है वह सारी की सारी घटनाओं की केवल दस प्रतिशत होगी। मुझे आशा है कि आयोग अच्छा काम करेगा और भूतपूर्व प्रधान मंत्री और उसके सहयोगियों द्वारा किये गये अत्याचारों और काले कारनामों के बारे में और पता लगायेगा।]

हमने एक नये युग में प्रवेश किया है तथा सदन को उन निर्भीक लोगों की सराहना करनी चाहिए जिन्होंने निरंकुशवादी शासन को चुनाव में पछाड़ने के लिए एक ऐतिहासिक कार्य किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे देश के लोगों ने प्रजातंत्र, स्वतंत्रता और सब से बड़े 'सत्य' को पुनः प्रविष्ठित किया है। हम लोगों के प्रति बहुत आभारी हैं कि उन्होंने मार्च, 1977 में देश में फिर से जान डाल दी।

मैं सिफारिश करता हूं कि सदन इस संकल्प को हार्दिक स्वीकृति प्रदान करे।

श्री हुकम देव नारायण यादव (मधुबनी) : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं।

श्री युवराज (कटिहार) : मैं संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं।

श्री रामजीवन सिंह (बलिया) :] मैं संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं।]

श्री श्याम सुन्दर दास : (सीतामढ़ी) मैं संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं।

श्री उग्रसेन (देवरिया) : मैं संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं।

श्री विनायक प्रसाद यादव (सहरसा) : मैं संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं।

श्री समरेन्द्र कुन्डु (बालासोर) : मैं संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करता हूं।

श्री चन्द्र शेखर सिंह (वाराणसी) मैं संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए। प्रतिपक्ष का प्रथम वक्ता श्री वसन्त साठे होगा किन्तु श्री चन्द्र शेखर सिंह ने प्रार्थना की है कि उन्हें कुछ समय दिया जाये क्योंकि उन्होंने आज अभी सदन से चले जाना है।

Shri Chandra Shekhar Singh (Varnasi) : Sir, I have given a notice of amendment to the Resolution. I want to get the following lines added at the end of the text of the Resolution:—

"and demands that the gang who committed condemnable, inhuman and cruel acts should be punished."

Because it was in June, 1974, when a movement was launched and a demonstration was staged in front of the Bihar State Legislative Assembly by the students of that State to highlight the demands of the public for ending unemployment, corruption, illiteracy, misrule etc. and for bringing down the prices which were going on rising. Instead of considering these demands sympathetically, the then Government of Bihar resorted to lathi-charge and firing as a result of which several persons lost their lifes. This was resented to by the people throughout the country. Since Bihar State Legislative Assembly was a party to all these brutalities, it was demanded that the State Legislative Assembly should be dissolved and fresh elections should be held as the MLAs have lost the confidence of the people by promoting misrule, corruption and prices in Bihar. At this stage, the idea of limited dictatorship was given to the people by the ruling party. They argued that limited dictatorship was necessary in order to maintain law and order in the country. This idea of limited dictatorship was also resented to by various groups of people peacefully. But the former Government started victimising the people unnecessarily. In order to highlight our demands a bandh was observed in Bihar on 3rd, 4th and 5th November, 1974. Thereafter, we all assembled in Delhi to invite the attention of the Central Government to our demands and to request them to dissolve the Bihar State Legislative Assembly and to hold fresh elections there. But the then Government did not pay any heed to all these demands, because Indiraji wanted to become dictator. The decision of Allahabad High Court on 12 June, 1975 on the election petition of Shri Raj Narain against Shrimati Indira Gandhi proved to be a last straw.

In this background, on the night of 25/26th June, 1976, internal emergency was proclaimed and the dictatorship was ushered in the country on that black night, instead of relinquishing her office in view of the judgement of the High Court, according to which she had been debarred from contesting elections for a period of six years. Thus democracy in India came to an end. A large number of people were put behind the bars. Not only this, cruelties were perpetrated on the people inside and outside jails. My friend, Prof. Vinay Kumar had to face electric shocks in a police station in Banaras ; the president of Hindustan Academy, Shri Satyavarta Sinha and my friend, Shri Ram Sagar Mishra died in jails.

[श्री धीरेन्द्र नाथ बसु पीठासीन हुए]

[SHRI DHIRENDRANATH BASU *in the chair*]

With the imposition of internal emergency, press censorship was also imposed. The people at large, were thus not able to know the truth. Besides, powers of the judiciary were also curtailed so that people were not able to go to the courts. The MISA was used indiscrimi-

nately and even the detained persons were not entitled to know the reasons for which they were arrested. A reign of terror was let loose on the people in the name of family planning to this extent that even the people like rickshaw pullers, shoe-makers, shopkeepers etc. hes itated to come out of their houses to earn their livelihood. On 18 Jan, 1977, the Prime Minister of India, however, gave orders for fresh elections in the country and we all heaved a sigh of relief.

Now during the emergency, a number of excesses were committed by certain persons. I think, all those who are responsible for committing brutalities, cruelties and inhuman acts against the people during the emergency and for putting the democracy to an end in the country should be punished. There is no qusstion of 'forget and forgive' such people as is being pleaded in certain quarters, Nobody should be spared.

श्री वसंत साठे (अकोला) : यह एक आश्चर्यजनक बात है कि प्रस्तावक ने संकल्प के पाठ में जहां अन्य नेताओं का उल्लेख किया है वहां, श्री जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं है हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि राष्ट्र के निर्माण में उन्होंने जो योगदान किया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। परिवार के एक सदस्य, श्री संजय गांधी द्वारा किये गये अपराधों, जिनकी जांच हो रही है, के लिये सारे परिवार के नाम को मिटाने का प्रयत्न करने की बात खेदजनक है। मैं नहीं समझता कि उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया है। परन्तु यदि उसमें दक्षिण से श्री राजगोपालाचारी, श्री कामराज, श्री अन्नादुराय और ऐसे अन्य नेताओं का उल्लेख कर दिया जाता तो इससे हमारे सामने एक पूरा चित्र आ जाता।

यह धारणा गलत है कि देश में सभी लोगों ने आपातकालीन स्थिति और संविधान के 42वें संशोधन के विरुद्ध अपना मत दिया है। यह ठीक है कि उतर भारत में कांग्रेस को मत नहीं मिला, परन्तु दक्षिण भारत में तो कांग्रेस को ही मत मिला है। वहां पर उसे हटाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। हां, उतर भारत में कांग्रेस को मत न मिलने का कारण यह है कि आपात स्थिति के दौरान वहां पर अत्यधिक ज्यादतियां की गई थीं। ऐसे लोगों का, जिन्होंने अत्याचार किये बचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। फिर भी इतना जरूर कहूंगा कि इस तथ्य को भुलाया नहीं जा सकता कि दक्षिण भारत में कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के लोगों ने कांग्रेस के विरुद्ध अपना मत नहीं दिया है क्योंकि ऐसा करना उनके प्रति अन्याय होगा। अत: संकल्प में सभी लोगों को बधाई देने की जो बात कही गई है वह ठीक नहीं है। संकल्प में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है उससे मुझे बड़ा दु:ख हुआ है। दूसरी ओर देखा जाये, तो अब क्या स्थिति है श्रीमती अब्दुल्ला ने अपने वक्तव्य में ऐसा कहा है कि काश्मीर घाटी में चुनाव के दौरान लोगों की हत्या की गई लोगों के घर जला दिये गये। सैकड़ों लोगों को अकारण गिरफ्तार किया गया।

एक माननीय सदस्य : परन्तु आपातस्थिति तो नहीं थी।

श्री वसन्त साठे : तब तो यह और भी खराब चीज है कि लोकतंत्री व्यवस्था में इस तरह के अपराध किये गये हैं। अमरीका जैसे देश में भी 1933 में आपातस्थिति रही हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उतर पूर्व) : वह तो वित्तीय आपातस्थिति थी।

श्री वसन्त साठे : वित्तीय आपात स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा की गयी थी। कोरियाई संकट के दौरान 1950 में साम्यवाद के खतरे के विरुद्ध राष्ट्रीय आपात-स्थिति की घोषणा की गयी। साम्यवादियों के बहाने सैकड़ों लोगों को नजरबंद किया गया। अमरीका

में रेड इंडियन लोगों को अभी भी उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। एफ़०बी०आई० के एक व्यक्ति की हत्या के कारण 200 रेड इंडियन नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर दी गयी। क्या अमरीका का कोई भी रेड इंडियन नागरिक भारत या किसी भी देश में यह प्रचार करने हेतु गया कि अमरीका में लोकतंत्र खतरे में है और उनको मूलभूत अधिकार नहीं दिये जा रहे हैं? अमरीका के काले लोगों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव किया जा रहा है। तो क्या ये काले लोग विश्व के किसी देश में अपनी सरकार की निन्दा करने के लिये गये? **(व्यवधान)**। परन्तु यहां के लोग ऐसा करने के लिए दूसरे देशों में जाते हैं। ये लोग हैं जो दूसरे देशों में अपने देश में फूट डालने की कोशिश करने के लिए जाते हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है; मेरे मित्र श्री साठे ने * शब्द का प्रयोग किया है। उनके मामलों पर हमारा राजनैतिक मतभेद हो सकता है परन्तु किसी भी भारतीय को * कहना अच्छी बात नहीं है। मैं अपने मित्र से अनुरोध करूंगा कि वह इस शब्द का प्रयोग न करें। कृपया इसे वापस ले लें।

श्री वसन्त साठे : मैंने यह कहा है कि जो भी व्यक्ति अपने देश के विरुद्ध प्रचार करने के लिए दूसरे देश में जाएगा उसे ही यह कहा जाएगा।

जैसाकि आपने कहा कि आपात स्थिति के दौरान पुलिस ने ज्यादतियां की हैं। **(व्यवधान)** मेरे मित्र ने अभी बताया कि एक लाख से अधिक लोगों को नजरबन्द किया गया। अत्याचारों के उदाहरण दिये जा रहे हैं और दिनरात इनको दोहराया जा रहा है। मैं इन ज्यादतियों के विरुद्ध हूं और मैं आपकी तरह से इनकी कड़ी भर्त्सना कर रहा हूं। आपात स्थिति के दौरान अनेक संसद् सदस्यों को नजरबन्द किया गया। परन्तु एक भी संसद् सदस्य अपने ऊपर किये गये अत्याचार को बताने के लिए नहीं आये। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : शांत, कृपया शांत।

श्री वसन्त साठे : मुझे यह बताया गया है कि श्री ज्योतिर्मय बसु को जयपुर में नजरबन्द रखा गया। उन्हें जेल के परिसर के एक बंगले में रखा गया, जहां उनके परिवार के सदस्य प्रतिदिन उनके पास आने दिये जाते थे। वह प्रतिदिन दो बार मोटरकार में बैठकर बगीचे में जाया करते थे। श्री ज्योतिर्मय बसु के साथ इस प्रकार का बर्ताव क्या अत्याचार था. . . **(व्यवधान)**। नागपुर जेल में 500 राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कार्यकर्ता नजरबन्द किये गये। प्रतिदिन उनके पास उनके घरों से खाना आता था। मिठाइयां आती थीं। क्या यह अत्याचार था . . . **(व्यवधान)**

Some honourable members : It is not true.

सभापति महोदय : मैंने रिपोर्टरों से कह दिया है कि वे भाषण से आपत्तिजनक अंश को निकाल दें।

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।
Expunged as ordered by the chair.

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : महोदय, माननीय सदस्य सभा को गुमराह कर रहे हैं। श्री ज्योतिर्मय बसु को कालकोठरी में रखा गया और मैं उनसे पूछ रहा हूं कि क्या वह इस तरह का बर्ताव सहन करने को तैयार हैं। **(व्यवधान)**

श्री वसन्त साठे : पिछले दिन फरीदाबाद में अत्याचार की एक घटना हुई। एक व्यक्ति हरनाम सिंह को बुरी तरह तंग किया गया। क्या उसे गृह मंत्री या प्रधान मंत्री के कहने पर तंग किया गया? क्या ऐसा कहा जा सकता है। इसी तरह क्या आप यह कह सकते हैं कि आपात स्थिति के दौरान जो भी ज्यादतियां की गयीं, वे सब श्रीमती इन्दिरा गांधी के कहने पर की गयीं?

(व्यवधान)

अतः मेरा श्री कामत से अनुरोध है कि वह फिर से विचार करें और संकल्प का पहला आधा अंश निकाल दिया जाये। अन्यथा मैं समूचे संकल्प का विरोध करूंगा।

सभापति महोदय : अभी सूची में 12 सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त पांच संशोधन हैं। 5.40 बजे तक का समय नियत किया गया है। सभा इस समय को आधा घंटे और बढ़ाये जिससे ये सभी चर्चायें हो सकें और गृह मंत्री भी उत्तर दे सकें।

माननीय सदस्यगण : हां, ठीक है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इस संकल्प को पेश करने के लिए मैं श्री कामत को बधाई देता हूं। संकल्प में बहुत नम्र शब्दों का प्रयोग किया गया है। यदि कड़े शब्दों का प्रयोग किया जाये, तो बेहतर होता।

इसमें नम्र शब्दों का जो प्रयोग किया गया है, वह इस बात का द्योतक है कि जो कुछ किया गया है, उसे हम माफ करना चाहते हैं। परन्तु इसके साथ ही जो कुछ हुआ है, उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। हमें इसे याद रखना चाहिए, ताकि ऐसा फिर कभी न हो।

श्री साठे ने यह कहा है कि इस चुनाव से यह पता चलता है कि दक्षिण भारत ने आपात-स्थिति और 42वें संशोधन के पक्ष में मतदान किया। उत्तर भारत ने भी आपात स्थिति और 42वें संशोधन के विरुद्ध मतदान न करके अनिवार्य नसबन्दी के विरुद्ध मतदान किया है। परन्तु ऐसा नहीं है। विधान सभा के चुनावों में कांग्रेस की तमिलनाडु में करारी हार हुई है। इससे स्पष्ट है कि उत्तर हो या दक्षिण कांग्रेस का कहीं कोई स्थान नहीं है।

यदि दक्षिण भारत में पुनः चुनाव हों, तो कांग्रेस को कोई स्थान नहीं मिलेगा। हमें लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जनता की राय मिली है। हम ने लोकतंत्र की पुनः स्थापना की है। हम ने मजदूर संघ अधिकारों को पुनः लौटा दिया है। हम ने प्रेस की स्वतंत्रता पुनः कायम कर दी है।

आपात स्थिति की 20 महीनों की घटनाओं का उल्लेख करने के लिए श्री कामत ने 'सिनिकवाद' शब्द का प्रयोग किया है। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। मैं कहता हूं कि क्या श्री साठे ने कभी जेलों में जाकर अपने साथियों का हालचाल पूछा? और अब वह श्री राजन की

बात कर रहे हैं। उन्हें यह डर था कि अगर वह किसी को जेल में देखने जायेंगे, तो हो सकता है कि उन्हें भी जेल में डाल दिया जायेगा। राजन की पुलिस हिरासत में पिटाई करके हत्या कर दी गयी। यदि हम बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने का अधिकार पुन: प्रदान न करते तो यह घटना प्रकाश में न आती। इस अधिकार को प्रदान करने से ही राजन के पिता के लिए न्यायालय के द्वार खुले। जब दूसरे देशों में आपात स्थिति लागू की जाती है, तब कम से कम बन्दी प्रत्यक्षीकरण की व्यवस्था समाप्त नहीं की जाती है, परन्तु यहां इसे भी समाप्त कर दिया जाता है। ऐसा तो उन्हीं देशों में होता है जहां पूरी तरह से तानाशाही होती है।

जेलों में किये गये व्यवहार के बारे में कहा गया है। श्री बंसीलाल कह रहे हैं कि जेलों में राजनीतिक बंदियों के साथ इतना अच्छा बर्ताव किया गया कि वे अपने घरों को भी नहीं जाना चाहते थे। जबकि ऐसा नहीं है। वरिष्ठ राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ बहुत खराब बर्ताव किया गया। श्रीमती मृणाल गोरे को परेशान किया गया और उनका अपमान किया गया। उनके मामले में बम्बई उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया। जबकि श्री साठे कहते हैं कि श्रीमती मृणाल गोरे के साथ अच्छा व्यवहार किया गया।

श्री वसन्त साठे : मैंने यह नहीं कहा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपने ऐसा कहा। (व्यवधान)। आप श्री मोरारजी के मामले को ही देखें। जब उनका मामला आया, तो उन्हें अपने पुत्र या पुत्रवधू से मिलने की इजाजत तक नहीं दी गयी।

श्री जयप्रकाश नारायण तथा अन्य नेताओं के बचाव में न्यायालयों को आगे आए। इसका परिणाम यह हुआ कि न्यायाधीशों को एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानान्तरित कर दिया गया ।

विरोधी दल अपने नेताओं के गुणों की सराहना करते हैं। पर इस तथ्य से ही उनके नेताओं के आचरण का पता चलता है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपनी सम्पत्ति का जो विवरण पेश किया उसमें कितने गलत आंकड़े दिए गए। वर्ष 1973–74 के लिए, उन्होंने अपनी सम्पत्ति का मूल्य 2. 7 लाख रुपए दिखाया है। जबकि उनका वार्षिक खर्चा एक लाख रुपए से कम नहीं है। क्या यह खर्च उनकी आय के अनुपात से अधिक नहीं है ? इतने खर्च के लिए कम से कम 10 लाख रुपए की आय होनी चाहिए।

मेरे विरुद्ध यह आरोप लगाया गया है कि मैं विदेश जाकर देशद्रोही गतिविधियों में लगा रहा। इसमें कोई संदेह नहीं कि उस समय इन्दिरा ही भारत थी और इन्दिरा का विरोध करना भारत का विरोध करना था। मैं आपात स्थिति लागू किए जाने के छः मास बाद विदेश गया। आपात स्थिति में इन्दिरा गांधी ने विदेशी पत्रकारों को 42 साक्षात्कार दिए। उनमें उन्होंने विरोधी पार्टियों को धोखेबाजों और चोरबाजारियों का गिरोह बताया। उन्होंने कहा कि श्री जयप्रकाश नारायण देश में सैनिक शासन लाना चाहते हैं। जो लोग जेलों में थे वे इस बात पर काफी नाराज थे। उन्होंने अनुभव किया कि इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिएं।

इसका उत्तर अवश्य दिया जाना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर हमने विदेशों में सही तस्वीर प्रस्तुत की। इन्दिरा गांधी सरकार की ओर से राजदूतों के माध्यम से आपात स्थिति को उचित ठहराने के लिए विदेशों में सभाएं की गई। उनमें श्री जयप्रकाश नारायण को महात्मा गांधी विरोधी बताया गया। मैं श्री कामथ से अनुरोध करूंगा कि वे उन तथ्यों को भी अपने संकल्प में शामिल करें।

जेलों की स्थिति उस समय बहुत ही खराब थी। राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं को, जो कि भूमिगत हो गए थे, बाहर लाने के लिए उनके बच्चों तक को जेलों में ठूस दिया गया। उन पर 'आंसुका' के उपबन्ध लागू किए गए। अनेक प्रकार की यातनाएं दी गई। आपातस्थिति उठाओं' के इस्तिहार लगाने पर छोटे-छोटे लड़कों को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें जल सिगरेट के टोटों से दागा गया। इसके खिलाफ जब वकीलों ने एसोसिएशन ने एक संकल्प पास किया और उसे इंदिरा गांधी के पास भेजा तो इन्दिरा गांधी ने एसोसिएशन के प्रेजीडेंट को 'आंसुका' के अधीन गिरफ्तार कर लिया। इन बातों को ध्यान में रख कर मैं सभा से अनुरोध करूंगा कि वह इस संकल्प का पूर्ण समर्थन करे।

श्री सोम नाथ चटर्जी (जादवपुर) : आज हमें इस बात की खुशी है कि देश के लोगों को निरंकुश शासन के चुगुल से मुक्ति मिली है। यह सोच कर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यदि कांग्रेस इस बार भी सत्ता में आ जाती तो देश सदा-सदा के लिए दासता की जंजीरों में जकड़ जाता। श्री साठे ने *...श्री सुब्रहमणियम की तरह कहा। देश के लोगों को इतनी यातनाएं दी गई पर कांग्रेसी देखते रहे। देश की जनता से प्राप्त अस्थाई बहुमत का लाभ उठा कर इन मुट्ठीभर कांग्रेसियों ने लोगों पर काफी अत्याचार किए। विभाजन करो और शासन करो के नियम का इन्होंने अनुसरण किया। अब दक्षिण भारत के समर्थन की बात कही जा रही है। स्पष्ट है कि अगली बार दक्षिण के लोग अपनी इस भूल को सुधार लेंगे। मेरे विचार से स्थानीय मसलों का जैसे भाषा के मसले को लेकर दक्षिण में वोट लिए गए। पर तामिलनाडु में इन्हें सबक सिखा दिया है। संकल्प में प्रयोग किए गए 'गिरोह' शब्द पर आपत्ति की गई है। मेरे विचार से इसके स्थान पर कसाई शब्द प्रयोग किया जाना चाहिए था।

सन् 1971 में चुनाव करवाए गए पर 1976 में कहा गया कि चुनाव नहीं कराए जा सकते। इसके लिए कहा गया कि उनकी नेता का स्थान और कोई नहीं ले सकता। लोकतंत्र की एक नई परिभाषा बनाई गई कि इंन्दिरा ही भारत है और भारत इन्दिरा। यह लोकतंत्र केवल इन्दिरा और नेहरु परिवार के लिए ही था। यह लोकतंत्र राजन, स्नेहलता, श्री ज्योतिर्मय बसु या चरण सिंह के लिए नहीं था। यह स्थिति थी देश की उस समय।

श्री ज्योतिर्मय बसु को हिसार जेल में अकेले कमरे में बन्द रखा गया। कमरे में कोई खिड़की और दरवाजा नहीं था। केवल छत के पास एक रोशनदान और एक लोहे का गेट था। आंधी-तूफान के बचाव के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं थी। बारिस के समय कमरे में पानी भर जाता था। जेल अधिकारियों ने आंगन के दरवाजे पर दो मोटे कम्बल टांग दिए थे ताकि

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री बसु को बाहर का एक भी व्यक्ति नजर न ग्रा सके। कच्ची मिट्टी ग्रौर ईंटों की दीवार भी बनाई गई ताकि वह बाहर का दृश्य न देख सकें। कमरे में लगे बिजली के बल्ब को बुझाने के लिए स्विच भी नहीं था। उन्हें जलती रोशनी में सोना पड़ता था। रोशनी में ग्रसंख्य कीड़े-पतंगे नाचते रहते थे ग्रौर बाद में तो बल्ब ही हटा लिया गया। यह रवैया पिछली सरकार ने जनता के प्रतिनिधियों के साथ ग्रपनाया।

एक व्यक्ति विशेष ने ग्रपने व ग्रपने परिवार के हितों के लिए पिछले 19–20 महीनों में देश के हर नैतिक ग्रौर राजनैतिक मूल्य को नष्ट किया। संविधान के उपबन्धों की ग्राड़ लेकर ग्रपने वंश का शासन स्थापित करने का प्रयास किया ग्रौर ग्राज वह ग्राशीर्वाद भी मांग रहा है। (**व्यवधान**) एक ग्रर्ध-शिक्षित युवक इन कांग्रेसियों का गुरू बन गया था। (**व्यवधान**)

न केवल राजनीतिक लोग किन्तु सरकारी कर्मचारी भी मीसा के ग्रन्तर्गत बन्दी बनाए गए। जिन सरकारी कर्मचारियों ने भ्रष्ट प्रशासन का साथ नहीं दिया ग्रौर जो देश की ईमानदारी तथा कर्तव्यनिष्ठा से सेवा करते रहे उन्हें मीसा के ग्रन्तर्गत बन्दी बनाया गया ग्रौर उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इन कर्मचारियों को बहाल किया है जिनकी सेवाएं संविधान के ग्रनुच्छेद 311(2)(ग) के ग्रधीन समाप्त की गई थीं।

जहां तक संसद् का प्रश्न है। हम ग्रल्पमत में थे। संसद को रबड़ की मुहर बना दिया गया था। इसमें समर्थक ही समर्थक थे (**व्यवधान**)। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसी स्थिति में 42वां संशोधन ग्राया ग्रौर ग्राज वे यह महसूस कर रहे हैं कि इसे समाप्त किया जाना चाहिए। मीसा का जो दुरूपयोग किया गया उसके हमने कई उदाहरण दिए। परन्तु इन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया ग्रौर मीसा का समर्थन किया गया।

वे चाहते थे कि न्यायपालिका बचनबद्ध हो ग्रौर ग्रप्रभावी हो क्योंकि उन्होंने यह महसूस किया कि न्यायपालिका के द्वारा देश के दलित लोगों को कुछ राहत प्राप्त हो सकती है। इसीलिए न्यायालय के द्वारा बन्द किए गए। कर्मचारियों का स्थानांतरण भी किया गया।

इस देश में सभी जानते हैं कि समाचार पत्रों के साथ क्या व्यवहार किया गया। पिछली सरकार जनता, समाचार पत्रों तथा संसद द्वारा उनके कृत्यों की जांच किए जाने से डरती थी। संसद् के ग्रधिकार समाप्त किए गए ग्रौर कार्य प्रक्रिया भी या तो समाप्त की गई या निलम्बित की गई। एक परिवार द्वारा देश के प्रति व्यवहार इस प्रकार का किया गया। इन्दिरा गांधी के हाथ मजबूत किए गए जो कि एक तानाशाह बनती जा रही थी। उसे एशिया का मुक्ति सूर्य कहा जाने लगा।

संविधान का संशोधन किसके लाभ के लिए किया गया। इसका कौन सा संशोधन देश के लाभ के लिए किया गया। इसका संशोधन केवल एक व्यक्ति के हित के लिए किया गया। यदि उसे यह मालूम होता कि जनता संशोधन के विरुद्ध है तो उसने ऐसा नहीं किया होता। उसका विचार था कि वह ग्रब जनता की मालिक है ग्रौर वह जो चाहे कर सकती

है। वे लोकतंत्र की भी एक ओर परिभाषा दे रहे थे? व्यवस्था और अनुशासन के नाम पर सब कुछ उचित ठहराया जा रहा था। कोई भी व्यक्ति अनुशासन की ही बात कर रहा था। जो कुछ मुसोलनी ने कहा था वही यहां भी हो रहा था। अब हमें लोकतंत्र के सबक दिए जा रहे हैं और दक्षिण भारत के लोगों के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है।

अतः मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं क्योंकि यह आवश्यक है कि भविष्य में इस देश के लोग यह देखें कि फिर ऐसा न होने पाए। यद्यपि हम गरीब लोग हैं किन्तु हमें यह विश्वास होना चाहिए कि हम स्वतन्त्र हैं। लोगों ने देखा कि संविधान के अंतर्गत जिसे डा० राजेन्द्रप्रसाद, डा० बी० आर० अम्बेदकर और पं० जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, प्राप्त अधिकार समाप्त होते जा रहे हैं। ये वे अधिकार हैं जिन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। यदि लोगों को आर्थिक स्वतन्त्रता नहीं मिलती है तो वे यह तो महसूस करें कि वे एक स्वतन्त्र देश के नागरिक हैं और दूसरे दर्जे के नागरिक नहीं हैं। एक विशिष्ट वर्ग की सुविधा हेतु मूल अधिकारों को समाप्त किया। हमने देखा कि संविधान का किस प्रकार दुरूपयोग हुआ, मंत्रालयों को कैसे पलटा गया, और देश में बदलने की प्रवृत्ति को कैसे बढ़ावा मिला। राज्यों के मुख्य मंत्री कैसे अपदस्थ हुए और कैसे नए मुख्य मंत्री बने। विभिन्न राज्यों में राज्यपाल शासन लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 का आश्रय लिया गया और अन्त में किस प्रकार एक अतिरिक्त संवैधानिक शक्ति का निर्माण किया गया। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें जनता का विश्वास नहीं था; जो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं था देश का वास्तव में शासक बन राज्य करता रहा। मंत्रीमंडल के मंत्रियों की उपेक्षा की गई और जब आपातस्थिति की घोषणा की गई तो उनसे परामर्श भी नहीं किया गया।

संकल्प में "मूल्यों पर आधारित हो जिनके लिए" के बाद "नेता जैसे" शब्दों का समावेश किया जाए ताकि अन्य व्यक्तियों, जिन्होंने देश के विकास तथा प्रगति में योगदान दिया है उनके साथ भी न्याय हो। इन शब्दों के साथ मैं संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मेरा निवेदन है कि श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं तथा भूतपूर्व गृह मंत्री रहे हैं अपने विचार प्रकट करें। हम जानना चाहते हैं कि क्या वे केवल संजय गांधी के हाथ में कठपुतली थे। इस बात को मैं सभा में सिद्ध करना चाहता हूं। वे अपने विचार प्रकट करें।

अध्यक्ष महोदय : श्री लकप्पा।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : अध्यक्ष महोदय. . . . (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : नियमों के अन्तर्गत आप किसी को कहने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। गृह मंत्री 6.15 बजे जवाब देंगे (**व्यवधान**)।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। संकल्प के लिए निर्धारित समय समाप्त हो गया है अतः इस पर हम अधिक चर्चा नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : समय 6.30 बजे तक बढ़ाया गया है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है। यदि आप चाहें तो पेश कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे सभा के समक्ष रखा है और सभा ने इसे स्वीकृत किया है।

श्री जे० रामेश्वर राव (महबूब नगर) **:** मेरा निवेदन है कि यदि सभा 6 बजे के बाद बैठना चाहती है तो एक औपचारिक प्रस्ताव पेश किया जाना है और सभा से स्वीकृत किया जाना है। प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : इस पर चर्चा हुई है और सहमति हुई है। सभा का समय 6.30 बजे तक बढ़ाया गया है। (**व्यवधान**)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : सभा का समय आधा घंटा और बढ़ाने के लिए मैं प्रस्ताव पेश करता हूं (**व्यवधान**)

श्री जे० रामेश्वर राव : प्रस्ताव 6 बजे से पहले पेश किया जाना है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न उठाया गया है कि सभा का समय बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है। अतः इस संकल्प पर चर्चा गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिए निर्धारित अगले दिन जारी रहेगी।

सभा कल मध्याह्न पूर्व 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। इसके पश्चात् लोक सभा शनिवार, 9 जुलाई, 1977, 18 आषाढ़ 1899 (शक) 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Saturday July 9, 1977, Asadha 18, 1889 (Saka)

GMGIPND—L—1988LS—10-10-1977—200